छठा माला, खंड 13 अंक 31 बुधवार, 5 अप्रैल, 1978/15 चैत्र, 1900 (शक)

Sixth Series, Vol. XIII No. 31, Wednesday, April, 5 1978/Chaitra 15, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Forth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 31, बुधवार, 5 अप्रैल, 1978/15 चैत्र, 1900 (शक)
No. 31, Wednesday April 5, 1978/Chaitra 15, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	प्रष्ठ/PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नो के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 594, 595, 598, 600 से 602, 604 और 605	Starred Questions Nos. 594, 595, 598, 600 to 602, 604 and 605 . . .	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 596, 597, 599, 603 और 606 से 616	Starred Questions Nos. 596, 597, 599, 603 and 606 to 616 . . .	15—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 5603 से 5609, 5611, 5613 से 5615, 5617 से 5641 और 5643 से 5802	Unstarred Questions Nos. 5603 to 5609, 5611, 5613 to 5615, 5617 to 5641 and 5643 to 5802	24—128
अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 दिनांक 1-3-1978 के उत्तर को शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting answer to USQ No. 1223 dated 1-3-1978 . . .	129
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**Papers laid on the table . . .**	129
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
सिन्डीकेट बैंक, नई दिल्ली की अजमल खां रोड शाखा में डकैती का कथित समाचार	Reported robbery in the Ajmal Khan Road Branch of Syndicate Bank, New Delhi	130
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak . . .	130
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	130
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu . . .	131
श्री एम रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	131
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	132
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh . .	132

किसी नाम पर अंकित † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भारतीय वायुसेना के लिए नई किस्म का विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव के समाचार के बारे में वक्तव्य	Sta re. Press Reports about I roposal to Acu ire a new type of Aircraft for Indian Air Force . .	133
श्री जगजीवनराम	Shri Jagjivan Ram . .	133
बबीना छावनी बोर्ड के हरिजन सफाई कर्मचारियों की छटनी के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Retrenchment of Harijan Safai Karamcharis in Babina Cantonment Board	134
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh .	134
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	135
(एक) देश में बीड़ी कर्मकारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी विधान	(i) Legislation for equal pay for equal work for Beedi workers in the country	
श्री बीरेन्द्र प्रसाद	Shri Birendra Prasad . . .	135
(दो) माल डिब्बों के उपलब्ध न होने से स्टीम कोयले की कमी के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उद्योगों के बन्द होने की संभावना का समाचार	(ii) Impending closure of industries in Saurashtra region of Gujarat due to shortage of steam coal arising from non-availability of wagons	
श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharmasinhbhai Patel. .	136
बजट सामान्य--	Budget (General)	
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79 . .	136
निर्माण और आवास मंत्रालय तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Works and Housing and Ministry of Supply and Rehabilitation.	
श्री युवराज	Shri Yuvraj . .	136
श्री मुकुंद मण्डल	Shri Mukunda Mandal	136
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	137
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar . . .	138
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu .	139
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	139
श्री राम किंकर	Shri Ram Kinkar .	140
श्री पी०एस० रामलिंगम	Shri P.S. Ramlingam	141
श्री रामजी लाल यादव	Shri Ramjilal Yadav .	142
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendra Nath Basu.	143
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan .	144
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	144
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht . .	145

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation	147
श्री एस०आर० दामाणी	Shri S.R. Damani .	148
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	151
श्री वेंकट्टा सुबबया	Shri Venkatasubbaiah	152
श्री फकीर अली अंसारी	Shri Faquir Ali Ansari .	153
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R.K. Amin .	154
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion .	155
भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन	Performance of Indian Players	
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	155
श्री धन्ना सिंह गुलशन	Shri Dhanna Singh Gulshan	156
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar. .	158

लोकसभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 अप्रैल, 1978/15 चैत्र 1900 (शक)
Wednesday, April 5, 1978/Chaitra 15, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the chair

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ए० इब्राहीम के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है। उनका निधन 63 वर्ष की आयु में 27 मार्च, 1978 को दोरंदा (रांची) में हुआ।

1950 से 1952 तक श्री इब्राहीम अस्थायी संसद् के सदस्य थे और 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। वह रांची निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री इब्राहीम एक वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने बिहार में छोटा नागपुर के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बंधी कई संगठनों से वह सम्बद्ध थे। 1951 में उन्होंने न्यूयार्क में नवयुवक विश्व सम्मेलन में भाग लिया।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख है। मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी।

तत्पश्चात् सदस्य गण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

The hon. members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTION

आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये व्यक्ति

*594. **श्री मोहन लाल पिपिल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें आपात स्थिति के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट करने अथवा अपना बचाव करने का कोई अवसर दिये बिना ही मनमाने ढंग से एफ० आर० 56(जे) तथा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अधीन अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त किये गये व्यक्तियों में से केवल उन्हीं को सेवा में बहाल किया गया है जिन्हें 'मीसा' के अधीन नजरबन्द किया गया था अथवा जिनका संबंध प्रतिबंधित संगठनों से था;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व पुनर्विलोकन किये बिना ही ऐसे सभी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आपात स्थिति के दौरान 5477 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया था । उनका समूहवार ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

समूह क	118
समूह ख	292
समूह ग	3129
समूह घ	1938
	5477

इनके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अधीन, 71 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को या तो बरखास्त कर दिया था अथवा सेवा से हटा दिया गया था ।

2. जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था, उनके संबंध में सभी समुचित प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर उचित स्तर के ऐसे अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार किया जाए, जो कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने के मूल निर्णय से सम्बंधित नहीं थे और समिति को यह भी अनुदेश दिये गए हैं कि वह यह देखने के लिए विशेष ध्यान दें कि मूल समीक्षा करते समय जरूरत से ज्यादा कठोर मानक लागू नहीं किए गए थे अथवा ऐसी समयपूर्व सेवानिवृत्ति का सहारा, राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत अत्याचार के साधन के रूप में नहीं लिया गया था । अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 3307 कर्मचारियों के बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

3. जहां तक ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, जिनके विरुद्ध पहले प्रतिबंधित संगठनों के साथ उनका कथित संबंध होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) के अधीन कार्यवाही की गई थी, उनकी तुरन्त बहाली के लिए अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । किन्तु ये अनुदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो जासूसी अथवा इसी प्रकार की अन्य आपत्तिजनक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों से सम्बन्धित थे ।

Shri Mohan Lal Pipil : Mr. Speaker, the previous Government had dismissed hundreds of Central Government employees and officers. Many of them who had been victimised, have died. Some of them have become mentally retard. Some of them lost their wives and education of their children has been discontinued. I want to know whether Government will consider to extend them some assistance and those who are desirous to join duty will be taken back ?

श्री एस० डी० पाटिल: ये प्रश्न सरकार के ध्यान में विशिष्ठ रूप से नहीं आये हैं । यदि ये मामले सरकार के समक्ष पेश किए गए तो फिर इन पर गुणादोष के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Shri Mohan Lal Pipil : I want to know whether Government is prepared to reinstate those persons who have not completed 58 years of age. If not, what are the reasons ?

अध्यक्ष महोदय : विवरण में सभी ब्यौरे दिए गए हैं । शायद माननीय सदस्य ने विवरण को नहीं देखा है ।

श्री मोहद लाल पीपल: मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूं जिनकी आयु अभी 58 वर्ष नहीं हुई है ।

श्री एस० डी० पाटिल: अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं की जाती लेकिन निर्धारित समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया जाता है । ऐसा दो कारणों से किया जाता है । पहला कारण कर्मचारी की क्षमता का समाप्त होना तथा दूसरा कारण कर्मचारी की निष्ठा में संदेह होना । आपात स्थिति के ऐसे मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है और फिर उनकी बहाली कर दी जायेगी । जो लोग बहाली के योग्य नहीं हैं, उनके मामले अस्वीकृत कर दिए गए हैं ।

Shri Raghavji : Mr. Speaker there are some such instances. Where those employees have been taken back in service who were detained under MISA, but during their detention they have been deprived of their promotion and increments. I want to know whether the Government will consider to give them promotion and increment.

श्री एस० डी० पाटिल: यह नीति का मामला है और हम इस पर गुणादोष के आधार पर विचार करेंगे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि वह उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को सेवा में ले लेंगे, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटा दिया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी ऐसा ही करेगी ?

श्री एस० डी० पाटिल: हम ऐसा नहीं कर सकते । हमने कुछ नीति मामले निर्धारित किए हैं । उनका उल्लेख 15-10-77 के ज्ञापन में किया गया है और इसमें हमने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं । जहां तक पीड़ित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हम मामले की जांच करते हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों की क्षमता का अनुमान लगाते हैं । वे मार्गदर्शी सिद्धान्त स्पष्ट हैं ।

Shri Balbir Singh: Mr. Speaker the reason given for dismissal of those who have been dismissed is that their integrity was doubtful. You have stated that there is no compulsory retirement. There is only premature retirement. I want to know the difference between these two. Those who were not prepared to abide by the wrong orders were dismissed from service on the pretext that their integrity was doubtful or they were compelled to accept premature retirement. I want that Government should appoint a Committee to go into such cases and those persons should be reinstated.

श्री एस० डी० पाटिल: विवरण में हम समिति के बारे में कह चुके हैं कि यह एक स्वतंत्र समिति है । यह समिति जिम्मेदार सचिवों की है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: 5,477 व्यक्तियों में से 3,307 व्यक्ति वापस सेवा में लिए जा चुके हैं ।

श्री एस० डी० पाटिल: हां, श्रीमान् । जिन लोगो के मामलों को अस्वीकार किया गया है, वह इसलिए नहीं किया गया कि उनकी निष्ठा में संदेह था बल्कि उनकी क्षमता का पूरी तरह अनुमान लगाकर ऐसा किया गया है ।

Bogus Persons Receiving Freedom Fighters Pension

*595. **Shri Rajender Kumar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received information to the effect that some bogus persons have received pension under the Freedom Fighters Pension Scheme by producing bogus certificates;

(b) whether Government have inquired into the matter; and

(c) if so, the total number of such bogus cases and the number of persons found guilty out of them as also the action taken against them ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) 28-2-78 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या 6745 है । विस्तृत जांच पड़ताल और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद 433 मामलों में पेंशन रद्द कर दी गई है और पहले की गई अदायगियों की वसूली के आदेश दिये गये हैं । प्रत्येक मामलों में उपलब्ध तथ्यों तथा सबूत को ध्यान में रखकर दांडिक अभियोजन का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है । 4744 मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद पेंशन की स्वीकृति स्थगित कर दी गई है । राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तृत जांच की जा रही है ।

Shri Rajender Kumar Sharma : My first complaint is that Secretariat does not care for printing mistake. My name has been wrongly printed in Hindi agenda. Such blunder should not be repeated in future.

This is very important question. From the reply given by the Hon. Minister it is clear that Government is giving pension to about 1¼ lakh persons and they are getting this pension on the name of freedom fighters. Sir, Government have received 6745 complaints. Government should examine these complaints. Out of 1¼ lakh pensioners, 50% are getting pension on the basis of bogus certificates. These persons have been getting pension for the last so many years. Government has spent crores of rupees in giving them pension. I want to know whether Government will make detailed enquiry in respect of such persons and stop giving them pension and take stern action against them ?

The second question is related to pension scheme of State Governments.

अध्यक्ष महोदय : हमारा राज्य सरकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Rajender Kumar Sharma : This question is related to it. I want to know whether Central Government will direct the State Governments. If people can get bogus pension from Central Government, why cannot they get from State Governments, because State Governments are giving pension to many fold people. The Congress Government sanctioned pension to some of their own persons. What action is being taken against it ?

Shri Dhanik Lal Mandal: The number of pensioners getting pension under Freedom Fighter Pension Scheme is 1,17,000 and not 1,25,000. We are inquiring into the cases of bogus persons getting pension. At the same time we are collecting datas from State Governments and other agencies as to how many persons were imprisoned in 1942 and 1932 and before that. We are seized of this matter, and are examining it. We immediately look into the individual cases also. After making preliminary investigations on the complaints if it becomes a prima facie case, we immediately stop payment of pension and thereafter we make detailed enquiry. If the case is proved false, we not only stop payment of pension but take step for recovery thereof. We have directed the State Governments to make Criminal proceeding in such cases. This all depends on evidence. The hon. Member wants that this thing should be done expeditiously. Our difficulty is that these cases are

concerned with State Governments also and besides this there is not adequate staff to expedite the work. Since such matters are concerned with State Governments also, therefore it is natural to take some time in finalising them. But I assure the hon. member that we will try our best to take immediate action in such cases.

Shri Rajender Kumar Sharma : I want to know whether it is a fact that the freedom fighters are given pension on the basis of certificates issued to them by M.L.As. and M.Ps. and whether jail records will be taken into account for this purpose ? What decision is going to be taken by Government in regard to pension being given on the basis of bogus certificates ?

My first question has not been replied too. I asked whether Government will take stern action against those persons, because it is a grave crime. The Congress Government wasted public money by giving pensions to bogus persons. I want to know whether Government will give pension to genuine Freedom Fighters who have not so far been given pension ?

Shri Dhanik Lal Mandal : I have already made it clear that when we came to know that it is a bogus case, then we not only stop the further payment of pension but we take action to recover the amount that has already been paid. It has been brought to our notice that many records of jail are not available. The records have been destroyed. In absence of the records some freedom fighters have been given pension on the basis of certificates issued by M.L.As., Ex M.L.As., M.L.Cs, ex-M.L.Cs., MPs. and ex-M.Ps, who have been in jails and who were prisioners. On the basis of such certificates obtained from co-prisioners pensiods have been sanctioned. The hon. members has rightly said that several persons have been given pensions on this basis. There has been some bungling in granting pensions on this basis. I have noted it and we will keep it in mind.

He said that there some genuine freedom fighters who actually fought for the freedom of the country and who made sacrifices are not being given pensions. I assure the hon. member that if he gives us the names of such persons we will at once take action thereon.

Shri Phirangi Prasad : Imprisonment is the criteria on the basis of which pension is granted. Some persons have been given pension on the basis of certificates issued to them by their co-prisoners. Shri Rajender Kumar Sharma has rightly said that some persons have been given pension on the basis of bogus certificates. I want to know how many such pensioners gave bogus Certificates to others and whether their pension has also been stopped, if not, the reasons therefor.

Shri Dhanik Lal Mandal : I have replied to this question.

Shri Phirangi Prasad : Those who gave bogus certificates should not be given pension any more.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह का कोई मामला मंत्री जी के ध्यान में लायेंगे तो वह उसकी जांच करेंगे ।

Shri Phirangi Prasad : So far I know pension is granted on the three criterion. Firstly on the basis of certificate given by the old pensioners. Secondly on the basis of Certificate given by those who have been imprisoned for 6 months or more. Thirdly on the basis of Certificates given by M.L.As., M.L.Cs. or M.Ps. I want to know the number of such cases where bogus certificates have been given by the old pensioners and whether Government is taking many action to stop the payment of their pension ?

Shri Dhanik Lal Mandal : No, Mr. speaker it is baseless. No pension is granted on the recommendation of old pensioners.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पेंशन स्वीकृत करने के लिए 6 महीनों की कारागार की अवधि निश्चित की गई है । फिर भी स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें मुक्त कर दिया गया था जबकि वे उसी धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किए

गए थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों की छानबीन की जायेगी । आन्ध्र प्रदेश में सब-कलेक्टर एक मामले में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त कर देता था जबकि उसी धारा के अन्तर्गत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अन्यत्र जेलों में रखा जाता था । यदि इस तरह के मामले हैं तो क्या सरकार उन पर उसी तरह विचार करेगी जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के मामले पर विचार किया जाता है । जो कि 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए जेलो में रहे हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : यदि इस मामले में किसी तरह का भेदभाव हुआ हो तो माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लावें । मैं निश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

सीमेंट का आयात और उसका ईरान को पुनः निर्यात

*598. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सीमेंट का आयात किया गया और उस आयात के स्रोत क्या थे तथा आयात किन कारणों से आवश्यक हो गया;

(ख) क्या यह सच है कि ईरान को सीमेंट के पुनर्निर्यात के लिए उस के अधिक आयात की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों के कारण किया जा रहा है और उसके क्या लाभ हैं;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1977-78 में दक्षिण कोरिया, रुमानिया तथा पोलैंड से लगभग 2.94 लाख मी० टन सीमेंट का आयात किया गया, जिसका तथागत मूल्य लगभग 16.45 करोड़ रु० है । सरकारी निर्माण कार्यों और कृषि, उद्योग तथा आवास में खपत हेतु अधिक मांग होने के कारण वर्ष 1977-78 में 192.7 लाख मी० टन का अभुतपूर्व उत्पादन होने के बावजूद भी सीमेन्ट के संभरण में कमी उत्पन्न हो गई थी । आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तूफान से हुई क्षति की मरम्मत करने के लिए भी काफी मात्रा की आवश्यकता पड़ी थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० आर० दामाणी : सीमेन्ट की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए क्या उसकी मांग और पूर्ति का कोई वार्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है । यदि हां, तो क्या अगले वर्ष सीमेन्ट की मांग और बढ़ जायेगी ? अगले दो वर्षों में सीमेन्ट की कितनी आवश्यकता होगी, यह जानने के लिए क्या कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पहले सर्वेक्षण नहीं किये गये और इसलिये अपेक्षिक क्षमता प्रतिष्ठापित नहीं की गई । 1975-76 में प्रतिष्ठापित क्षमता 212.40 लाख टन थी, 1976-77 में 216.70 लाख टन थी, जबकि हमें 2 करोड़ टन क्षमता की और जरूरत थी । 1977-78 में प्रतिष्ठापित क्षमता 216.70 लाख टन रही, जबकि हमें 2 करोड़ टन प्रतिष्ठापित क्षमता और चाहिये थी । इसीलिये अब सीमेंट की कमी है जिसे आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

भविष्य के लिये सर्वेक्षण किये गये हैं और हम 5 साल की और 7 साल की योजनायें बना रहे हैं और अपनी वर्तमान परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 18 महीनों में हम इस कमी को दूर कर सकेंगे ।

श्री एस० आर० दामाणी: मुझे खुशी है कि आपने सर्वेक्षण किया है । क्या बिजली की कमी का सीमेंट के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: बिजली की कमी के कारण उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा अवश्य आती है । फिर भी हमने बिजली की कमी के बावजूद, मशीनरी का बेहतर प्रयोग करके पहली बार शत प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया है । कर्नाटक में 55 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है । हमने हाल ही में एक फैसला किया है ताकि सभी सीमेन्ट कारखाने अपने बिजली संयंत्र लगा सकें । तब बिजली की कमी दूर हो सकेगी ।

Shri Jagdish Prasad Mathur : These days, the required quantity of cement is not filled in the bags with the result that the consumer is put to a loss. Will Government take steps to check this malpractice ?

In Rajasthan, there are many places suitable for setting up mini-plants. What is the programme of Government in this regard that.

Shri George Fernandes : We have set up a committee to look into such complaints, we have referred the complaint regarding filling of cement in bags, to that Committee.

We are trying our best to set up as many mini-cement plants as possible. Concrete steps have already been taken in this direction.

श्री बी० रचैया: रेल मंत्री ने थोड़े दिन पूर्व बताया था कि रेलवे विभाग लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर पक्के कंक्रीट के स्लीपर लगा रहा है । इसलिये कंक्रीट के स्लीपरों की भारी मांगें होगी ।

इसलिये क्या सरकार देश में सीमेन्ट का उत्पादन कर उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है । यदि हां तो आगामी वर्ष में कितने सीमेन्ट के कारखाने खोले जायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अगले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 14 कारखाने खोले जायेंगे जिनकी उत्पादन क्षमता 60 लाख टन होगी और गैर-सरकारी क्षेत्र में 13 कारखाने खोले जायेंगें जिनकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन से थोड़ी ज्यादा होगी । वर्तमान सीमेन्ट कारखानों की क्षमता के उपयोग का भी ध्यान रखना होता है और अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करनी है ।

Institutions run By Foreign Christian Missionaries

***600. Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to lay a statement showing :

(a) the total number of foreign Christian Missionaries and institutions run by them in each State;

(b) the total amount of money spent on these institutions; during the last three years;

(c) how much amount has been received from foreign countries during the a bove period;

(d) whether Government have received any complaint against these foreign Christian Missionaries;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The total number of registered foreign Christian Missionaries in India as on 1-1-1977 was 3732. Information regarding the number of institutions run by them is not readily available.

(b) Government do not have any information. Private institutions are not required to maintain and submit for scrutiny accounts of expenditure incurred by them.

(c) Only individuals mentioned in Section 4 of Foreign Contribution (Regulation) Act are debarred from accepting foreign contribution. All other individuals are neither required to take permission of Government nor are required to give any intimation about amounts received from foreign countries.

In regard to foreign contributions received by institutions run by foreign Christian Missionaries, information is being collected for the period from 5-8-1976 [when the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, came into force to 31-12-1977 and will be laid on the Table of the House.

(d) No specific complaints have been received during the recent past.

(e) and (f) : Do not arise.

Shri Kanwar Lal Gupta: United States Government had formed a Committee which submitted its report in 1975. Senetor Hatfield was the Chairman of that Committee. This report was published in the newspapers in India and abroad. In this connection, I quote from the Times of India :

> "Senetor Hatfield, who introduced legislation yesterday to legally bar CIA-Missionary contact said, he sought the same prohibition now in force on the CIA using, peace corps volunteers and Fulbright scholars."

In the reply, Shri Kohli, Director of CIA, who was the counsel of the White House, said:

> "Clergymen throughout the world are valuable source of intelligence and many clergymen, motivated slightly by patriotism, voluntarily and willingly aid the Government by providing information of intelligence value."

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त: मंत्री महोदय ने कहा कि कोई जानकारी नहीं है । मैं तो उद्धरत कर रहा हूं । यह रिपोर्ट छपी है और अमरीकी सरकार ने इसे स्वीकारा है ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त: यह सी० आई० ए० की गतिविधियों के लिये प्रयोग किया गया है । यह मेरा आरोप है । मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।

सी०आई० ए० के निदेशक कहते हैं :—

> "I believe, it would be neither necessa y nor app ropriate to bar any connection between the CIA and the clergy and the Churches."

This shows that foreign Christian missionaries are used for CIA. This has been admitted by the American Government.

> "It was Mr. John Kenneth Galbraith who discovered that the journal, Quest, then being edited and published in India, was a CIA operation and ordered it closed down."

This proves that the CIA activities were being carried in through the foreign Christian missionaries. Will the Hon'ble Minister set up some special cell of the Ministry for keeping watch on the activities of the foreign Christian missionaries and for giving clearance to the newcomers so that Government may know the background of such missionaries ? Will Government take action against those found guilty ?

Shri Dhanik Lal Mandal : The newcomers are required to obtain the permission of Government. Permission is granted an if these persons are experts and are outstanding in certain respects and have come to our country to replace someone. Our Intelligence Department keeps a watch on the old missionaries and that department is quite alert.

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । खेद है कि मंत्री महोदय को इसका पता नहीं है । ये बातें हमारे देश की सुरक्षा से सम्बन्ध रखती हैं । मंत्री महोदय को उनके बारे में पता होना चाहिये ।

मैंने पूछा था कि इन विदेशी ईसाई मिशनरियों को किस-किस देश से कितना-कितना धन मिला और एक साल बाद इसके उत्तर में मुझे बताया गया कि इन मिशनरियों को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये मिलते हैं । नकद धन के अलावा ये सामान आदि भी आयात करते हैं । ये मिशनरी इस सामान का आदिवासी क्षेत्रों में गलत इस्तेमाल करते हैं ।

अरुणाचल के मुख्य मंत्री ने बताया कि ये मिशनरी किसी षड़यंत्र में अन्तर्ग्रस्त हैं । ब्लिट्ज़ में छपे एक समाचार के अनुसार ये मिशनरी सैनिक अधिकारियों को शराब आदि देते हैं । क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार गरीबों का शोषण हो रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ? क्या हमें आश्वस्त करेंगे कि विदेशी ईसाई मिशनरियों को केवल कुछ ही मामलों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ?

Shri Dhanik Lal Mandal : Christian missionaries are active throughout the country and the innocent Adivasis come under their influence and embrace Christianity. Ours is a secular Government and we have equal respect for all religions and, therefore, Government do not propose to hold any enquiry into the matter.

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या सरकार जांच करेगी ?

Shri Dhanik Lal Mandal : We will have an enquiry conducted.

श्री जी० एस० रेड्डी: क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि विदेशी ईसाई मिशनरियों की संख्या कम हो रही है और बहुत से मिशनरी भारतीय ईसाई मिशनरी ही हैं जो भारत में रह रहे हैं ?

श्री धनिक लाल मण्डल : हां ।

आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त एक दस वर्षीय भावी योजना

*601. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक दस वर्षीय भावी योजना और छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए 1979-80 से 1983-84 तक पांच वर्षों के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की है जिसमें निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 200 लाख रुपए और सिब्बंदी प्रभार के अन्तर्गत प्रति वर्ष 15 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना आपके पास नहीं भेजी है ?

श्री मोरारजी आर० देसाई: यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: छठी पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले क्या राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के पास अपनी योजनायें भेजने की जरूरत नहीं है ?

श्री मोरारजी आर० देसाई: पहले वर्ष की योजना मंजूर कर ली गई है । बाकी पर पंचवर्षीय योजना में विचार हो रहा है ।

श्री के० मालप्पा: क्या राज्य सरकारों के लिये अपनी वार्षिक योजना भेजने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ।

श्री मोरारजी आर० देसाई: उनकी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर दिया गया है । लेकिन उनके साथ अभी विचार-विमर्श नहीं हुआ है । वे वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अक्तूबर के अन्त तक प्राप्त होगा । इसलिये इस मामले पर तब चर्चा होगी ।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सुविधायें

*602. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली तथा इसके पास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं सर्वथा अपर्याप्त, अकुशल तथा असन्तोषप्रद हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा ठोस एवं शीघ्र क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में शुरू की गयी बड़ी परियोजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है, उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और उनके पूरे होने की संभावित तारीखें तथा लक्ष्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

लगभग एक वर्ष पूर्व तक दिल्ली में और इसके इर्द-गिर्द परिवहन सुविधाएं (बस सेवाएं) अपर्याप्त और असंतोषप्रद थीं । परन्तु, पिछले एक वर्ष में, इन सेवाओं में पर्याप्त सुधार किए हैं । प्रतिदिन ढोए जाने वाले यात्रियों की संख्या मार्च, 1977 में 18.40 लाख से बढ़कर फरवरी, 1978 में 23.34 लाख हो गयी । बसों का औसत प्रयोग भी उसी अवधि में 72.78 प्रतिशत से बढ़कर 77.5 प्रतिशत हो गया । जिससे अधिक संख्या में बसों को सड़क पर लाया गया । बस सेवाओं में निरन्तर सुधार किया जा रहा है और आगामी वर्षों में राजधानी में बस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । 1-4-1978 से 31-3-1983 तक की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य कार्यक्रम (जिसमें बसों की खरीद भी शामिल है) के लिए 60 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया है । निगम के कार्यक्रम में 2749 बसों की खरीद का प्रस्ताव है जिसमें 1043 बसें बदल के रूप में और 1706 बसें बेड़े में और वृद्धि करने के लिए होगी । वर्ष 1978-79 के लिए बजट में 5.5 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है जिसमें 3.87 करोड़ रु० 237 बसों की खरीद के लिए हैं (143 बसें बेड़े में वृद्धि करने और 94 बसें बदल के रूप में) ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: हमारे देश के राजधानी शहर दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त है और यह सारे देश के लिये शर्म की बात है कि सार्वजनिक परिवहन की इतनी अधिक दुर्दशा है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि नवयुवक, छात्र, लड़के, लड़कियां, सरकारी कर्मचारी, पर्यटक और दूसरे लोग प्रतिदिन दिल्ली आते हैं और उन्हें समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचना होता है,

परन्तु वे सदैव लेट हो जाते हैं क्योंकि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रातः तथा सायं भीड़-भाड़ अधिक होती है और मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि यात्री यातायात 18 लाख से बढ़कर 23 लाख हो गया है, क्या सरकार ने व्यस्त समय में बसों की बारम्बारता बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाया है ? दूसरे, क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये भी कोई कदम उठाये हैं कि बसों में भीड़-भाड़ न हो और अधिक बसें सड़क पर चलें क्योंकि औरतों, लड़कियों और आदमियों को अपनी जान को खतरे में डाल कर बसों के पीछे भागते हुए देखकर शर्म आती है ?

श्री चांद राम : मैंने उत्तर में बताया है कि मार्च, 1977 में डी० टी० सी० की बसों द्वारा ढोये गये यात्रियों की संख्या 18 लाख थी और अब यह बढ़कर 23 लाख हो गई है । मार्च, 1978 में 24.90 लाख यात्रियों ने यात्रा की ।

इसके अलावा हम डी० टी० सी० की बसें बढा रहे हैं । हमने इस वर्ष में 162 बसें खरीदी हैं । गत वर्ष 1976-77 में बसों के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया । यह पिछली सरकार की गलती है । अब हमने 162 बसें खरीदी हैं । अगले वर्ष हमारे पास 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है । हम और अधिक बसें खरीदेंगे और हम बढ़ते हुए यात्री यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राइवेट बसें भी प्राप्त करेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : बसों की बारम्बारता बढ़ाने और भीड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चांद राम : हम बसों की बारम्बारता भी बढ़ा रहे हैं । हम एक 'नियमित सेवा' भी चालू कर रहे हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने स्वयं माना है कि यात्रियों की संख्या 18 लाख से बढकर 24 लाख हो गई है । क्या यह गर्व की बात है या क्या यह आप पर एक बोझ है ? यात्री अधिक हैं परन्तु बसें कम हैं । समस्या तो यह है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रति माह यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि बसों की संख्या में वृद्धि यात्रियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में कम है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कितनी जल्दी स्थिति में सुधार करेगी ? अन्त में मैं पिछली सरकार के मंत्रियों द्वारा इस सभा में दिये गये इस आश्वासन का स्मरण करना चाहता हूं कि पैट्रोल पर अतिरिक्त करों तथा प्रशुल्क के रूप में वृद्धि और इस तरह कमाया गया धन दिल्ली तथा भारत के दूसरे महानगरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार में लगाया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी राशि इस ओर अन्तर्गत की गई है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन उपयोग किया गया है ?

श्री चांद राम : हमारे पास, मार्च, 1977 में 2,294 बसें थीं । इस वर्ष फरवरी में हमारे पास 2,717 बसें हैं । बसों की संख्या में वृद्धि की गई है । उनके ट्रिप संख्या में बढ़ोतरी की गई है । इसके अलावा गत वर्ष 3 करोड़ रुपये के मुकाबले हमने इस वर्ष 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया है । हम और अधिक बसें खरीदेंगे । अगले पांच वर्षों के लिये हमारे पास 60 करोड़ रुपये का बजट है । सड़कों में सुधार किया जायेगा और अधिक बसें खरीदी जायेंगी । अगले पांच वर्षों में हम लगभग 30 लाख यात्रियों को ढो सकेंगे ।

प्रो० वी० जी० मावलंकर : पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त फंड का क्या हुआ ?

श्री चांद राम : हमने अपना आवंटन बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये किया है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरे माननीय मित्र ने पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के बारे में कहा है । इससे जो कुछ वसूल होगा उसे इस पर खर्च किया जाना चाहिये । क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि जो कर वसूल हो वह उसी मद पर खर्च किया जाना चाहिये ? यह बड़ा हास्यास्पद सुझाव है । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के मंत्रियों ने करों में वृद्धि करते समय इस सभा को यह आश्वासन देते थे कि इन करों से वसूल की गई राशि सार्वजनिक परिवहन पर खर्च की जायेगी ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Last year D.T.C. buses carried 18 lakhs passengers and this year this number has gone upto 24 lakhs. But it is not adequate. D.T.C. has to cater to the needs of 35 lakhs passengers. Arrangements are to be made for transporting 11 lakhs passengers more. May I know the steps being taken to implement Rs. 150 crore plan meant for D.T.C. and Railways to solve transport problem in Delhi ?

Shri Chand Ram : The proposals submitted by the Study Group involve Rs. 137 crore 60 lakhs and these are under consideration of the Planning Commission. A mention has also been made in it about construction of a rail line and the amount provided for roads will also be utilised to improve road and purchase buses.

श्री के० गोपाल : बसों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है । परन्तु बसों की संख्या में वृद्धि करने से समस्या हल नहीं होगी । वास्तविक बात यह है कि बसों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाये जो इस समय नहीं हो रहा है । ब्रेक डाउन और कुप्रबन्ध के कारण बसों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है । क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाये और क्या वह मद्रास के उदाहरण का अनुसरण करेंगे जहां परिवहन मंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई और विभिन्न विभागों के कार्यकाल घंटे अलग-अलग करने के लिये उनसे अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप 8.30 से 10.30 बजे के बीच भीड़ कम हो गई । क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री चांद राम : यह एक सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जा सकती है। मैंने बताया है कि हमने अधिक बसों को उपयोग में लाया है । यह 72 प्रतिशत थी और हमने इसे 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 प्रतिशत कर दिया है और मार्च में यह बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है और हम इसे और भी बढ़ायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय समय अलग-अलग करना उनका काम नहीं है ।

प्रधान मंत्री की दिल्ली से बाहर यात्रा

*604. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 जनवरी, 1978 और 25 फरवरी, 1978 के बीच वे दिल्ली से कितनी बार बाहर गये;

(ख) इन यात्राओं में से कितनी यात्रायें सरकारी थीं और कितनी दल के कार्यों के लिए थीं; और

(ग) सरकार ने इन यात्राओं में प्रत्येक यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च की ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) छः बार । इनमें से एक विदेश यात्रा थी ।

(ख) पांच स्थानीय दौरों में से एक सरकारी कार्यों के लिए, दो अंशतः सरकारी तथा अंशतः गैरसरकारी के लिए तथा दो गैर-सरकारी कार्यों के लिए थे ।

(ग) प्रधान मंत्री कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं लेते हैं । प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा इन पांच यात्राओं पर 212.35 रुपए व्यय किया गया है । अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था पर, और उनके अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री जी० एस० रेड्डी: क्या माननीय प्रधान मंत्री हमें बतायेंगे कि केवल प्रधान मंत्री ही यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता क्यों नहीं लेते हैं ? क्या यह बात अन्य सभी मंत्रियों पर भी लागू होती है ?

श्री मोरारजी देसाई : जब मैं मंत्री था, तब मैंने कुछ नहीं लिया । अतः मेरे विचार में अन्य मंत्री भी नहीं लेते होंगे । परन्तु जब तक मैं सभी से पूछ नहीं लेता तब तक मैं कुछ निश्चित बात नहीं कह सकता ।

श्री जी० एस० रेड्डी: प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के आंकड़े मालूम नहीं किये जा सकते ? सम्बन्धित मंत्रालयों और प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के आंकड़े मालूम किये जा सकते हैं । मालूम नहीं इसकी जानकारी क्यों नहीं ली जा सकती ।

श्री मोरारजी देसाई: यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं निश्चय ही एकत्रित कर के उन्हें दुंगा । उसमें कोई गोपनीयता नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether it is a fact that after you became Prime Minister, the expenditure incurred on your visits abroad and on police and other arrangements made in this connection, which was very high previously, has been reduced considerably ? If so, the extent to which it was reduced and the various fields in which it was reduced and what instructions have been issued ? Whether it is also a fact that the former Prime Minister used to draw TA/DA but you have refused to do so ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरा ऐसा विचार नहीं है कि मेरे पूर्वाधिकारी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेती थीं । अतः गलत कल्पना करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने पुलिस व्यवस्था पर कितना कम किया है । क्या आपने कोई नये अनुदेश जारी किये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : अनुमान लगाना कठिन है । हमने अनुदेश जारी किये हैं कि जब मैं बाहर जाऊं किसी अन्य जिले से किसी पलिस अधिकारी को न बुलाया जाये और जो कुछ करना है केवल स्थानीय पुलिसमैन ही करें और यह भी न्यूनतम स्तर पर होना चाहिये । जहां तक बैठकों का संबंध है, यदि ये पार्टी प्रयोजनार्थ हैं, तो पार्टी व्यय वहन करेगी, सरकार कुछ भी खर्च वहन नहीं करेंगी ।

Shri Roop Nath Singh Yadav : Whether it is a fact that Rs. 50 thousands were used to be spent on the late Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru and the former Prime Minister Smt. Indira Gandhi daily ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है मुझ पर इससे भी अधिक खर्च होता हो । मुझे मालूम करना होगा ।

मशीन से बने कालीनों के निर्माण के लिये लाइसेंस

*605. **श्री फकीर अली अंसारी** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश में मशीन से बने कालीनों के निर्माण के लिये कुल कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उक्त लाइसेंस किन-किन फर्मों को दिये गये थे, तथा कब-कब दिये गये थे ;

(ग) उन्हें लाइसेंस देने के क्या आधार थे ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अधिकांश फर्मों अथवा व्यक्तियों ने अभी तक कालीनों के निर्माण के लिये उद्योगों की स्थापना नहीं की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त दोषी फर्मों के लाइसेंस रद्द करने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (छ) गत पांच वर्षों (अप्रैल, 1973 से मार्च 1978 तक) में एक मात्र जारी किया गया औद्योगिक लाइसेंस मैसर्स मोदी कारपेट्स लिमिटेड से संबंधित है जिसे मई, 1976 में टफटेड गलीचों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। यह लाइसेंस, तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में उस समय की विद्यमान नीति के अनुसार दिया गया था। अभिलेखों से पता चला है कि अन्य बातों के साथ-साथ यह लाइसेंस देने का आधार एकक का निर्यातोन्मुख होना कच्चे माल के कारण एकक की स्थापना की गुंजाइश और एकक का पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाना है।

एकक कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में है और उसमें निकट भविष्य में वाणिज्यिक उत्पादन किया जाने वाला है। अतएव इस मामले में लाइसेंस वापस लेना उचित नहीं समझा गया।

Shri Faquir Ali Ansari : The hon. Minister has said that Modi Carpet was given licence keeping in view the availability of raw material and its being an export-oriented unit. Whether Government are still satisfied that same position prevails now as it was then ? Will the hon. Minister give an assurance such an industry will not be permitted to be set up in future which causes unemployment ?

Shri George Fernandes : No licence has been issued or proposed to be issued in future for such an industry in accordance with the new industrial policy. It has already been decided and this unit will go into production during the next one or two months. We cannot do anything about it now.

Shri Faquir Ali Ansari : What type of raw material will be used by Modi Carpet Ltd. ? Whether it will use wool which is short supply in the country and Khadi Gramodyog and handmade woollen carpet industry is facing crisis and it is not being given any incentive.

At which place it is being set up ? Whether government have declared it as a backward area ? If not, the action being taken by government in this regard as they were given licence to set up factory in a backward area ? To what extent local people will get employment in it ?

Shri George Fernandes : I require notice as to how many people will get employment there. So far as raw material is concerned, there is no objection in this respect at present. I have already stated that question of allowing manufacture of carpets by machines in future does not arise.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

*596. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या गृह मंत्री महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में 6 अप्रैल, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को यथा संभव शीघ्र हल करने के लिये गत एक वर्ष की अवधि में क्या क्या प्रयास किये ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सरकार की पूरी इच्छा है कि इस विवाद का हल यथा संभव शीघ्र तथा पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव से हो जाना चाहिए। अब जब कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में नई सरकारों ने कार्यभार संभाल लिया है अतः हमारा कोई पारस्परिक स्वीकार्य समाधान तलाश करने के लिए इस प्रश्न पर उनसे विचार विमर्श करने का विचार है।

Construction work on the Rajghat Bridge over the Chambal River

*597. **Shri Chhabi Ram Argal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 22 on the 20th July, 1977 regarding Rajghat bridge on Madhya Pradesh and Rajasthan border between Agra-Bombay and state :

(a) whether construction work in the Rajghat bridge over the Chambal river on Agra-Bombay National Highway on Madhya Pradesh-Rajasthan border is likely to be completed by December, 1978;

(b) if so, the work alreadycompleted and that is yet to be completed;

(c) whether efforts will be made to accelerate the pace of work to complete this Rs. 297 lakh bridge by the end of 1978; and

(d) if so, the present progress of construction work on the bridge ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a), (b), (c) & (d) : As per the contract agreement, the work is to be completed by December, 1978. The work of sub-soil investigations has already been completed. Out of 7 new foundations, work on 3 foundations has been completed, while on the 4th, it is nearing completion. Work on the remaining 3 foundations is in an advanced stage of progress. The construction of 3 piers is in hand and the work of grouting the rock under foundations is in progress. There has been some set back in the progress of the work on account of sinking of foundations required through rock deeper because of the typical nature of rock, use of pneumatic plants on many of the well foundations due to heavy inflow of water and some shortage of cement. Vigorous efforts are being made to complete the project at the earliest.

सरकारी सेवा के लिये आयु सीमा

*599. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र और प्रत्येक राज्य में इस समय सरकारी सेवाओं के लिये अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया है कि वर्तमान नियम और विनियमों के कारण बड़ी संख्या में योग्यता प्राप्त युवा व्यक्ति सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से वंचित रह जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्तमान नियमों और विनियमों में संशोधन करने के बारे में विचार करेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए सेवा में प्रवेश को न्यूनतम आयु-सीमा सामन्यतः 18 वर्ष और ऊपरी आयु-सीमा 24 से लेकर 30 वर्ष तक अलग-अलग है। कुछ राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध है, जिसे अनुबंध में दिया गया है।

2. ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाये जाने के अनुरोध को लेकर सरकार को समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर अन्य बातों के साथ-साथ सरकार का ध्यान छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में लगने वाला समय और रोजगार के अवसरों की जानकारी होने, कुछेक अन्य देशों में आयु सीमाओं का न होना, दैवी विपत्तियों, राजनैतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरता आदि के कारण परीक्षाओं में होने वाले विघ्न पर सरकार का ध्यान गया है। विभिन्न संगत कारकों और विशेष रूप से उस सेवा/पद के लिए अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए समय-समय पर आयु सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार व्यक्तियों की सेवाएं ऐसी आयु पर प्राप्त कर सके, जो संबंधित सेवा/पद के लिए सार्वाधिक उपयुक्त हो। यह देखा जा सकता है कि स्वंय आयु-सीमा में कोई परिवर्तन करने से देश में रोजगार की संभावना को कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

3. फिर भी, भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी बनाये गए अथवा भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 अथवा उसके अधीन नियमों के अधीन गिरफ्तार किए गए उम्मीदवारों के संबंध में आयु-सीमा में छूट देने के आदेश सरकार द्वारा फरवरी, 1978 में जारी किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ शर्तों के अधीन एक अवसर, 1978 और 1979 के दौरान ले सकते हैं, बशर्ते कि उसने आपात स्थिति के दौरान हुई परीक्षा का कम से कम एक अवसर खो दिया था, जिसके लिए वह अन्यथा पात्र था।

4. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो अथवा पदोन्नति द्वारा हो, अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है।

विवरण

1. असम

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

2. बिहार

(i) न्यूनतम आयु सीमा—सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा—प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा सीधी भर्ती के संबंध में वर्ष 1979 तक के लिए इसे बढ़ा कर 30 वर्ष कर दिया गया है।

3. गुजरात

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा श्रेणी III तथा श्रेणी IV पदों (जिनको न्यूनतम अर्हताएं एस० एस० सी० हो) के लिए 25 वर्ष है।

(iii) अधिकतम आयु सीमा श्रेणी III के पदों (न्यूनतम अर्हता डिग्री) श्रेणी II तथा श्रेणी I के पदों के लिए 26 वर्ष है।

4. हरियाणा

(i) न्यूनतम आयु श्रेणी IV के लिए 16 वर्ष और श्रेणी III तथा अन्य उच्चतर सेवाओं के लिए 17 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है।

5. हिमाचल प्रदेश

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष और डाक्टरी के लिए 30 वर्ष है।

6. जम्मू एवम् कश्मीर

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है ; राजपत्रित चिकित्सा सेवाओं के लिए 32 वर्ष और पुलिस तथा फायर संगठनों के लिए 25 वर्ष है।

7. केरल

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

8. मध्य प्रदेश

(i) न्यूनतम आयु सीमा--सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा श्रेणी IV के पदों को छोड़कर 30 वर्ष है; श्रेणी IV के पदों पर भर्ती के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

9. महाराष्ट्र

(i) न्यूनतम आयु सीमा गैर-राजपत्रित पदों के लिए 18 वर्ष है और राजपत्रित पदों के लिए 19 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा गैर-राजपत्रित पदों के लिए 25 वर्ष है और राजपत्रित पदों के लिए 26 वर्ष है।

10. मणिपुर

(i) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है ।

(ii) अधिकतम आयु सीमा राज्य पुलिस सेवा, राज्य सिविल सेवा और पुलिस के कुछ अन्य वर्गों, उत्पाद शुल्क तथा वन कार्मिकों के लिए 25 वर्ष है।

(iii) अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी-II, श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के पदों के लिए 30 वर्ष है।

(iv) अधिकतम आयु सीमा श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के तकनीकी पदों के लिए 35 वर्ष है।

11. नागालैण्ड

(i) तकनीकी पदों को छोड़कर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है।

12. उड़ीसा

(i) न्यूनतम आयु सीमा (क) अराजपत्रित श्रेणी–III अनुसचिवीय तथा श्रेणी IV के लिए 18 वर्ष है ; (ख) अनुसचिवीय पदों को छोड़कर अराजपत्रित श्रेणी–III के लिए 20 वर्ष हैं ; (ग) राजपत्रित श्रेणी I, II, और III की सेवाओं के लिए 21 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा सभी मामलों में 28 वर्ष है।

13. पंजाब

(i) न्यूनतम आयु सीमा श्रेणी IV के लिए 16 और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 17 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा तकनीकी सेवाओं के लिए 40 वर्ष है।

14. सिक्किम

(i) राजपत्रित ग्रेडों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अन्य सभी के लिए 18 वर्ष है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

15. तमिलनाडु

(i) न्यूनतम आयु सीमा कोई नहीं है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है।

(iii) तकनीकी पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निर्धारित है।

16. पश्चिम बंगाल

(i) न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

(ii) अधिकतम आयु—विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भिन्न-भिन्न आयु सीमाएं हैं किन्तु किसी भी मामले में 30 वर्ष से कम नहीं।

Factories Manufacturing Telephone Wires

*603. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of factories in the country manufacturing telephone wires and whether their production capacity is enough to meet the requirements of the country; and

(b) whether Government propose to set up any small scale industries concerning telephones ?.

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) There are three factories in the public sector manufacturing telephone cables. Their production capacity is more than adequate to meet the requirements of telephone cables in the country. In addition there are a number of units in the small scale sector manufacturing wires used in the telephone system. Production capacity of these units is also adequate to meet the full requirements of the country.

(b) There are no proposals to set up any small scale industries for manufacture of telephones. However, a number of ancillary industries have been set up around the Indian Telephone Industries Limited by the private sector for making components for telephones.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में हानि

606. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में अभिगृहीत एवं चलाई जा रही कपड़ा मिलों में प्रतिमास लाखों रुपयों की हानि हो रही है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ मिलों को बन्द करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो हानि के कारण क्या हैं और इन मिलों को लाभ पर चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। इन मिलों को चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978) में हुई हानियों का मासिक औसत 48 लाख रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन मिलों में हानियों के प्रमुख कारण कम उपयोग, कम उत्पादिता, अपर्याप्त कार्यकारी पूंजी तथा श्रमिकों की अधिक संख्या का होना है।

इन मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में कुछ ये हैं :—

(1) मशीनों का आधुनिकीकरण/नवीकरण;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक वर्ग का युक्तियुक्तकरण ;

(3) केन्द्रीय आधार पर कच्चे माल की थोक खरीददारी;

(4) उत्पादन के तरीके में विविधता लाना;

(5) विपणन नीति में परिवर्तन करना;

(6) चुनी हुई अधिक हानि वाली मिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करना।

Industrial Licences recommended to Centre by Madhya Pradesh

*607. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of industrial licences recommended to the Centre by Madhya Pradesh Government and how many of them have so far been granted and how many are pending;

(b) the value of licences recommended; and

(c) whether the Union Government has also given an indication to the State regarding setting up of some industry with Central help and if so, the details thereof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) During the period 1-1-1975 to 31-12-1977, a total number of 149 licensing applications were received. Of these, 58 have been approved, 41 rejected and 38 otherwise disposed of (licence not required/exempted from Licensing Provisions, Application withdrawn by party etc). The remaining 12 applications are pending.

(b) Licences under the Industries (Dev. & Reg.) Act, 1951, are issued in terms of quantity and not in terms of value.

(c) Provisions for development of industries in the States are made in the Annual plans after discussions with the officials of the concerned State Government.

Merger of ISS & IES

*608. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to merge the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service into one service ;

(b) whether Feeder List system has been abolished in the recruitment of Grade IV posts in these services and these posts are now filled through direct recruitment; and

(c) if so, the system evolved for the promotion of departmental candidates to Grade IV posts and the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c) The existing system of promotion to Grade IV from feeder posts still continues. However, with a view to improving promotion propects and to attract best available talent to the Indian Economic Service and the Indian Statistical Service, the Third Central Pay Commission have, *inter alia*, recommended re-structuring of Grade IV of these Services. Pending a final decision on the re-structuring of Grade IV in the light of the recommendations of the Pay Commission, direct recruitment to that grade is not being made to the fullest extent provided for in the Rules. Some vacancies in Grade IV in each of the two Services are being filled from time to time through *ad hoc* promotions. The *ad hoc* arrangements will be terminated after the re-structuring of Grade IV has been finalised.

शीतल पेय का उत्पादन

609. **श्री गोन्विद मुंडा** : क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में, सोडा को छोड़कर शीतल पेय का उत्पादन लाखों बोतलों में कितना हुआ ;

(ख) वर्ष 1976 और 1977 में इसका उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) क्या इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा कमी और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस आयोग में अप्रयुक्त क्षमता भी है, यदि हां तो कितनी ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) सोडा को छोड़ कर शीतल पेय के आंकड़े अलग से नहीं नहीं रखे जाते। तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज 35 एककों में शीतल पेय (सोडा सहित) का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (दस लाख बोतलों में)
1970	917.44
1971	902.06
1972	930.00
1976	663.02
1977	518.02

(ग) उत्पादन में गिरावट मांग के सिमित होने के कारण हुई है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताया गया उत्पादन 17560 लाख बोतलों की अधिष्ठापित क्षमता के बदले प्राप्त हुआ है।

Foreign Assistance for Rajasthan Rural Electrification Programme

†*610. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) how and what assistance is being provided or proposed to be provided to Rajasthan under the Rural Electrification Project;

(b) whether it is a fact that large scale assistance is being received from some foreign Government or agency in the implementation of this Project; and

(c) if so, full facts in this regard ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Rural Electrification programmes are financed through the following sources :

(i) Rural Electrification Corporation

(ii) Under the Minimum Needs Programme, funds for which are routed through the R.E.C.; and

(iii) By the State Governments themselves.

For the year 1977-78, Rs. 12.25 crores were provided to Rajasthan.

(b) & (c) No assistance has been received from any foreign Government or Agency by the Rajasthan Government, for this programme. The Rural Electrification Corporation, however, received a grant of Rs.105 crores from the U.S. A.I.D. during the Fourth Five Year Plan period. The Corporation also entered into an Agreement with the I.D.A in 1975 and secured credit from that Agency which is being utilised for purchase of major items of equipment for transmission schemes. $ 57 million have been made available to the Corporation as a first instalment through annual budgetary allocations of the Government.

प्रसारण योजना के अंतर्गत नये प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

*611. **श्री धर्मवीर वशिष्ट**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 में नई दिल्ली में आयोजित आकाशवाणी तथा इलैक्ट्रोनिक्स के छठे सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या आई० टी० यू० द्वारा अनुमोदित की गई प्रसारण योजना में भारत में कम शक्ति वाले 352 रिले स्टेशनों सहित सम्भवतः कुल 780 स्टशन बनाये जा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र की 82 प्रतिशत जनसंख्या के पास पहुंचने के लिए, जिसमें मात्र 30 प्रनिशत साक्षर हैं, सही नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विचार-विमर्श मुख्यतया रेडियो और टेलीविजन उद्योग के विकास, इलैक्ट्रोनिकी घटकों, वाद्य संगीत विन्यास, अनुसंधान और विकास रेडियो और टेलीविजन के विकास उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी, आदि के बारे में हुआ था ।

(ख) जी, हां। आई० टी० यू० प्रसारण योजना में, भारत को 780 ट्रांसमीटरों के लिए आवृत्ति नियतन की अनुमति दी गई है । इनमें से 352 अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं जो जिला/स्थानीय स्तर के रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए हैं । इससे आकाशवाणी विभिन्न शक्ति के 780 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से युक्त 370 रेडियो स्टेशनों की व्यवस्था कर सकेगी जबकि इस समय 124 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से युक्त केवल 84 रेडियो स्टेशन हैं ।

(ग) फिलहाल प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत 88.44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र आता है। तथापि, संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार समय-समय पर नये केन्द्र स्थापित किए जाते हैं ताकि प्रसारण सेवा अधिक

से अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा सके। साथ-साथ ग्रामीण लोगों की रुचि के कार्यक्रमों की अभिकल्पना कर उनको प्रसारित किया जाता है।

किसानों के लिए जानकारी देने वाला संचार माध्यम

*612. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में किसानों के लिए जानकारी देने वाले अच्छे संचार माध्यम की बहुत आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्र में किसानों के लिए सूचना का प्रसार करने के लिए अभिकल्पित प्रचार कार्यक्रमों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रसारण, क्षेत्रीय प्रचार एककों के माध्यम से विस्तार कार्य तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से मुद्रित साहित्य का वितरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय का विस्तार निदेशालय गांवों में व्यावसायिक संचारकों से युक्त बहु संचार माध्यमों के जरिए कृषि विकास कार्यक्रमों का अनुपोषण करता है। यह एकक गांवों में किसानों में प्रचार करने के लिए मुद्रित साहित्य, श्रव्य दृश्य साधनों, वैयक्तिक बातचीतों और गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के बहुविध कार्यक्रम का उपयोग करता है।

2. आकाशवाणी के सभी 84 केन्द्र ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनमें से 49 केन्द्रों में विशेष कृषि और गृह यूनिटें हैं जो कृषि और तत्संबंधित विषयों पर तकनीकी/वैज्ञानिक सूचना नियमित आधार पर उपलब्ध कराती हैं। इसी तरह, 7 दूरदर्शन केन्द्र कृषि पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और "साइट" उत्तरवर्ती 5 ट्रांसमीटर अर्थात्, रायपुर, जयपुर, गुलबर्ग, पिज़ और हैदराबाद जो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, वे मुख्यतया ग्रामीण हैं। अनवरत योजना 1978–83 के दौरान, ग्रामीण प्रसारण का विस्तार करने और उसको सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। ध्वनि प्रसारण में नया कदम स्थानीय आधार पर विकासशील आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थानीय रेडियो स्टेशनों की स्थापना की ओर ही है। व्याप्ति में वृद्धि करने के लिए आकाशवाणी में और कृषि एवं गृह यूनिटें स्थापित की जा रही है। क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि श्रव्य-दृश्य साधनों से युक्त प्रचार यूनिटें देश के दूरस्थ स्थानों में भी प्रचार कार्य कर सकें। इसी तरह, विस्तार निदेशालय व्यापक व्याप्ति के लिए अपनी प्रचार योजनाओं की सघनता और व्याप्ति का विस्तार कर रहा है।

मनोरंजन-कर के कारण सांस्कृतिक संगठनों को हो रही कठिनाइयां

*613. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मनोरंजन-कर में छूट पाने में हो रही भारी कठिनाइयों के कारण सांस्कृतिक संगठनों को सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करना बहुत मुश्किल हो रहा है ;

(ख) क्या विज्ञापनों पर सरकारी रोक के फलस्वरूप धन एकत्रित करने में आई बाधा को देखते हुए कुछ संगठनों का राजधानी में हड़ताल करके सांस्कृतिक जीवन को ठप्प करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । दिल्ली प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई है कि सभी सही मामलों में कानून के अनुसार मनोरंजन कर में छूट दी जाती है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े और छोटे अपराध

*614. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में ग्वालियर में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि गत दस महीनों के दौरान पूरे देश में बड़े अपराधों में कमी हुई है जबकि छोटे अपराधों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तार-पूर्वक अर्थ और आशय क्या है; और

(ग) प्रभावी कार्यवाही के लिये छानबीन के तारीकों तथा तकनीकों के आधुनिकीकरण के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हत्या, निन्दनीय अपराध जिसे हत्या में नहीं गिना जा सकता, डकैती तथा राहजनी जैसे अपराधों में कुल मिलाकर कमी हुई है जबकि धोखाधड़ी जालसाजी जैसे छोटे अपराधों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) 1969-70 में प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1977-78 में 43.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है :—

(1) परिवहन

(2) बेतार संचार व्यवस्था

(3) जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक सहायता

(4) प्रशिक्षण

(5) संगणक

पुलिस के लिए सबसे अच्छे सामान के चयन करने और फिर प्रशिक्षण द्वारा इसकी देख-भाल करने पर बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अन्य बातों के साथ जांच-पड़ताल की प्रणाली और उसको दक्ष, वैज्ञानिक तथा मानव मर्यादा के अनुकूल बनाने के लिए इसके परिवर्तन समेत पुलिस प्रणाली का गहन पुनरीक्षण करेगा।

रामन पनबिजली परियोजना के निकट सड़कों का निर्माण

*615. **श्री के० बी० चेतरी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों का निर्माण-कार्य, जहां दार्जिलिंग जिले में रामन पनबिजली परियोजना बन रही है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थानीय लोगों के असंतोष को देखते हुए ठेके का रद्द किया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर ही सीमा सड़क विकास बोर्ड इस कार्य के निष्पादन के लिए सहमत हुआ है।

(ग) केन्द्र सरकार को ऐसे किसी असंतोष की जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं लायी गयी है। फिर भी इस मामले में निर्णय पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड ने ही लिया है।

आदिवासी तथा हरिजन गांवों का विद्युतीकरण

*616. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी गांवों को, जहां एक हजार से अधिक की आबादी है, बिजली देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आदिवासी तथा हरिजन गांवों की आबादी सामान्यता 300 और 600 के बीच होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस नीति से आदिवासियों तथा हरिजनों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा; और

(घ) क्या सरकार उन आदिवासियों और हरिजनों को, जो बहुत गरीब तथा पिछड़े हैं, बिजली का लाभ देने के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण के अंतर्गत गांवों को शामिल करने में सरकार ऐसे गांवों के विद्युतीकरण को महत्व देती है जिनमें हरिजनों, आदिवासियों और जनसंख्या के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या बसती हो।

गत तीन वर्षों में भरे गये प्रोड्यूसरों के पदों की संख्या

5603. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सीमित चयन के आधार पर प्रोड्यूसरों के कितने पदों को भरा गया ;

(ख) प्रोड्यूसर के प्रत्येक पद के कार्य का स्वरूप क्या है तथा ये पद किन-किन केन्द्रों में थे ;

(ग) क्या इन पदों पर का करने के लिए प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को उपर्युक्त व्यक्ति नहीं मिल सके ;

(घ) प्रोड्यूसरों के सीमित चयन का विनियमन किन नियमों के अंतर्गत होता है और क्या प्रोड्यूसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी विद्वान और विशिष्ट लेखकों को बुलाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न केन्द्रों में कार्यरत प्रसिद्ध साहित्यकारों को इन पदों के लिए गत चयन में बुलाया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी में सीमित चयन के आधार पर प्रोड्यूसरों के 32 पद भरे गए थे।

(ख) एक विवरण (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें प्रोड्यूसरों के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीख, जिन केन्द्रों पर वे तैनात किए गए, उनके नाम, तथा जिस कार्यक्रम के लिए उनका चयन किया गया उसकी श्रेणी दी हुई है।

(ग) प्रोड्यूसरों के पद स्टाफ आर्टिस्ट की श्रेणी में आते हैं और इस श्रेणी में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जाती। अतः प्रोड्यूसरों के पदों के लिए चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन नहीं किया गया था।

(घ) वर्तमान भर्ती नियमों के अन्तर्गत, प्रोड्यूसर शत प्रतिशत स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों के लिए खुले सीमित चयन द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले सभी स्टाफ आर्टिस्टों को सीमित चयन के लिए अवसर मिलता है। प्रोड्यूसरों के पद पर नियुक्ति के लिए विद्वानों और विशिष्ट लेखकों के बारे में भी विचार किया जाता है यदि वे पद के लिए आवेदन करें और उपयुक्त पाए जाएं।

(ङ) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में कार्यरत उन प्रसिद्ध साहित्यकारों, यदि कोई हो, जिन्होंने आवेदन किया और जो पात्र थे, के बारे में इन पदों के लिए विचार किया गया था।

विवरण

प्रोड्यूसर का नाम	नियुक्ति की तारीख	उस केन्द्र का नाम जहां तैनात किया गया	कार्यक्रम की श्रेणी
1	2	3	4
1. श्रीमती बन्दना मुखोपाध्याय	3-9-77	विदेश सेवा प्रभाग	अंग्रेजी भाषित कार्यक्रम
2. श्री आर० श्रीधरन	10-2-78	कोयम्बत्तूर	तमिल भाषित कार्यक्रम
3. श्री एम० एच० सिद्दीकी	24-12-77	विदेश सेवा प्रभाग	महिला और बाल
4. श्री हरिश तिवारी	2-5-77	इन्दौर	औद्योगिक कार्यक्रम
5. श्री वीरेन्द्र मुन्शी	2-5-77	इन्दौर	भाषित (हिन्दी)
6. श्री टी० वाई० खोसला	1-6-77	कुर्सियांग	महिला और बाल
7. कुमारी कलावती ठाकुर	23-3-77	शिमला	हिमाचली कार्यक्रम
8. श्री बलबीर सिंह कल्सी	9-2-77	जलन्धर	लोक/आदिवासी कार्यक्रम
9. श्री जी० एच० अलादकटटी	15-12-76	बंगलौर	शैक्षणिक प्रसारण
10. श्रीमती ज्योति पुरकायस्थ	1-12-76	सिल्चर	महिला और बाल
11. श्रीमती दिपाली बसुराय	19-11-76	अगरतला	लोक संगीत
12. श्री एम० के० रामकृष्णन्	25-9-76	कालीकट	नाटक
13. श्री पी० कृष्णस्वामी	14-6-76	मद्रास	शैक्षणिक प्रसारण
14. श्री कमर अहमद	25-5-76	बीकानेर	शैक्षणिक प्रसारण
15. श्रीमती झरना दास	7-4-76	सम्बलपुर	महिला और बाल
16. श्री नरेन्द्र पंडित	5-4-76	इन्दौर	युवा वाणी
17. श्री एच० एम० खान	6-3-76	जयपुर	भाषित कार्यक्रम
18. श्री रामदास मूंगेरी	18-2-76	भोपाल	हिन्दुस्तानी संगीत
19. श्री जी० एन० चतुर्वेदी	27-1-76	मथुरा	भाषित

1	2	3	4
20.. श्री वाई० एन० क्षिरसागर	24-10-76	औरंगाबाद	शास्त्रीय संगीत
21. श्री वी० वाई० भटकर	1-10-75	जलगांव	भाषित
22. श्रीमती अशिमा भट्टाचार्य	1-8-75	कलकत्ता	सुगम संगीत
23. श्री विजय भूषण शर्मा	30-7-75	विशाखापतनम्	भाषित
24. श्री पी० एस० पी० दीक्षितुलु	28-7-75	विजयवाड़ा	भाषित
25. श्री हरभजन सिंह	27-7-75	जलन्धर	भाषित
26. श्री एस० के० उपाध्याय	19-7-75	रांची	नाटक
27. श्री जी० एन० श्रीहट्टी	11-7-75	गुलवर्ग	भाषित
28. श्री अज्हर अफसर	8-5-75	हैदराबाद	उर्दु कार्यक्रम
29. श्री एन० एन० वहेरा	28-4-75	सम्बलपुर	भाषित
30 श्री ताशीअंगदुश	28-3-75	लेह	लद्दाखी संगीत
31. श्री आर० भारद्वाज	15-3-75	हैदराबाद	भाषित
32. श्री गणेश झा	28-2-75	भागलपुर	भाषित

तलचर में हैवी वाटर संयंत्र

5604. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचर में निर्माणाधीन हैवी वाटर संयंत्र को पूरी तरह बनाने में अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ख) जब इसमें उत्पादन पूरी तरह आरम्भ हो जायेगा तब इसमें श्रेणी-वार कितने कर्मचारी काम करेंगे;

(ग) उक्त संयंत्र में अब कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(घ) संयंत्र में उत्पादन शुरू होने में अनुमानतः कितना समय (मास और वर्ष) लगेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 46.10 करोड़ रुपये।

(ख) वैज्ञानिक 37
तकनीकी 174
प्रशासनिक/लेखा/सहायक . . . 180

(ग) वैज्ञानिक 36
तकनीकी . . . 95
प्रशासनिक/लेखा/सहायक . 139

(घ) मार्च, 1979, बशर्ते कि उत्पादन के लिए आवश्यक माल उपलब्ध हो।

"कोल शार्टेज हिंट्स सूरत फैक्ट्रीज" शीर्षक से समाचार

5605. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1978 में "नेशनल हेराल्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सूरत में कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला आबंटित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) नवीनतम जानकारी के अनुसार जनवरी, फरवरी, और मार्च, 1978 के दौरान सूरत में उद्योगों को की गई कोयले की सप्लाई, गत वर्ष के इन्हीं महीनों में की गई सप्लाई से कहीं अधिक है। सूरत में उपभोक्ताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए कोयला कम्पनियों के पास कोयले का पर्याप्त स्टाक है।

विडियो सेटों का आयात

5606. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **इलेक्ट्रानिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान शुल्क का भुगतान करके भारत में कुल कितने विडियो टेलीविजन सैटों का आयात किया गया ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इनका आयात किया; और

(ग) इन निषिद्ध वस्तुओं को आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) : इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

गोवा दमण और दीव के विकास के लिए राशि का नियतन

5607. **श्री एडुआर्डो फैलीरो**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए विकास के लिए आज तक कुल कितना धन नियत किया गया है

(ख) क्या उन आवश्यकताओं को देखते हुए उसे बहुत ही कम राशि नियत की गई है – और

(ग) अन्य राज्यों और संघ क्षेत्रों को नियत की गई राशि की तुलना में इसे आवंटित राशि की प्रतिशतता क्या है – और अगली योजना में योजनागत नियत राशि में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गोवा दमण और दीव के लिए तीसरी योजना (1961-66) से लेकर 1978-79 की वार्षिकी योजना तक के योजना परिव्यय/व्यय संलन सारणी में दिखाए गये हैं।

(ख) किए गए योजना आवंटन संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वर्षानुवर्ष प्रस्तावित परिव्ययों से बहुत कम नहीं थे। क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं को और साथ ही संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर योजना आवंटन किए जाते हैं।

(ग) सभी संघ शासित क्षेत्रों और साथ ही सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के आवंटनों की तुलना में गोवा दमण और दीव के आवंटनों का प्रतिशत भी संलगन विवरण में दिया गया है। अन्य संघ शासित क्षेत्र की तुलना में गोवा दमण और दीव की आर्थिक और आधारभूत व्यवस्था बेहतर और ठोस है। निरपेक्ष दृष्टि से योजना आवंटन हर वर्ष बराबर बढ़ रहे हैं।

विवरण

योजना परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपए)

	तीसरी योजना 1961—66		तीन वर्षिक योजनाएं 1966—69		चौथी योजना 1969—74			संशोधित पांचवीं योजना 1974—79			वार्षिक योजना 1978-79	
	परिव्यय	गोवा का परिव्यय उसके प्रतिशत के रूप में	परिव्यय	गोवा का परिव्यय उसके प्रतिशत के रूप में	परिव्यय	गोवा का परिव्यय उसके प्रतिशत के रूप में	तीसरी योजना से प्रतिशत वृद्धि	परिव्यय	गोवा का परिव्यय उसके प्रतिशत के रूप में	चौथी योजना से प्रतिशत वृद्धि	परिव्यय	गोवा का परिव्यय उसके प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा, दमण और दीव .	15.27		19.82		41.93		171.6	85.00		102.7	27.50	
सभी संघ शासित क्षेत्र	138.66	11.0	106.42	18.6	278.12	15.1	100.6	634.06	13.4	128.0	214.25	12.8
सभी राज्य . .	4226.93	0.4	3118.91	0.6	7674.10	0.5	81.6	18284.22	0.5	138.3	5583.94	0.5

त्रिपुरा में स्थापित की जा रही जूट मिलें

5608. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या उद्योग मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में एक जूट मिल स्थापित की जा रही है यदि हां तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस मिल के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी हां । मिल के भवन के बनाने का कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे कर लिये गये हैं । देशी मशीनों के लगाने का काम चल रहा है ।

(ख) मिल के इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है ।

P.M's. Relief Fund for Cyclone Affected People

5609 : **Shri Raghavji** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total amount received in the Prime Minister's Relief Fund for the cyclone affected people upto the 28th February, 1978; and

(b) the amount, out of it spent so far and the names of the organisations or Governments through which the same has been spent indicating the heads under which it has been spent ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Rs. 6,46,89,406.50.

(b) Out of this, the amounts disbursed so far are :

	Rs.
1. To Government of Andhra Pradesh	3,02,00,000.00
2. To Government of Tamil Nadu	1,01,00,000.00
3. To Government of Pondicherry	1,00,000.00
4. To Government of Kerala	1,00,000.00
5. To Administrator, Lakshadweep	50,000.00
	4,05,50,000.00

The grants from the Prime Minister's National Relief Fund are being used by the Andhra Pradesh Government in long-range rehabilitation programme of housing and construction of cyclone shelters, by the Tamil Nadu Government for meeting immediate needs of clothing of the people in the cyclone affected areas, in Kerala for repair/reconstruction of houses damaged or destroyed and cash assistance for loss of lives and injuries, and in Lakshadweep for repair of boats damaged. Information regarding utilisation in Pondicherry is still awaited.

मिजोरम में चम्फई के निकट कोयले के निक्षेप

5611. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि मिजोरम में बर्मा की सीमा के निकट चम्फई कस्बे के निकट अच्छी प्रकार के कोयले के सघन निपेक्ष होने के अच्छे प्रमाण उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां तो क्षेत्र में कोयले का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिये उन क्षेत्रों का तत्काल भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने और निष्कर्षों को सभा पटल पर रखने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन): (क), (ख) और (ग) : जी नहीं । फिर भी क्यूलकुल से जो चम्फई से 87 किलोमीटर पश्चिम में है, लगभग 50 किलोमीटर उत्तर न्गौपा के समीप 4 से 5 सेन्टीमीटर चौड़ाई की कोयले की शिरिकाएं व लेन्स दिखाई पड़े हैं । उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

बी० सी० सी० एल० एण्ड ई० सी० एल० को संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन

5613. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों ने गत तीन महीनों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० निरसा मुगुरा जोन से कितने अभ्यावेदन याचिकायें तथा पत्र भेजे हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड लि० कठारा जोन को भी ऐसे ही पत्र याचिकायें और अभ्यावेदन भेजे गये हैं ,

(ख) क्या यह सच है कि प्रबंधकों ने सभी मामलों में संसद सदस्यों के पत्रों तथा अभ्यावेदनों की तीन दिन के अन्दर पावती भेजने तथा 21 दिन के अन्दर उत्तर भेजने सम्बन्धी सरकारी अनुदेशों का ध्यान रखा है; और

(ग) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) (क) सेन्ट्रल कोल फील्डस लि० को जनवरी—मार्च 1978 के दौरान एक संसद सदस्य से केवल एक पत्र कठारा जोन के बारे में सीधे प्राप्त हुआ था । इसका उत्तर भेजा जा रहा है । इस अवधि के दौरान ई० को० लि० को किसी संसद सदस्य से कोई प्रतिवेदन सीधे प्राप्त नहीं हुआ । भा० कों० को० लि० के बारें में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) व (ग) : सभी सरकारी उपक्रमों से कहा गया है कि वे संसद सदस्यों के पत्रों पर तुरंत कार्रवाई करें । जिन मामलों में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं होती उन्हें छोड़कर इन पत्रों के उत्तर सामान्यतया उचित समय में भेज दिए जाते हैं ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में खिलाड़ियों के पदों का आरक्षण

5614. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित कोटे पर लाखों रुपये की धनराशि खर्च करने के बारे में 6 मार्च, 1978 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कुछ पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, जिन्होंने खेलों में विशिष्टता प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो पदों की प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और खेलों की प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कौन-कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खेलों में इन व्यक्तियों का क्या कार्य सम्पादन रहा है ;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने खिलाड़ी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान, पटियाला में 1974 में प्रशिक्षण के लिए भेजा था; और

(च) यदि हां, तो क्या उनके प्रशिक्षण का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) से (च) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Implementation of Recommendations of Third Pay Commission in respect of Staff Artists in Doordarshan

5615. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether irregularities have been committed in implementing the recommendations of the Third Pay Commission in respect of staff artists in Doordarshan, if so, reasons therefor; and

(b) whether the persons drawing Rs. 170 have been given payscale of Rs. 650 while those drawing Rs. 325 have been given the pay scale of Rs. 550 and the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) No, Sir.

(b) Music Composer (Junior) in Doordarshan with fee scale of Rs. 170-335 have been given the fee scale of Rs. 550-900 on the analogy of similar fee scale in A.I.R.

It is correct that cameraman Grade-II in Doordarshan in the fee scale of Rs.325-560 have been given the pay scale of Rs. 550-900 which is the translated scale of Rs. 325-575.

Some staff artists have brought to Government's notice some anomalies which are being considered by an Inter-Departmental Committee set up by Government.

Goods sold on Credit by Khadi Bhavan, New Delhi

5617. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that goods are sold on credit by the Khadi Bhavan, New Delhi;

(b) if so, full details in regard to the credit customers against whom a sum of more than five thousand is outstanding and the name of the officer responsible therefor; and

(c) whether under the rules of Khadi Commission, Government propose to recover the entire credit amount from the salary of the officer responsible for selling goods on credit ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes, Sir.

(b) There are 134 credit customers against whom a sum of more than Rupees five thousands is outstanding.

(c) Does not arise. In the type of business carried on by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, it is normal trade practice to supply goods on credit to various customers, particularly for wholesale business.

महाराष्ट्र में विदेशी मिशनरी

5618. **श्री आर० के० महालंगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की राष्ट्रीयता-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों की तुलना में उक्त विदेशी मिशनरियों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पहली जनवरी 1977 को जो नवीनतम तारीख है तथा जहां तक की जानकारी उपलब्ध है महाराष्ट्र सरकार में पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की संख्या का राष्ट्रीकताबार एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1975 में 110 की कमी और 1976 में 85 की वृद्धि हुई थी।

विवरण

राष्ट्रीकता	संख्या
अमरीकन	112
आस्ट्रेलियन	29
बेलजियन	14
ब्रिटिश	101
कनेडीयन	27
फ्रेंच	21
जर्मन	28
आयरिश	27
इटेलियन	32
श्रीलंका	48
स्वीस	16
स्वीडिश	16
स्पेनिश	55
अन्य	55
जोड़	581

भारत में सैनिक स्कूलों की संख्या

5619. **श्री अहमद एम० पटेल:**

श्री रणजीत सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने सैनिक स्कूल चल रहे हैं तथा कहां-कहां पर;

(ख) सैनिक स्कूलों में दाखले की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार दाखले की प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने नये स्कूल खोलने का विचार है और ये कब तक खोले जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी इस समय सत्रह सैनिक स्कूलों का संचालन कर रही है। जिन स्थानों पर ये 17 स्कूल खोले गए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कलों में प्रत्येक वर्ष छठी श्रेणी में दाखिला दिया जाता है। यह दाखिला अखिल भारतीय आधार पर लिखित प्रवेश परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त लड़कों के साक्षात्कार तथा स्वास्थ्य परीक्षाओं के आधार पर उपलब्ध स्थानों के अनुसार किया जाता है। इन सैनिक स्कूलों में रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं। इन जातियों के लिए लिखित परीक्षा में भी अर्हक स्टेंडर्ड में उपयुक्त छूट दी जाती है। मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कुछ क्षेत्रों के लड़कों के बारे में निर्धारित स्टेंडर्ड में छूट दी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में प्रवेश की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन अथवा सुधार करने के विचार से सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड आफ गवर्नर्स ने एक उप-समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ताकि समाज के पिछड़े वर्गों जिसमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां भी सम्मिलित हैं से उपयुक्त लड़कों को और अधिक संख्या में प्रवेश दिया जा सके। यह उप-समिति नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियन्त्रण में एक नया सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में सुजानपुरा-तिरा में खोला जा रहा है। यह स्कूल जुलाई 1978 में चालू हो जाने की आशा है।

विवरण

सैनिक स्कूलों के स्थानों की सूची

1. सैनिक स्कूल, सतारा (महाराष्ट्र)
2. सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (जिला करनाल) (हरियाणा)
3. सनिक स्कूल, बलाचडी (जामनगर) (गुजरात)
4. सैनिक स्कूल, कपूरथला (पंजाब)

5. सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
6. सैनिक स्कूल, कोरकोंडा जिला विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
7. सैनिक स्कूल, काजा कोटम, त्रिवेन्द्रम (केरल)
8. सैनिक स्कूल, पुरुलिया, जिला पुरुलिया (पंश्चिम बंगाल)
9. सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
10. सैनिक स्कूल, अमरावती नगर, जि० कोयम्बटूर (तमिलनाडू)
11. सैनिक स्कूल, रेवा (मध्य प्रदेश)
12. सैनिक स्कूल, तिलैया डेम, जिला हजारीबाग (बिहार)
13. सैनिक स्कूल, बीजापुर (करनाटक)
14. सैनिक स्कूल, गौलपाड़ा (असम)
15. सैनिक स्कूल, घोड़खाल, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)
16. सैनिक स्कूल, नगरोता तवी पर, जम्मू (जे० एण्ड के०)
17. सैनिक स्कूल, इम्फाल (मणिपुर) ।

Reservation of Dhoti and Saree Production for Small Industry

5620. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether reservation of Dhoti and Saree production for small industry is considered justified by the Government from the point of mitigating unemployment and under-employment;

(b) if so, the reasons for not making such a provision in their industrial policy ;

(c) whether the present policy goes to the advantage of big industry; and

(d) if so, whether Government propose to review the policy to provide employment to the poor and unemployed and if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) The Statement of Industrial Policy laid on the Table of the House on 23-12-1977 already contain mention of Government's policy decision not to permit any expansion in the weaving capacity in the organised mill and powerloom sector so that the clothing needs of the masses can be progressively met through the development of handloom sector and khadi sector. Dhoti and Sarees of specified categories are already reserved for production in handloom sector and Government will enforce this reservation.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों की क्रियान्विति

5621. **श्री मनोहर लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की सिफारिशों को लोकहित में क्रियान्विति के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये थे तथा वर्तमान जनता सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(1) नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्या की जाँच करना--अगस्त, 1966 ;

(2) जीवन बीमा निगम के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का आठवाँ प्रतिवेदन--दिसम्बर, 1972; और

(3) केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी प्रशासन के बारे में--जनवरी, 1969 ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : सरकार के विभिन्न क्षेत्रों/विभागों से संबंधित प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई अध्ययन दलों की स्थापना की थी । अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विचार किया गया था और अपनी रिपोर्ट बनाते समय आयोग ने उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा था।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्याएं", 'जीवन बीमा प्रशासन' और 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन' पर रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इन तीनों रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों और कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति उस विस्तृत विवरण पत्र में दी गई थी जिसमें केन्द्रीय सरकार के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशें दी गई थीं और जो 17 नवम्बर, 1977 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

आदिवासी क्षेत्र प्रशासन के बारे में प्रशासनिक प्रतिवेदन पेश करने में विलम्ब

6622. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं अनुसूची के अधीन आदिवासी क्षेत्र प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन राज्यों द्वारा भारत सरकार को समय पर पेश नहीं किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा इसमें विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रतिवेदनों को समय पर पेश करने के लिए राज्यों को क्या अनुदेश दिये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) प्रतिवेदनों को पेश करने के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :--

वर्ष	उन राज्यों का नाम जहाँ से प्रतिवेदन आने हैं
1974-75	आँध्र प्रदेश
1975-76	आँध्र प्रदेश, तथा मध्य प्रदेश
1976-77 . .	आँध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान।

(ख) तथा (ग) मौलिक रूप से अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र पूरे प्रशासनिक एककें नहीं बनाते हैं तथा प्रधानत: आदिवासी क्षेत्रों के बड़े भाग को भी छोड़ देते हैं। इससे ऐसे क्षेत्रों में विकासीय तथा बचाव उपायों के सार्थक तथा तुलनात्मक स्वरूप के संकलन करने में समस्या पैदा हो गई। सभी आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को लाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के युक्तिकरण के पूरा हो जाने के बाद आशा की जाती है कि प्रशासनिक प्रतिवेदन समय पर आते रहेंगे।

राज्यों से जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं समीक्षाधीन वर्ष के बाद के वर्ष में 31 अक्तूबर तक प्रशासनिक प्रतिवेदनों को पेश करने का अनुरोध किया गया है।

सौराष्ट्र के सलाया पत्तन पर पत्तन सुविधाएं

6623. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :**
श्री विनोद भाई बी० शेठ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सौराष्ट्र के सलाया पत्तन पर भारी मात्रा में लदान करने और मशीनी उपकरणों सहित कन्वेयर प्रणाली वाले तेल टर्मिनल और अन्य पत्तन सुविधाओं के लिए

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अगली पंचवर्षीय योजना में लगभग 7.23 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने के लिए गुजरात सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सलाया पत्तन पर तेल के यातायात और सस्ती लागत पर शुष्क कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी और उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) तथा (ग) मुख्य पत्तनों से भिन्न अन्य सभी पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। चौथी योजना में प्रत्येक समुद्री राज्यों से चुने गए एक लघु पत्तन के विकास के लिए राज्य सरकारो को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए गुजरात से चुना गया पत्तन पोरबन्दर हैं। पांचवीं योजना में यह चौथी योजना से आगे लाई गई एकमात्र योजना है।

राज्य सरकार ने अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली योजना में केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में भारी माल (7.5 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर) के लिये गहन जल सीधे घाट पत्तन के रूप में सलाया पत्तन विकास की योजना शामिल करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा था। अप्रैल, 1978 की प्रारम्भ योजना अवधि में लघु पत्तनों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के नमूने पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की रक्षा करने वाली औद्योगिक योजना

5624. **श्री अमृत कासर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ, दमन और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक ऐसी औद्योगिक योजना के लिए स्वीकृति मांगी है जिससे संघ क्षेत्र में ग्राम और कुटीर उद्योगों की रक्षा होगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना की स्वीकृति और उसके लिए अनुदान देने के लिए अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) गोवा, दमन और दीव सरकार ने संघ क्षेत्र में विकास के लिए 10 उद्योगों का प्रस्ताव किया है। ये हैं: मिट्टी और चीनी मिट्टी की वस्तुएं, लकड़ी पर नक्काशी, सुनहरी पालिश के बरतन तथा बढ़ईगीरी, बाँस पर आधारित वस्तुएं, पीतल के बरतन, चमड़े की हस्तकला की वस्तुएं, हाथी दाँत पर नक्काशी तथा कछुए की पीठ से बनी वस्तुएं, दर्जीगिरी, छाता बनाने का उद्योग, सीसत फाइजर तथा गुड़ियाँ बनाना और कागज मिट्टी की वस्तुएं जैसी विविध वस्तुएं बनाना। इन प्रस्तावों पर संघ योग की 1978-79 की वार्षिक योजना पर दिसम्बर, 1977 में हुए विचार-विमर्श के दौरान विचार किया गया। 1975-76 के 9.00 लाख रु० के वास्तविक व्यय के लिए 1976-77 में 9.92 लाख रु० तथा 1977-78 के 13.65 लाख रु० के पूर्वानुमानित व्यय पर 1978-79 के लिए बढ़ाया हुआ परिव्यय 25 लाख रुपये कर दिया गया। जैसा कि 17 दिसम्बर, 1977 को मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ का सम्मेलन

5625. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ का हाल ही में दिल्ली में कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ ने सड़क परिवहन को महत्वपूर्ण क्षेत्र में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है ताकि सड़क परिवहन के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की जा सके।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) 1978-83 के योजना मसौदे में "कोर सेक्टर" का कोई सन्दर्भ नहीं है। मूल नीति ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, घरेलू उद्योगों द्वारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना तथा ग्रामीण विकास को उन्नत करना है। ग्रामीण सड़कों की इस कार्यक्रम का मुख्य अंग के रूप में विशेष व्याख्या की गई है। अतः इसे नई योजना का सार-भाग माना गया है। सड़कों के विकास तथा सड़क परिवहन को विशेष महत्व दिया गया है, इसके लिए योजना प्रारूप में इन क्षेत्रों के नियतनों में काफी वृद्धि की गई है जैसा कि विवरण में दिया गया है।

(रुपए करोड़ों में)

	1974-78 के दौरान व्यय	प्रस्तावित नियतन 1978-83
(i) राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कें (सेन्ट्रल सेक्टर) . .	315	680
(ii) ग्रामीण सड़कों का विकास (राज्य सेक्टर) . .	200	800
(iii) सड़क परिवहन (राष्ट्रीयकृत यात्री परिवहन) . .	461*	740

*पाँचवीं योजना व्यवस्था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए नये नियम

5626. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच कोई ऐसे नये नियम बनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर एक सेवा अवधि पूरी कर लेने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नियमों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल): (क) से (ग) अखिल भारतीय और अन्य संगठित केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी कार्यकाल को निर्धारित अवधियों के लिए केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर कार्य करते हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि कार्यकाल सम्बन्धी नियम को सभी स्तरों पर समान रूप से तथा कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए।

चलचित्र वित्त निगम तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम में रिक्त पदों का आरक्षण

5627. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक निम्नलिखित उपक्रम में श्रेणी I, II, III और IV के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं :--

1. चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड,
2. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड ।

(ख) प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या रिक्त पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के इन आदेशों का इन उपक्रमों भर्ती एवं पदोन्नति के मामलों में पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अड़वानी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

फिल्म वित्त निगम लि० और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि० में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (श्रेणीवार) तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या
1. फिल्म वित्त निगम	श्रेणी 1–13	श्रेणी-1–शून्य	श्रेणी 1–शून्य
	श्रेणी 2–शून्य	श्रेणी 2–शून्य	श्रेणी 2–शून्य
	श्रेणी 3–43	श्रेणी 3–4	श्रेणी 3–2
	श्रेणी 4–11	श्रेणी 4–1	श्रेणी 4–शून्य
2. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	श्रेणी 1–7	श्रेणी 1–1	श्रेणी 1 }
	श्रेणी 2–2	श्रेणी 2–शून्य	श्रेणी 2 } शून्य
	श्रेणी 3–16	श्रेणी 3–शून्य	श्रेणी 3 }
	श्रेणी 4–8	श्रेणी 4–1	श्रेणी 4 }

पश्चिम बंगाल में सड़कों के लिए केन्द्रीय अनुदान

5628. **श्री कृष्ण चन्दर हलदर**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में कुछ सड़कों का वित्तपोषण केन्द्रीय अनुदान से हो रहा है और कटवा-कारुई सड़क उस योजना का ही एक अंग हैं;

(ख) यदि हां, तो कटवा-कारुई सड़क का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था; और

(ग) उस सड़क के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) सम्भवतया, सदस्य का आशय पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सड़क निधि से अनुमोदित बर्दवान जिलों की योजनाओं से है। भारत सरकार ने इस स्त्रोत से **बर्दवान** जिले में कटवा-कुरुई सड़क जिसकी लागत 22,46,500 रु० है, सहित पश्चिम बंगाल में कुछ कार्य अनुमोदित किए हैं। इस सड़क पर कार्य 1969-70 में प्रारम्भ किया गया था। नवीनतम सूचना के आधार पर केवल मील 7 के पुल को छोड़ कर सम्पूर्ण सड़क का कार्य पूरा हो चुका है राज्य सरकार से इस पुल के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया गया है।

चीन के साथ 1962 में हुये संघर्ष में लापता जवान

5629. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 तक भारत पर चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कितने जवान अभी तक लापता घोषित किये जाते रहे हैं;

(ख) क्या 1962 के संघर्ष में लापता जवानों को खोजने के लिए चीन मेनलेड की सरकार से कोई सम्पर्क किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत और चीन के बीच परिवर्तित राजनीतिक वातावरण में भारत सरकार इस मामले पर चीनी अधिकारियों के साथ पुनः बातचीत करेगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्या ये जवान सदा के लिए लापता हो गये हैं या उनमें से कुछ चीन के कब्जे में हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1962 के चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप भारतीय सशस्त्र सेनाओं का कोई जवान अब लापता सूची में नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के उन सभी कार्मिकों को जिन्हें चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप लापता घोषित किया गया था निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार और रेडक्रास के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग सहित सभी संभव स्त्रोतों के माध्यम से खोजबीन करने के बाद सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए पहले ही 'युद्ध में मारे गये' मान लिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार, हमारे लिए यह उम्मीद या विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि लापता सिपाहियों में से कोई सिपाही अब जीवित है अथवा चीन में बन्दी है। इस मामले में अन्यथा भी चीनी प्राधिकारियों से विगत समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

परन्तु भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव करना आवश्यक अथवा उपयुक्त समझा गया और ऐसा करने के लिए कोई उपयुक्त अवसर होता है तो सरकार तदनुसार इस मामले पर विचार करेगी।

डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा ली जाने वाली बिजली की दरें

5630. **श्री महीलाल :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली के लिए 22 पैसे प्रति यूनिट की दर पर वसूल करता है;

(ख) क्या डी०एस०आई०डी०सी०, नाँगलोई स्थित अपने औद्योगिक परिसरों में छोटे उद्यमियों से 75 पैसे प्रति यूनिट वसूल करती है;

(ग) क्या उक्त उद्यमियों ने स्वयं ही औद्योगिक तथा अन्य मीटर खरीदे थे तथा लगाए थे; और

(घ) यदि हाँ, तो डी०एस०आई०डी०सी० के विरुद्ध उनकी अनियमितताओं, मुनाफाखोरों तथा उद्यमियों से पैसा हड़पने की प्रवृत्ति के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (**श्री पी० रामचन्द्रन**) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

Rural Electrification Project for Atru, District Kota (Rajasthan)

†5631. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the Rural Electrification Project for Atru, District Kota, Rajasthan was undertaken four years back but it could not be completed because a railway line is passing through Atru area and the Electricity Department cannot erect electric cables over the railway line without the permission of the railway authorities;

(b) if so, whether the Electricity Department has approached the Ministry of Railways for the same; and

(c) if so, when and the reasons for delay in granting the permission and the time by which it will be given so that people are benefited by the rural electrification project ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a), (b) & (c) A scheme for electrification of 65 villages in Atru Panchayat Samiti in District Kota was approved by the Rural Electrification Corporation in December, 1972. Rajasthan State Electricity Board has intimated that 61 villages have already been electrified under this scheme. The electrification of remaining four villages has been pending for want of permission of the Railway for crossing the railway track. This approval had been received in April, 1976 but the work could not be completed then because of heavy rains and the site becoming unapproachable. The permission given by the Railways accordingly lapsed. The Railways have been approached again for granting the required permission. All necessary formalities in this regard have been completed.

पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त रोजगार के अवसर कार्यक्रम की कियान्विति

5632. **श्री चित्त बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 459,12 लाख रुपए के परिव्यय से 'अतिरिक्त रोजगार के अवसर कार्यक्रम' लागू किया है जबकि योजना आयोग ने इसके लिए 358,67 लाख रुपए ही मंजूर किए थे;

(ख) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से पुनरीक्षित परिव्यय के लिए पहले ही अनुरोध कर चुकी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित रोजगार संवर्धन कार्यक्रम (1974-75) के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल द्वारा सिफारिश की गई 359,67 लाख रु० के कुल परिव्यय की स्कीम की संवीक्षा के बाद स्वीकृत किया गया था ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने बाद में 459,12 लाख रु० के कुल व्यय की सूचना दी और प्रतिपूर्ति के लिए इस धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया।

(ग) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार इन स्कीमों पर अनुमोदित आंकड़ों से अधिक खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए सहमत होने में असमर्थ है।

Number and Production of Cement Factories

5633. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of cement factories in the country at present along with the total production capacity and the actual production thereof;

(b) whether licences have been issued for setting up new cement factories during 1977-78; and

(c) if so, the number of factories in each State for which licences have been issued ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The number of cement factories in India is 55 having a total installed capacity of 21.87 million tonnes per annum. The production of all varieties of cement during 1977 was 19.1 million tonnes.

(b) and (c) Four industrial licences were issued during 1977-78, out of which 2 licences were for Rajasthan and one each for Madhya Pradesh and Andhra Pradesh.

रत्नगिरी जिला महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाना

5634. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के विद्युत-विहीन गाँवों में बिजली लगाने की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रत्नगिरि जिले के गाँवों के विद्युतीकरण के लिए 3 स्कीमें निगम ने 1972 और 1973 में स्वीकृत की थीं जो कि कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में हैं ।

बिजली बोर्ड द्वारा 1976 में प्रस्तावित स्कीम में, निगम के मूल्यांकन दल की टिप्पणियों के संदर्भ में, संशोधन किया गया है। बोर्ड से संशोधित स्कीम प्राप्त होने पर निगम द्वारा उस पर विचार किया जाएगा ।

Deployment of B.S.F. in Bihar on Indo-Nepal Border

5635. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to deploy Border Security Force in Raxaul, Sursand, Parihar and Jayanagar areas in Bihar on Indo-Nepal border where, besides smuggling activities, incidents of theft and dacoity are very frequent;

(b) whether as a precautionary measure, some jawans of B.S.F. were deployed in the area after the Chinese aggression;

(c) whether Government are aware of the fact that decoits from Nepal are crossing over to the above border areas and causing serious loss of life and property to the inhabitants there; and

(d) whether Government will ascertain the position and deploy B.S.F. jawans in these areas to remove the fear from the minds of the people there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) & (b) No, Sir.

(c) & (d) The position is being ascertained from the Government of Bihar and the information when received will be laid on the Table of the House.

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के और अधिक एकक स्थापित करना

5636. **श्रीमती, पी० चव्हाण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के दो और एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि ये एकक कहाँ कहाँ स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या इन एककों के लिए किसी विदेशी सहयोग की परिकल्पना की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

न्यूट्रन बमों की विनाशकारी क्षमता और उनके विस्फोट में जानकारी एकत्र किया जाना

5637. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने न्यूट्रन बमों को बनाने की विधि, उनके विस्फोट के स्वरूप और उनकी विनाशकारी क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नाभिकीय अस्त्रों के निषेध पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार को न्यूट्रन बम के मूल डिज़ाइन पहलुओं और विस्फोट सम्बन्धी विशिष्टताओं की जानकारी है।

(ग) और (घ) सरकार का विचार है कि न्यूट्रन बमों के उत्पादन तथा फैलाव से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, निरस्त्रीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और यहां तक सामरिक हथियारों

को सीमित करने की सन्धि की खोज के प्रयत्नों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा के आगामी सत्र में जो मई-जून, 1978 में होने वाला है, सरकार अपने इस विचार को दोहराएगी कि राष्ट्रों के शस्त्रागारों से अणु अस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

बी० सी० सी० एल०, धनबाद के कर्मचारियों की सेवा समाप्त किया जाना

5638. **श्री लालू प्रसाद यादव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि आपात स्थिति के दौरान अक्तूबर, 1976 में बी०सी०सी० एल०, धनबाद की बेनीडीह कोयला खान के 267 कर्मचारियों को उन पर दूसरों के नाम से काम करने का आरोप लगाकर सेवा से निकाल दिया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि 19 को छोड़कर शेष सबको वापस काम पर ले लिया गया है और उन्हें चार महीने की परिलब्धियां दे दी गई हैं और इस प्रकार से लगभग पांच लाख रुपये का भुगतान बिना काम के करके कोयला खान को भारी हानि पहुंचाई गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रानचन्द्रन) : (क) और (ख) प्रारम्भिक जांच के बाद बेनीडीह कोयला खान के 192 ऐसे व्यक्तियों का पता चला था जो दूसरों के नाम से काम कर रहे थे । सितम्बर-अक्तूबर, 1976 के दौरान इन्हें काम करने से रोक दिया गया था । पूरी जांच के बाद उनमें से 178 व्यक्ति सही कामगार पाए गए । इनमें से 43 कामगारों को अक्टूबर, 1976 में ही काम पर आने की अनुमति दी गई और 135 व्यक्ति जुलाई, 1977 में ड्यूटी पर आ गए ।

श्रमिक संघों के साथ हुए समझौते के अनुसार इन श्रमिकों को क्रमशः आधे महीने तथा $4\frac{1}{2}$ महीने की मज़दूरी दी गई । यह धनराशि 2.45 लाख रुपये है ।

सूचना अधिकारियों का स्थानान्तरण

5639. **श्री बापू कालदाते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग वे सभी सूचना अधिकारी जिन्होंने संवाददाताओं को हटाने में तथा झूठे आरोप लगाने में पिछले पी०आई०ओ० का साथ दिया था अभी भी उन्हीं पदों पर बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका उन्हीं पदों पर बने रहने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारी प्रेस संवाददाताओं के प्रत्यायन से सम्बन्धित नहीं थे । अतः उनके उन्हीं पदों पर बने रहने या अन्यथा का प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि को बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव

5640. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्राधिकृत क्षमता के उपयोग के माध्यम से विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ की राशि को बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस अप्राधिकृत उत्पादन से किये गये अतिरिक्त उत्पादन और अर्जित लाभ अनुमानतः कितना-कितना है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या विदेशी फर्मों द्वारा किये जाने वाले गर-कानूनी विस्तार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ङ) सरकार विदेशी कम्पनियों सहित लाइसेंस प्राप्त उपक्रमों के अनधिकृत रूप से किये जा रहे फालतू उत्पादन को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है । अनधिकृत रूप से किए जा रहे फालतू उत्पादन को रोक देने से अनधिकृत रूप से हो रहे फालतू उत्पादन का अतिरिक्त लाभ भी स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा किसी अवधि विशेष में अनधिकृत रूप से किये गये फालतू उत्पादन में से कितना लाभांश भेजा गया, इसका सही-सही पता लगा सकना कठिन है विशेषकर उस हालत में जबकि कोई उपक्रम जैसा कि आम तौर पर होता है अनेक प्रकार के उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है । उद्योग मंत्रालय ने विदेशी कम्पनियों द्वारा अनधिकृत रूप से किये जा रहे फालतू उत्पादन से हुए लाभ की राशियों तथा उसमें से वापस भेजी गई राशि का कोई भी हिसाब नहीं लगाया है ।

उड़ीसा में मोनोजाइट और इल्मेनाइट खनिज

5641. **श्री सरत कार** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में दुर्लभ खनिज, मोनोजाइट और इल्मेनाइट उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि इन खनिजों की ट्राम्बे के लिये आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को इन खनिजों की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, इन खनिज भण्डारों का दोहन व्यावसायिक स्तर पर करने के उद्देश्य से एक समेकित उद्योग समूह स्थापित कर रहा है ।

Setting up of Central Agencies Regionwise for Development of Tribal Areas

5643. **Shri Aghan Singh Thakur** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up Central Agencies, regionwise for the development of tribal areas ; and

(b) if so, main points thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :

(a) No, Sir.

(b) The development of tribal areas requires highest priority in the State Plans as also the relevant Central programmes. Therefore, sub-plans have been prepared for these areas which represent total investment in that region including flow from the State Plans, Central programmes, institutional finance and Special Central Assistance. The tribal sub-plans have been divided into Integrated Tribal Development Projects. The State Governments are responsible for implementation of these programmes under the overall guidance of the Central Government.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा

5644. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कुल मिलाकर कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या यह घाटा पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में रूई के मूल्यों में अन्तर के कारण हुआ है; और

(ग) इस प्रकार के घाटे को रोकने तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में सुधार के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों को दिसम्बर, 1977 के अन्त तक हुई कुल हानि 160.30 करोड़ रुपये थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन मिलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं :—

(1) मशीनों का आधुनिकीकरण/नवीकरण;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक वर्ग का युक्तियुक्तीकरण;

(3) केन्द्रीय आधार पर कच्चे माल की थोक खरीदारी;

(4) उत्पादन के तरीके में विविधता लाना;

(5) सुधरी विपणन नीति अपनाना ।

रूई का भारी मात्रा में आयात

5645. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इण्डिया काटन फैडरेशन रुई का भारी मात्रा में आयात बन्द करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Per Capita Incomes in States

5646. **Shri Ramjiwan Singh :**
Shri O.P. Tyagi :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the annual average per capita income in the country together with State-wise position thereof; and

(b) whether Government have any priority schemes for backward regions with reference to the above average income ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) A statement is enclosed.

(b) While allocating Central Assistance, 10% is set apart for States having per capita income below the national average.

Statement

(Rupees)

	Price Base	1973-74	1974-75	1975-76
National Per capita Income . . .	1960-61	349	343	366
States				
Andhra Pradesh	1960-61	325	330	330
Assam	1948-49	286	291	298
Bihar	1970-71	421	425	..
Gujarat	1960-61	397	331	413
Haryana	1960-61	425	421	471
Himachal Pradesh	1960-61	351	354	371
Jammu & Kashmir	1960-61	319	327	329
Karnataka	1956-57	307	327	339
Kerala	1960-61	301	299	297
Madhya Pradesh	1960-61	262	258	281
Maharashtra	1960-61	446	462	478
Manipur	1960-61	192	196	201
Orissa	1970-71	490	438	523
Punjab	1960-61	519	522	551
Rajasthan	1960-61	308	279	311
Tamil Nadu	1960-61	369	319	358
Tripura	1960-61	298	363	374
Uttar Pradesh	1960-61	250	254	268
West Bengal	1960-61	372	383	397
Delhi	1960-61	769	786	773
Goa, Daman and Diu . . .	1970-71	1016	1148	1224

Note : Owing to the difference in concepts, methodology, source material used and base year; for constant prices; the figures for different states are not strictly comparable. The above data are compiled from the publications of the respective states.

Rise in the prices of Coarse Cloth

5647. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether prices of coarse cloth have increased and if so, the reasons for which prices thereof registered an increase during the current month and the corresponding month of last year; and

(b) the comparative prices thereof in February, 1977 and in February, 1978 ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b), Information in respect of price movements for specific varieties of cloth in terms of "Coarse", or "Fine" are not available. However, the wholesale price index in respect of cotton mill cloth moved from 171.3 in March, 1977 to 180.8 (provisional) in March, 1978 while the price index which was 170.4 in February, 1977 moved to 180.4 (provisional) in February, 1978.

सस्ती धोतियों और साड़ियों के मूल्य

5648. **श्री बी० पी० मण्डल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ती धोतियों और साड़ियों के वर्तमान मूल्य क्या हैं; और

(ख) गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में ये मूल्य कितने न्यूनाधिक हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) प्रश्न का सम्बन्ध शायद कपड़े की नियंत्रित किस्मों की धोतियों और साड़ियों से है जिसके मूल्य कानूनी तौर पर निश्चित कर दिये गये हैं तथा 1977 या 1978 के दौरान इन किस्मों के उपभोक्ता मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इन किस्मों की धोतियों और साड़ियों के मिल से निकलते समय के प्रति वर्ग मीटर औसत मूल्य क्रमशः 1.74 रु० तथा 1.82 रु० है ।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू

5649. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू के अगस्त, 1977 के न्यूज़ लटर में यह कहा गया है कि गत दस वर्षों के दौरान डारेक्टर्स लेबोरेटरी में बत्तीस नये प्लांट कम्पाउण्ड को पृथक कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुसंधान में लगे कर्मचारियों, रसायनों और उपकरणों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उनमें से कितने कम्पाउण्ड रोगों की चिकित्सा के लिये लाभप्रद औषधियां बनेंगी;

(घ) कितने कम्पाउण्डों की जैविक जांच की जा रही है; और

(ङ) क्या इन कम्पाउण्डों का कोई औद्योगिक उपयोग भी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां ।

(ख) यह कार्य पौध रसायनों के लिये उपक्रम योग्य प्रौद्योगिकीयों के विकास और शाकीय औषधियों के अन्वेषण और प्रौद्योगिकीय उत्पादों की रासायनिकीय के सम्पूर्ण कार्यक्रम का एक अंश है । कर्मचारी और रसायनों के आबंटन के लिये स्रोत एक ही रखे गये हैं । इसलिऐ यौगिकों के स्वरूप और पृथकीकरण पर किये गये खर्च को अलग करना सम्भव नहीं है ।

(ग) वर्तमान में तीन विशिष्ट यौगिक विस्तृत अध्ययनों के अन्तर्गत हैं । नयी औषधि के रूप में उपयोग की सम्भावनायें हैं ।

(घ) यौगिकों के छः समूहों से जैव सक्रियता मालूम की गई है ।

(ङ) कुछ यौगिकों में कीटनाशी और सहक्रियात्मक संक्रियता पाई गई और भविष्य में इनके औद्योगिक उपयोग की सम्भावना है ।

Expenditure on 'Onge' Tribe in Dugong Creek Island near Port Blair

5650. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the 'Onge' Tribe inhabiting the Dugong Creek Island near Port Blair and the annual expenditure being incurred by the Central Government on them; and

(b) whether 30 persons have been appointed to look after these 'Onge' families and if so, the annual expenditure being incurred on them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Seventy seven persons belonging to the Onge tribe are living at Onges settlement in Dugong Creek. The development programme in Dugong Creek is implemented by the Andamans Adim Janjati Vikas Samiti with assistance from the Central Government. An expenditure of Rs. 4,23,982.40 P. has been incurred during the last two years on the developing of the Onge settlement.

(b) Only eight people on the Samiti's pay roll are posted to Dugong Creek settlement to the Onges and the approximate expenditure on their salaries is Rs. 30,000 per annum.

Appointments in Border Security Force

5651. **Shri S.S. Das** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether for the appointment against the posts of Assistant Commandant in the E.D.P. cell of B.S.F., the minimum essential qualification prescribed is graduate (science);

(b) whether some of the incumbents of the posts of Assistant Commandants are not science graduates; and

(c) if the answer to parts above be in the affirmative, the reasons for such irregularities and who is responsible therefor and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c) There are no sanctioned posts of Assistant Commandant in the E.D.P. Cell of B.S.F. for which the following Gazetted posts were created—

(i) Systems Analyst

(ii) Programmer

For the above sanctioned posts, the minimum qualification proposed in the draft recruitment rules (which are under examination) is a degree in Science/Mathematics/Statistics/ Economics.

2. In view of the heavy pressure of work, and importance thereof, in the E.D.P. Cell, 5 Assistant Commandants from the general Duties Branch of the BSF have been deputed to the E.D.P. Cell. Four of these Assistant Commandants have the requisite educational qualification proposed for Systems Analyst/Programmer. The remaining Assistant Commandant is an under-graduate (Inter. Science) but has a thorough experience in the work of the E.D.P. Cell where he had earlier served as an Inspector. In view of his experience and capabilities, his services have been retained in the E.D.P. Cell even after his promotion from Inspector's rank to that Assistant Commandant, for which he was eligible and qualified.

एकाधिकार गृहों को लाइसेंस देना

5652. **श्री ए० सी० जार्ज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से एकाधिकार गृहों को बड़ी संख्या में लाइसेंस दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रथम चालीस एकाधिकार गृहों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन-पत्र तीन वर्ष और इससे अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) (क) जी, नहीं ।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1975 से एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये उपक्रमों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	संख्या
1975 . . .	95
1976 . . .	87
1977	77

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों से नये उपक्रम की स्थापना करने, पर्याप्त विस्तार करने तथा नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्राप्त तीन वर्ष से अधिक समय का कोई अभ्यावेदन निपटान के लिए निलम्बित नहीं पड़ा है ।

Setting up of Small Scale Industries in the Backward areas of the Country

5653. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether any master plan has been prepared for setting up small scale industries in the country and particularly in the backward areas in accordance with the declared policies of decentralisation and rural development; and

(b) if so, the district-wise plan in respect of Bihar State and the estimated expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

शत प्रतिशत सिंथेटिक फाइबर कपड़े का उत्पादन न करने संबंधी सरकारी आदेश की अवहेलना

5654. **श्री अहसान जाफरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली है कि देश में सूती कपड़ा उद्योग सरकारी आदेश की अवहेलना करके कार्बनीकरण की प्रक्रिया को अपना रहा है;

(ख) क्या कार्बनीकरण की इस प्रक्रिया से उद्योग सिन्थेटिक फाइबर कपड़े का 34 प्रतिशत काटन जला रहा है और इस प्रकार यह प्रतिदिन पांच लाख रुपये मुल्य के बहुमूल्य काटन और अन्य रसायन बरबाद कर रहा है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उधोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क), (ख) और (ग) सूती कपड़ा उद्योग में अपनाई जा रही कार्बनीकरण की प्रक्रिया की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई है । सरकार के आदेशों की अवहेलना करने तथा इससे होने वाली हानि की जांच की जा रही है ।

विज्ञान प्रगति का सम्पादक

5655. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस तथ्य का पता है कि हिन्दी मासिक "विज्ञान प्रगति" का सम्पादक अपने पदनाम को मुख्य सम्पादक लिखता है;

(ख) क्या इनको यह भी पता है कि यह सरकारी अधिकारी "टैक्नालोजी ग्रामीण समाचार" नामक एक निजी मासिक पत्रिका भी निकालता है जिसकी उसकी अपनी पत्नी मुख्य सम्पादक है;

(ग) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि उक्त सम्पादक "विज्ञान प्रगति" की राशि का उपयोग अपनी निजी पत्रिका के लिए करता है; और

(घ) सम्पादक द्वारा दो प्रकार के लैटर पैड रखने का क्या औचित्य है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । "टैक्नोलोजी ग्रामीकरण समाचार" नामक मासिक पत्रिका काउंसिल फार ऐप्लीकेशन और ऐक्सटेंशन आफ टैक्नोलोजी टू रूरल इण्डिया, एक पंजीकृत संस्था द्वारा प्रकाशित की जा रही थी । फिर भी, सम्बन्धित अधिकारी उक्त पत्रिका के सम्पादन मण्डल में था । उस अधिकारी की पत्नी उक्त पत्रिका की प्रधान सम्पादिका कभी नहीं थी ।

(ग) "विज्ञान प्रगति" के लिये उपलब्ध सुविधाओं के दुरुपयोग सम्बन्धी मामले जानकारी में आये हैं, जिसके लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) सी० एस० आई० आर० ने केवल सरकारी लैटर पैड ही सम्पादक को दिये हैं ।

वर्ष 1975 से एकाधिकार-गृहों को बड़ी संख्या में लाइसेंस दिया जाना

5656. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 से एकाधिकार-गृहों को बड़ी संख्या में लाइसेंस दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पहले 40 एकाधिकार-गृहों को कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) तीन वर्षों से अधिक समय से ऐसे कितने अभ्यावेदन विचाराधीन पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1975 से एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये उपक्रमों को जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	संख्या
1975 .	95
1976 .	87
1977 .	77

(ग) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों से नये उपक्रम की स्थापना करने, पर्याप्त विस्तार करने तथा नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्राप्त तीन वर्ष से अधिक समय का कोई अभ्यावेदन निपटान के लिए निलम्बित नहीं पड़ा है ।

परिवहन विकास के बारे में बंगलौर में गोष्ठी

5657. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन-विकास के बारे में एक गोष्ठी दिसम्बर, 1977 में बंगलौर में आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सड़क परिवहन पर अग्रिम राशि खर्च करने और सड़क परिवहन के साथ सौतेला व्यवहार त्याग देने का अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने गोष्ठी में दिये गये सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने सुझाव क्रियान्वित किये जा चुके हैं और कितने अभी विचाराधीन हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) गोष्ठी में कई सुझाव दिए गए तथा इनका सम्बन्ध कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से था । संगत सिफारिशों को सम्बन्धित प्राधिकरणों को विचारार्थ भेज दिया गया है । चूंकि कई प्राधिकरण इससे सम्बन्धित हैं अतः इस समय यह बताना कठिन है कि कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा कौन सी विचाराधीन हैं ?

हुबली, मंगलोर और बेलगाम में टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र

5658. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली, मंगलौर और बेलगाम में लघु उद्योगों के विकास के हित में टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित उप केन्द्रों से इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सुविधाएं तथा प्रिसीज़न टूलिंग प्रदान करके इंजीनियरी उद्योगों के विकास में सहायता करना अपेक्षित है ।

विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले संगठन

5659. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे संगठनों की संख्या क्या है जिन्हें प्रतिवर्ष 5,000 रुपयों से अधिक विदेशी चन्दा मिलता है;

(ख) क्या ये संगठन उन्हें इस कार प्राप्त धनराशि के उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार को नियमित रूप से लेखों का ब्यौरा देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

हथकरघा प्रदर्शनी के लिए पण्डालों के निर्माण, सजावट तथा किराये पर देने के लिए टेंडर

5660. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान, नई दिल्ली के "एम" मण्डप में 24 मार्च से 9 अप्रैल, 1978 तक के लिये प्रस्तावित हथकरघा प्रदर्शनी के लिये पण्डालों के निर्माण, सजावट, विद्युतीकरण और उन्हें किराये पर देने के लिये कोई टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने विभाग को अपने टेण्डर भेजे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कम मूल्य के टेण्डर पेश करने वालों की बजाय अधिक मूल्य के टेण्डर पेश करने वालों को उक्त मण्डपों का आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) दिल्ली के प्रदर्शनी ठेकेदार से दुकानों के बनाने, उनकी सजावट और विद्युतीकरण के समग्र कार्य को पूरा करने और दृश्य प्रचार व्यवस्था तथा प्रतिदिन समारोह सह फैशन शो का आयोजन करने की व्यवस्था करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ।

(ख) चार फर्में ।

(ग) जी, नहीं । बनी हुई दुकानों को केवल राज्य विकास निगमों/सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित हथकरघा एपेक्स समितियों को ही ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर दिया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मै० लार्सेन एण्ड टोब्रो के अधीन कारखानों, कार्यालयों और स्थलों की संख्या

5661. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० लार्सेन एण्ड टोब्रो के अधीन कितने कारखाने, कार्यालय और अन्य स्थल हैं;

(ख) कर्मचारियों और अधिकारियों की पृथक-पृथक कितनी संख्या है; और

(ग) कर्मचारियों और अधिकारियों का मासिक औसत वेतन कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) मैसर्स लार्सेन एण्ड टोब्रो और उनकी सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनियों के बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(1) **मैसर्स लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेड** :

फैक्टरियां . .	4
कार्यालय . .	9
शाखा कार्यालय . .	11
आवासी कार्यालय .	22
परियोजना स्थल	20

(2) इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (लार्सेन एण्ड टोब्रो के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी)

कार्यालय . . .	6
परियोजना स्थल	49

इसके अलावा निम्नलिखित सहायक कम्पनियों (50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाली) और सहयोगी कम्पनियों (50 प्रतिशत अंशधारिता वाली) की एक-एक फैक्टरी है:—

एल० एण्ड टी० मेकनील लिमिटेड	सहायक कम्पनियां
उत्कल मशीनरी लिमिटेड	
आडको इण्डिया लिमिटेड	सम्बद्ध कम्पनियां
यूटेक्टिक वेल्डिंग अलाय आफ इण्डिया लिमिटेड	
ट्रैक्टर इंजीनियर्स लिमिटेड	

(ख)

	पर्यवेक्षक और उससे ऊपर	कार्यस्थल के कर्मचारियों को छोड़कर गैर-पर्यवेक्षक (दैनिक मजदूरी वाले सहित) कर्मचारी
	संख्या	संख्या
लार्सेन एण्ड टोब्रो लि० . .	1573	5984
इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	293	309
एल एण्ड टी मेकनील लि० .	35	161
उत्कल मशीनरी लि०	238	1207
आडको इण्डिया लि० .	75	467
यूटेक्टिक वेल्डिंग अलोय आफ़ इण्डिया लिमिटेड . . .	11	35
टैक्टर इंजीनियर्स लिमिटेड	34	123

(ग) औसत वेतन :

(1) गैर-पर्यवेक्षक कर्मचारी . . (दैनिक तथा मासिक वेतन पाने वाले दोनों प्रकार के कर्मचारी)	850/- रु० प्रति माह (मंहगाई भत्ते सहित)
(2) पर्यवेक्षक तथा अधिकारी .	1456/- रु० प्रति माह (300/- रु० प्रतिमाह वेतन पाने वाले तदर्थ अधिकारियों सहित)
(3) कान्वेनेन्टिड . .	2573/- रु० प्रतिमाह

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में विद्युत उत्पादन परियोजनायें

5662. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनायें सरकार ने अपने हाथ में ली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं में से कोई परियोजना अपने निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी योजनाओं को जिनके बारे में सोचा गया था तथा जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया;

(घ) यदि मात्र (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बिजली परियोजनाओं से और विलम्ब किये बिना क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सात ।

(ख) जी, हां । तीन परियोजनाएं कार्यक्रम से पीछे हैं ।

(ग) पांचवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाएं पांचवीं योजना में शामिल थीं :—

(1) यमुना चरण-2	240 मेगावाट (शेष 120 मेगावाट का लाभ बाद की योजना में चला जाएगा) ।
(2) यमुना चरण-4	30 मेगावाट ।
(3) रामगंगा	198 मेगावाट ।
(4) ऋषिकेश-हरिद्वार	36 मेगावाट (शेष 108 मेगावाट का लाभ बाद की योजना में चला जायेगा) ।

इनमें से पहली तीन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हो रहे हैं ।

(घ) अनुमान है कि इस भाग में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण पूछे गये हैं । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में जल-विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी का मुख्य कारण सिविल कार्य हैं, विशेषकर अत्यधिक कठिन और जटिल भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों वाली तराइयों में सुरंगे बनाना ।

(ङ) सिविल कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को आवेदन-पत्र देने की तारीख

5663. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून को आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तारीख 5 जनवरी को बदल कर 16 जनवरी, 1978 कर दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त तारीख को स्थगित करने का क्या कारण था और इस की सूचना समाचारपत्रों में किस रूप में दी गई;

(ग) तारीख को स्थगित करने से पहले तथा उसके बाद कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, और

(घ) प्रवेश परीक्षा की तारीख को स्थगित करने का क्या कारण था तथा इसमें कितने उम्मीदवार चने गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली की कालोनियों को दिल्ली परिवहन निगम की सेवा द्वारा जोड़ा जाना

5664. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1960 से पहले निर्मित कुछ कालोनियों को दिल्ली/नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कुछ केन्द्रीय स्थलों से अभी तक, दिल्ली परिवहन निगम की सीधी बस सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तथा (ख) दिल्ली परिवहन निगम रेलवे स्टेशनों और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र को शहर की विभिन्न बस्तियों से जोड़ने के लिए बहुत सी बसें चला रहा है । कुछ क्षेत्र, जहां उक्त स्थानों को सीधी बसें नही चलती हैं उन्हें अन्य बसों से जोड़ा गया है जिनमें मार्गस्थ विभिन्न स्थानों पर सुविधाजनक बदल सुविधाओं की व्यवस्था है । दिल्ली की सभी बस्तियों और क्षेत्रों को सीधी बस सेवाओं से जोड़ना निगम के लिए संभव नहीं है ।

Hindi Noting and Drafting

5665. **Shri Ram Prasad Desmukh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of sections in his Ministry/Department and how many of them are having more than eighty per cent Hindi knowing staff;

(b) the total number of sections where noting and drafting are done in Hindi together with the reasons for not doing so in the rest of them ; and

(c) whether clear instructions have been issued about writing of notes and drafts in Hindi in all the sections and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Out of 98 sections in both the Departments namely, Department of Industrial Development and Department of Heavy Industry, 68 sections are having more than 80% Hindi-knowing staff.

(b) & (c) Notes and drafts are prepared in Hindi to some extent in 29 sections. The Official Languages Act, 1963 and rules made thereunder provide for the use of Hindi or English by Government officers in their offiical work at their option. However, it has been the policy of Government to encourage Government Officers to use Hindi in their official work.

अल्पसंख्यक आयोग

5666. **डा० कर्ण सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर राज्य शामिल होगा ताकि उस राज्य का अल्पसंख्यक समूदाय उसका पूरा लाभ उठा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : जम्मू तथा काश्मीर सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक आयोग को अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

कच्छ विकास बोर्ड

5667. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ बोर्ड बनाने के आदेश रद्द कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। इस मामले पर गुजरात सरकार से उनका सुविचारित दृष्टिकोण प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय पर पुनर्विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि राज्य सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली जाए और आदेश को रद्द कर दिया जाए ।

Directive to States to Deal with Anarchi Elements

5668. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have issued any directive to State Governments to deal with the violent and anarchic elements ; and

(b) if so, the details thereof and how far the State Governments have complied with them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) & (b) No, Sir. Public order is primarily the responsibility of the State Governments. The Central Government, however, keep in constant touch with them and give advice/ suggestions wherever necessary and also render such assistance as may be sought by the State Governments.

केरल में 'साइलेंट वैली' पनबिजली परियोजना

5669. **श्री जार्ज मैथ्यू :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में "साइलेंट वैली" पनबिजली परियोजना में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय इस परियोजना के बारे में क्या विशिष्ट आपत्तियां हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) और (ख) साइलेंट वैली परियोजना 2,448 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर (जिसमें पारेषण-कार्यों की लागत भी शामिल है) मूलतः फरवरी, 1973 में मंजूर की गई थी । बाद में, केरल सरकार ने इस परियोजना के कार्य-क्षेत्र और डिजाइन के बारे में

कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था और अक्तूबर, 1977 में राज्य के प्राधिकारियों ने इस स्कीम के संशोधित कार्य-क्षेत्र के लिए 4,080 लाख रुपए का संशोधित लागत अनुमान (जिसमें पारेषण की लागत शामिल नहीं है) भेजा था । परियोजना के कार्य-क्षेत्र में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों की दृष्टि से, राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे आगे तकनीकी जांच के लिए संशोधित रिपोर्ट भेजें । यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस परियोजना का काम हाथ में लेने के सिलसिले में, इस क्षेत्र की परिस्थिति को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता का प्रश्न भी उठाया गया है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बिजली बनाने के उपकरणों का किस्म नियंत्रण

5670. **श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला :**

श्री अघन सिंह ठाकुर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा बनाये जा रहे बिजली बनाने के उपकरणों के किस्म नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के निर्माता ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं और किस्म नियंत्रण और सुधार, जहां आवश्यक हो, का सुनिश्चिय करने की जिम्मेदारियों के प्रति आमतौर पर सचेत रहते हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बायलरों के सबसे बड़े उत्पादक और टर्बाइनों और जनरेटरों के एकमात्र उत्पादक के रूप में एक प्रसिद्ध विदेशी निर्माता के सहयोग से अधिक नये और उन्नत किस्म के बायलरों का उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है । इसने 200 से 1000 मे०वा० तक के तापीय टर्बो सेटों के लिए डिजाइन और निर्माण संबंधी जानकारी के लिए एक प्रसिद्ध विदेशी कंपनी के साथ सहयोग भी किया है और इन सेटों का कार्य बढ़िया होगा और इनमें क्वालिटी पैरामीटर होंगे । कार्यशाला स्तर पर, विक्रेता वस्तुओं, पैकिंग, अधिष्ठापन और चालू करने के लिए अपेक्षित अन्य सभी आवश्यक अभ्युपाय किए जा रहे हैं । गैर सरकारी क्षेत्र के एकक भी विदेशी तकनीकी सहायता, जहां आवश्यक हो, प्राप्त कर सकते हैं और किस्म में सुधार लाने हेतु उनकी तरफ से भी निरन्तर प्रयास किया जाता है

पटसन माल के लिए शक्तिचालित करघों की स्थापना के लिए लाइसेंस

5671. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि देश में (राज्यवार) पटसन मिलों की संख्या कितनी है; उनकी कुल वार्षिक कार्यक्षमता कितनी है; उनकी पटसन की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और उनके पास कितनी बेकार क्षमता है तथा उसके क्या कारण हैं और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पटसन के माल के निर्माण के लिए शक्तिचालित करघों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का है; और

(ख) क्या पटसन की छड़ों, जिन को देश में प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है के उपयोग के लिए कोई योजना कार्यक्रम बनाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : देश में (राज्यवार) पटसन की मिलों की संख्या, उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता, उनकी औसत वार्षिक उत्पादकता, कच्चे पटसन की वार्षिक आवश्यकता तथा उनकी वर्तमान बेकार क्षमता दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल रखा जाता है ।

(क) फिलहाल पटसन उद्योग में क्षमता का और अधिक विस्तार करने की गुंजाइश नहीं है। यहां तक कि जारी किये गये पांच आरेाप-पत्रों के मामले में भी संबंधित राज्य सरकारों को कच्चे पटसन की वर्तमान उपलब्धता तथा पटसन को वस्तुओं की घटती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर फिर से विचार करने की सलाह दी गई है ।

(ख) पटसन के डंठलों का उपयोग करने के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है, फिर भी पटसन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार की परियोजना पर कार्य कर रही है । पटसन मिलों में से एक मिल ने अस्थायी छते सामान्य इन्सुलेशन आदि के ढांचे बनाने में पटसन के डंठलों का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग करने में पहल की है ।

विवरण

(हजार मीट्रिक टनों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मिलों की संख्या	प्रति वर्ष प्रभावी अधिष्ठापित क्षमता	औसत वार्षिक उत्पादन
(1)	पश्चिमी बंगाल	56	1,160.9	1,091.1
(2)	आन्ध्र प्रदेश	4	75.4	72.4
(3)	मध्य प्रदेश	1	8.8	7.6
(4)	बिहार	3	37.9	17.8
(5)	उत्तर प्रदेश	3	33.1	26.6
(6)	आसाम	1	4.4	3.6
	कुल	68	1,320.5	1,219.1

प्रभावी अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर कच्चे पटसन की कुल आवश्यकता लगभग 76.5 लाख गांठें होती हैं तथा औसत वार्षिक उत्पादन के आधार पर यह लगभग 65 लाख गांठें हैं ।

इस समय लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता बेकार पड़ी है जिसमें से लगभग 84,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता देश में 6 पटसन मिलों के बंद हो जाने के कारण बेकार है । शेष क्षमता का पूरा उपयोग पश्चिमी बंगाल राज्य में मुख्य रूप से बिजली के रुक-रुक कर आने के कारण नहीं किया जा सका है ।

राजस्थान में चूना पत्थर पर आधारित सीमेंट के कारखाने

5672. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में चूना-पत्थर के समृद्ध निक्षेप हैं और चूना-पत्थर पर आधारित बहुत से सीमेंट कारखाने वहां पर स्थापित किये जा सकते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चार बड़े और छोटे सीमेंट के कारखानों की स्थापना के लिये राजस्थान सरकार को स्वीकृति दे दी है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने झामर कोटरा में रांक फोस्फेट की किस्म में सुधार लाने के लिये एक लाभकारी संयंत्र की स्थापना हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्र ने इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से राज्य में बड़े सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम ने 33,000 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले सिरोही, जोधपुर, जयपुर तथा पाली तथा सीकर प्रत्येक जिले में छोटे सीमेंट के कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंसों के लिये आवेदन किया था इन पर कार्यवाही हो रही है ।

(ग) खान विभाग के अनुसार, भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाना

5673. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रादेशिक सेना के ऐसे 100 अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जा रहा है जो सेना में 10 से 20 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों की स्थिति को सुधारने अथवा उन को पुनर्वासित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) प्रादेशिक सेना के आर्टिलरी और ई०एम०ई० यूनिटों के 96 अफसरों को सेवामुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि प्रादेशिक सेना वायु रक्षा रेजिमेंटों को नियमित थल सेना यूनिटों में बदल दिए जाने के परिणामस्वरूप ये अफसर प्रादेशिक सेना की स्थापना के लिए फालतू हो गए थे । इनमें से 64 अफसरों ने व्यवधान अवधि समेत 10 वर्ष से 20 वर्ष की सेवा कर ली है ।

(ख) प्रादेशिक सेना एक अंशकालिक स्वेच्छिक सेना है । इसका गठन नियमित सेवा की व्यवस्था के लिए नहीं किया गया है । प्रादेशिक सेना में सामान्यत: उन्हीं व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है जो सिविल व्यवसायों में लाभकारी नौकरी पर होते हैं। चूंकि इन अफसरों में से बहुत से अफसरों ने प्रादेशिक सेना में काफी लम्बे वर्षों तक सेवा कर ली है, इसलिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे उनके पुनर्वास में सहायता करें ताकि उनको तथा उनके परिवारों की कठिनाई कम की जा सके ।

आदिवासियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों को वृद्धावस्था पेंशन

5674. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आदिवासियों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा "डेस्क कैलकुलेटरों" का निर्माण

5675. **श्री भगत राम:** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को सेंन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंटस आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 'डेस्क केलकुलेटरों' के निर्माण हेतु इलेक्ट्रानिक्स पुर्जों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस एवं विदेशी मुद्रा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की विदेशी मुद्रा दी गई थी; और

(ग) क्या फर्म ने वाणिज्यकरण के लिए 'डेस्क केलकुलेटरों' का कभी भी उत्पादन किया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Employment to Educated Unemployed Persons

5676. **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to guarantee employment to educated unemployed persons who come below poverty line under the principle of 'one family, one employed' by providing employment to the local people on 75 per cent non-technical posts in lower categories and on 50 per cent technical posts in all local industries, factories, mines and other establishments; and

(b) whether it will reduce poverty in every district gradually ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No such proposals are under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

Administrative Reforms

5677. **Shri Daulat Ram Saran :**
Shri Prasannabhai Mehta :
Dr. Subramaniam Swamy :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government feel that there is need for administrative reforms and if so, the details of the reforms required to be effected; and

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil) : (a) and (b) Review of administrative practices is a continuing process. The annual reports of the Department of Personnel & Administrative Reforms indicating the work done and proposed to be done are circulated to Members of Parliament every year.

The present emphasis is on decentralising administration, delegating administrative and financial powers, simplifying rules and procedures and fixing norms for various types of work to bring about greater citizen satisfaction.

कोयले की समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति की स्थापना

5678. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के अपर्याप्त आवंटन, मूल्यों में वृद्धि, कोयले की किस्म और ग्रेड में गिरावट से उत्पन्न समस्याओं की जांच करने और उनको हल करने के लिए इंडियन कोल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने एक स्वतन्त्र उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) मार्च, 1978 में हुई संघ की प्रथम छमाहीं आम सभा में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में इस बारे में एक प्रस्ताव है ।

(ख) व (ग) कोयला उत्पादकों, रेलवे तथा प्रमुख कोयला उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के आवंटन से संबद्ध समस्याओं की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रही है । सरकार ने 1 जुलाई, 1975 के बाद से कोयले की खान मुहाना कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है । सरकार प्रस्तावित समिति का गठन आवश्यक नहीं समझती ।

नौवहन निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा

5679. **श्री सोमजी भाई डामोर**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवहन निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को किस सीमा तक पूरा किया गया है;

(ख) सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए उनकी वर्तमान संख्या में कितनी कमी है;

(ग) क्या उसमें भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और यह कमी कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार किये गये कार्यक्रम की तरह ही इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए द्रुत कार्यक्रम अपनाने के प्रश्न पर मंत्रालय विचार कर रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

फील्ड मार्शल के पद के लिए शर्तें और भत्ते

5680. **श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फील्ड मार्शल के पद के लिए सरकार ने कोई शर्तें और विशिष्ट भत्ते निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) सरकार ने फील्ड मार्शल के लिए कोई निश्चित सेवा शर्तें अथवा भत्ते निर्धारित नहीं किए हैं । जब जनरल एस० एच० एफ० मानेकशा को पहली जनवरी, 1973 से फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था तो उन्हें सेनाध्यक्ष के रूप में उनके 4,000 रुपए प्रति मास के वेतन के अतिरिक्त 500 रुपए प्रति मास का अतिरिक्त वेतन दिया गया था । उन्होंने 4500 रुपये के इस कुल वेतन को सेनाध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से छः मास की छुट्टी की समाप्ति तक लिया था । उसके बाद भी उन्हें सेवानिवृत्ति सूची में नहीं रखा गया है बल्कि वे आजीवन सक्रिय सूची में रहेंगे । 15 जुलाई, 1973 से, फील्ड मार्शल को उनकी सेनाध्यक्ष के रूप में 1200 रुपए प्रति मास की सामान्य पेंशन के अलावा 400 रुपए प्रति मास विशेष वेतन मंजूर किया गया था । वह आमतौर से सेना कार्मिकों को समय-समय पर मंजूर किए गए कुछ तदर्थ पेंशन संबंधी राहत पाने के भी हकदार हैं ।

बदरपुरताप बिजली घर

5681. **श्री जर्नादन पुजारी ;**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदरपुर ताप बिजलीघर के तीन एककों में से दो एकक खराब रहते हैं, जिससे राजधानी में गंभीर विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली की बिजली की आवश्यकता दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अपने विद्युत केन्द्रों तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से पूरी की जाती है । यदि विद्युत की उपलब्धता में कोई कमी होती है तो उत्तरी क्षेत्र की पड़ौसी विद्युत प्रणालियों से भी सहायता ली जाती है । अतः राजधानी में किसी गंभीर विद्युत संकट की आशंका नहीं है । बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, जहां इस समय दो यूनिटें कार्य कर रही हैं, की उत्पादन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं । उम्मीद है कि आवश्यक आशोधन और नवीकरण पूरे हो जाने के पश्चात् बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की उत्पादन यूनिटों के कार्यनिष्पादन में सुधार होगा । उपस्कर निर्माता इन आशोधनों और नवीकरणों के लिए सहमत हो गए हैं ।

DTC Accidents from 1975 to 1977

*5682. **Shri Govind Ram Miri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of accidents involving commuters each year during the past three years from 1973 to 1977 while boarding or alighting from DTC local buses, the nature and causes thereof; and

(b) whether Government are taking any concrete steps to avoid such accidents; if so, the nature thereof ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Separate statistics in this regard are not maintained by the Corporation.

(b) The bus crew have standing instructions to park the vehicles at the proper stops and not to move the bus when the passengers are still alighting or boarding. Recently, a set of "Dos" and Don'ts" has been issued to the crew for strict observance, which also incorporates these instructions. During peak hours, main stops of the city are covered by the inspectorate staff of DTC to ensure that there is orderly boarding of buses by the commuters. A special squad has also been formed by the Corporation to check the driving habits of the drivers.

कच्चे माल के बैंक

5683. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई के लिए कच्चे माल के बैंकों की श्रृंखला स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुन्दर हत्याकांड में अन्तर्गस्त पुलिस अधिकारियों के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचाव समिति द्वारा धन एकत्र किया जाना

5684. **श्री बलवीर सिंह**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ संवर्गों द्वारा गठित बचाव समिति धनराशि एकत्र कर रही है और सुन्दर हत्याकाण्ड में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के बचाव का प्रयास कर रही है; और

(ख) फौजदारी मामलों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के बचाव के लिए ऐसी समितियों का गठन करना सेवा नियमों के अधीन कहां तक अनुमत है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) इस प्रयोजन के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ संवर्गों द्वारा कोई बचाव समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) नियमों के अधीन ऐसी समितियों का गठन अनुज्ञेय नहीं है ।

लिखाई के कागज और छपाई के कागज का उत्पादन

5685. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज उत्पादन को विनियमित करने के लिए हाल में जारी आदेश से लिखाई के कागज और छपाई के कागज के उत्पादन में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन पर्याप्त मात्रा में लिखाई का कागज और मुद्रण कागज का उत्पादन कर रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 का खण्ड 3 जिसमें लिखाई और छपाई कागज की सामान्य किस्मों के न्यूनतम उत्पादन के प्रतिशत की कल्पना की गई है 1 अप्रैल, 1978 से ही लागू हुआ है; अतः इस प्रकार के कागज के उत्पादन पर इसके प्रभाव का पता लगाना अभी समय से बहुत पूर्व होगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक मात्र उत्पादन रत मिल माण्डया नेशनल पेपर मिल्स द्वारा अपने कुल उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक लिखाई और छपाई के कागज का उत्पादन किया जा रहा है ।

रामेश्वरी नेहरू नगर, करोल बाग दिल्ली में शराब से हुई मौतों के बारे में जांच का प्रतिवेदन

5686. **श्री प्रद्युमन बाल :**
डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री के० लकप्पा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष रामेश्वरी नेहरू नगर, करोल बाग दिल्ली में शराब से हुई मौतों के बारे में अदालती जांच का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष एवं मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक "क" तथा "ख" में है । [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एलटी 2020/78]

(ग) जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है । तत्कालीन एस० डी०पी०ओ० पटेल नगर के विरुद्ध सतर्कता आयुक्त के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है । जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर कार्यवाही करने और आबकारी विभाग में विभिन्न स्तरों पर असफलता के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करने के प्रश्न की आगे जांच करने के लिए एक अनुवर्ती कार्यवाही समिति गठित की गई है । नशाबंदी आंदोलन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का विवरण अनुलग्नक "ग" में दिया गया है ।

Setting up of Industry in Seoni, M.P.

5687. **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Seoni District of Madhya Pradesh is full of forest wealth such as 'Salbeej', 'Harad', 'Bahera', 'Aonla' etc. and in the absence of any industry there they are not being exploited properly and poverty of the District is still persisting; and

(b) in view of the explicit declaration made by the Janata Government and under the facts stated above and the provision made in the current budget to encourage cottage and small industries, the industries proposed to be set by Central Government themselves and in collaboration with the Madhya Pradesh Government in Seoni and the time by which a decision will be taken in this respect.

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) Since the information asked for is not readily available and will take some time to collec t the same will be placed on the table of the House as soon as possible.

Number of Books in the Defence Library

5688. **Shri Nawab Singh Cahuhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of the Ministry/Department and th e number thereof, language-wise;

(b) the expenditure incurred on the purchase of English and Hindi books by the aforesaid library during the last two years, separately;

(c) the names of the newspapers and magazines purchased for the library at present and the names of Hindi newspapers and magazines out of them; and

(d) whether any scheme has been formulated for increasing the number of Hindi books and newspapers and magazines in this library and if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The number of books in Hindi and English (including a few in other foreign languages) is 962 and 27,535, respectively as entered in the accession Registers of the Ministry of Defence Library. This does not include the books in Hindi and English of ephemeral value whose number is about 13,000

(b) An expenditure of Rs 2,985.32 was incurred on the purchase of books, in Hindi, during the years 1976-77 and 1977-78. During the same period, an expenditure of Rs. 43,881.32 was incurred on the purchase of books in English.

(c) Names of the newspapers, magazines and journals, in Hindi and English, are given in the attached statements I and II. [Placed in the Librarly. See No. L.T. 2021/78]

(d) Ministry of Defence Library is primarily a specialised reference Library on Defence matters. Every effort is made to purchase books on Defence matters, in Hindi and English, but the availability of Hindi books on Defence matters is rather limited. In order to encourage members to learn and develop interest in Hindi, a separate Book Selection Committee to consider purchase of Hindi books is already functioning.

दिल्ली पुलिस बल संचालन

5689. **श्री के० राममूर्ति**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस बल की कुल कर्मचारी संख्या कितनी है;

(ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के मकानों की सुरक्षा पर कितनी पुलिस लगायी हुई है;

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा दूतावासों की सुरक्षा पर कितनी पुलिस तैनात की गयी है;

(घ) हवाई-अड्डा सुरक्षा तथा विदेशी विनियमन से संबंध कार्य, पर कितनी पुलिस लगाई गई है; और

(ङ) यातायात विनियमन पर कितनी पुलिस लगाई गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल): (क) दिल्ली पुलिस बल की कुल कर्मचारी संख्या 21,499 है ।

(ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा उनके मकानों की सुरक्षा पर विभिन्न रैंकों के 2,347 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं ।

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा विदेशी दूतावासों की सुरक्षा पर विभिन्न रैंकों के 289 पुलिस कर्मचारी तैनात हैं ।

(घ) हवाई अड्डा सुरक्षा तथा विदेशी विनियमन से संबंध कार्य पर विभिन्न रैंकों के 704 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं ।

(ङ) यातायात विनियमन पर विभिन्न रैंकों के 625 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं ।

कागजों के कुछ ग्रेडों के बढ़ते हुये मूल्य

5690. **श्री सी० के० चनद्रप्पन**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ कागज निर्माताओं ने हाल ही में कागज के कुछ ग्रेडों के मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि का अनुमोदन किया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा चलायी जा रही कागज मिलों ने भी अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) यद्यपि कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है किन्तु सरकार उद्योग को किसी पर्याप्त औचित्य के बिना कीमतों में एक पक्षीय वृद्धि करने से निरुत्साहित करती रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ मिलों (ओरियन्ट पेपर मिल्स तथा टीटागढ़ पेपर मिल्स) ने जनवरी, 1978 से संशोधित मूल्य सूचियां जारी की हैं जिसमें कुछ किस्मों के कागजों की कीमतों में वृद्धि की गई है। इन कीमतों में की गई वृद्धि के बारे में सरकार की अप्रसन्नता कागज उद्योग को बताई गई है। साथ साथ लिखाई तथा छपाई कागज की सामान्य किस्मों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अभ्युपाय किये गये हैं जिससे मूल्य स्थिति में सुधार होने की संभावना है। अग्रेतर विनियमन अभ्युपाय तथा आयात करने की संभावना के प्रश्न पर उद्योग की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात् किया जायेगा।

(घ) तथा (ङ) हिन्दुस्तान कागज निगम (भारत सरकार का उपक्रम) के प्रबंध के अंतर्गत आने वाले कागज मिलों ने हाल में अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं की है।

एन० सी० सी० में स्थायी कमीशन दिया जाना

5691. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना से सेवामुक्त हुए एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एन० सी० सी० में स्थायी कमीशन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ऐसे कितने व्यक्तियों को लाभ मिलेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जिन भूतपूर्व आपाती कमीशन अफसरों तथा अन्य पूर्णकालिक राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसरों का सेवा का रिकार्ड अच्छा है उन्हें राष्ट्रीय केडेट कोर में स्थायी कमीशन देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसलिए इस प्रस्ताव से जिन अफसरों को लाभ होगा उनकी संख्या बताना अभी संभव नहीं है।

कांडला पत्तन न्यास की सीमा सलाया तक बढ़ाया जाना

5692 **श्री विनोद भाई बी० शेठ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन न्यास, जो एक बड़ा पत्तन है, की सीमा गुजरात में सलाया तक बढ़ाई गई है; और

(ख) क्या सरकार सीमा के इस विस्तार के बदले गुजरात सरकार को कोई मुआवजा देने पर विचार कर रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कांडला के मुख्य पत्तन की सीमाओं में विस्तार ताकि सलाया के लघु पत्तन को शामिल किया जा सके पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन

5693. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसकी प्रगति के लिए, कतिपय समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए समितियों का गठन किस आधार पर किया गया है; और

(ग) मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए केन्द्रीय हिन्दी समिति ने मार्गदर्शी के सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो अनुलग्नक पर देखे जा सकते हैं।

(ग) 18 जनवरी, 1968 के भाषा संकल्प के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा की प्रगति का लेखा जोखा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है जिसमें प्रगति का ब्यौरा रहता है।

विवरण

हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

सदस्य संख्या :—वैसे कोई निश्चित सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय को अपने कार्य के स्वरूप और क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या निश्चित करनी होगी। सामान्यतः किसी भी समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए; क्योंकि एक तो इससे विचार-विमर्श में सुविधा होगी और दूसरे, यात्रा और दैनिक भत्तों पर भी अधिक व्यय नहीं होगा।

2. **वर्गवार विभाजन**

(क) **सरकारी सदस्य** :—जाहिर है कि मंत्रालय के मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। राज्यमंत्री, उपमंत्री, सचिव, अपर सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे। साथ ही संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष, महानिदेशक, निदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंधक आदि को भी, जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य देख रहे हैं, समिति का पदेन सदस्य रखा जाये। (यदि मंत्री जी चाहें तो वे राज्य मंत्री/उपमंत्री को समिति का उपाध्यक्ष नामित कर दें, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वे बैठक की अध्यक्षता कर सकें)। राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सभी समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे। राजभाषा विभाग का एक अन्य प्रतिनिधि भी सभी समितियों में अवश्य रखा जाना चाहिए।

(ख) **गैर सरकारी सदस्य** :—ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य नामित करना चाहिए जिन्हें हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास में विशेष रुचि हो और जो संबंधित मंत्रालय के कार्यकलाप की अच्छी जानकारी रखते हों।

समिति के सदस्यों को चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :—

(1) संसद् सदस्यों की संख्या :—समिति में सामान्यतया संसद् के 6 सदस्य हों—4 लोक सभा से और 2 राज्य सभा से।

(2) अन्य गैर सरकारी सदस्य :—मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं में से भी एक या दो प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए :—

(i) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ

(ii) नागरी प्रचारिणी सभा,

(iii) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा

(iv) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

यदि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् को भी प्रतिनिधित्व देना हो, तो उसके अध्यक्ष को ही नामित किया जाये ।

जहां तक हो, दिल्ली के बाहर के सदस्यों की संख्या कम ही रखी जाए ताकि यात्रा और दैनिक भत्तों में मितव्ययिता बरती जा सके । जब कभी राजभाषा विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी खास वर्ग या क्षेत्र को किसी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह उस समिति में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है ।

3. **राजभाषा विभाग से परामर्श** :—केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी सलाहकार समितियों के गठन के बारे में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार से राय लेना अनिवार्य है । अब एक नया राजभाषा विभाग बन गया है । इस विभाग के सचिव, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार भी हैं । इसलिए अब समितियों के गठन के बारे में राजभाषा विभाग से ही पूर्व परामर्श काफी होगा । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि परामर्श संबंधित मंत्री के अंतिम आदेश देने के पहले किया जाये ।

4. **समिति का कार्यक्षेत्र** :—विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का काम केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी काम काज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और अपने मंत्रालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है । यदि इन मंत्रालयों के सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समितियां राजभाषा नीति के संबंध में कोई बुनियादी परिवर्तन सुझाती है तो मंत्रालय को चाहिये कि वे राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना उन पर अमल न करें ।

गुम हुए बच्चे

5694. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तथा विशेषकर राजधानी में गुम होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे जनता में आतंक फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार देश में अवांछनीय तत्वों की ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है; और

(ग) गत छह महीनों के दौरान कितने मामलों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अपहरण किया गया तथा उन्हें बरामद किया गया ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय सेना की जाट रेजीमेंट में अधिकारी

5695. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना की जाट रेजीमेंट में अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 434

(ख) अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
2	—

पंजाब में बिजली परियोजनाओं को मंजूरी

5696. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए, जिनके लिए सहमति काफी समय से विचाराधीन है, केन्द्र द्वारा अन्तिम मंजूरी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असाधारण विलम्ब के कारण उत्पन्न निराशा एवं बढ़ रही लागत को देखते हुए कुछ परियोजनाओं का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है और उनका लगभग आधा कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(घ) अन्य पड़ौसी राज्यों के दावों को तथा उनके विपरीत पंजाब सरकार द्वारा विपरीत दृष्टिकोण उठाने की स्थिति को देखते हुए उपरोक्त भाग (ग) पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां, निम्नलिखित परियोजनाओं में अंतर्राज्यीय उलझनें हैं :—

(1) आनन्दपुर साहिब जल विद्युत् परियोजना,

(2) मुकेरियां जल-विद्युत् परियोजना,

(3) अपर बारी दोआब नहर (चरण-दो)

परियोजनाओं में निहित अंतर्राज्यीय वादों के न सुलझाये जाने के कारण आनन्दपुर साहिब, मुकेरियां तथा अपर बारी दोआब नहर (चरण-दो) जल विद्युत् परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं। मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न राज्यों के बीच परियोजना की लागत तथा प्राप्त होने वाले लाभों को बांटने का मामला रेफरी (मध्यथ) को सौंप दिया जाए। यद्यपि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी मानने के बाबत अपनी सहमति भेज दी है किन्तु पंजाब सरकार ने यह कहा है कि मध्यस्थ का निर्णय राज्य सरकार के लिए अन्तिम और बाध्यकारी नहीं माना जायेगा। मामले पर पुनः विचार करने के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है। उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

शान नवीकरण परियोजना के संबंध में पंजाब सरकार से अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध होने पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना के जल-विज्ञान संबंधी पहलुओं की जांच की जायेगी।

(ग) पंजाब सरकार से अब यह पता लगाया गया है कि आनन्दपुर साहिब निर्माण की उन्नत अवस्था में है जबकि मुकेरियां परियोजना अभी निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में है। शान नवीकरण परियोजना का कार्यान्वयन भी पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(घ) आनन्दपुर साहिब, मुकेरियां और अपर बारी दोआब नहर (चरण-दो) जल-विद्युत् परियोजनाओं में निहित अन्तर्राज्यीय वादों को रेफरी (मध्यस्थ) को सौंपने का निर्णय भारत सरकार पहले ही ले चुकी है।

आल केरल स्माल स्केल कॉयर फैक्टरीज ज्वाइंट एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

5697. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल केरल स्माल स्केल कॉयर फैक्टरीज ज्वाइंट एसोसियेशन ने तमिलनाडु की एक फर्म को मशीन पर बने पायदानों के बनाने और निर्यात करने का लाइसेंस देने से नारियल जटा उद्योग में उत्पन्न हुए गम्भीर संकट की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए उन्हें कोई ज्ञापन दिया है।

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने पायदान बनाने के लिए मशीनें आयात करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्माता ने मशीन किस प्रकार प्राप्त की और ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कॉयर उत्पादों को मशीनीकृत उत्पादन प्रश्न पर विभिन्न हितों से हाल ही में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों से एक धारणा उत्पन्न की गई है कि कॉयर उद्योग के मशीनीकरण के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये लाइसेंस से उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों की बड़ी संख्या को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यह सच है कि 1973 में एक फर्म को कॉयर उत्पादों के उत्पादन के लिए मशीनरी का आयात करने हेतु उत्पादन के 75% निर्यातदायित्व के साथ एक लाइसेंस जारी किया गया था। हाल ही में उस मामले की संवीक्षा की गई और यह सुनिश्चिय करने के लिए कि ऐसे लाइसेंसीकरण से देशी उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके उत्पादन के निर्यात दायित्व को बढाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। फिर भी यह पता लगाने के लिए कि गैर मशीनीकृत क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मशीनीरण के समग्र प्रश्न की इस समय संवीक्षा की जा रही है और सरकार सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर अन्तिम निर्णय लेगी।

मैटल-स्क्रेप के निपटान में अनियमितताएं

5698. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों द्वारा ठेकेदारों को "मैटल स्क्रेप" बेचे जाने में की गई गम्भीर अनियमितताओं और धोखाधड़ी के कार्यों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आयुद्ध कारखानों द्वारा "मैटल स्क्रेप" बेचे जाने की वर्तमान प्रक्रिया में उपयुक्त परिवर्तन करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है जिससे संगठित निहित स्वार्थों को समाप्त किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) सरकार को आयुध कारखानों में "मैटल-स्क्रेप" के निपटान के बारे में असफल/असंतुष्ट के टेन्डरदाताओं से कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) ये शिकायतें आमतौर से पक्षपात करने के बारे में होती हैं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो आयुध कारखानों के महानिदेशक द्वारा जांच बोर्ड नियुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए गठित एक अध्ययन दल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्तमान क्रियाविधि को जुलाई, 1976 मे अपनाया गया था और इस क्रियाविधि में संगठित निहित स्वार्थों को निरुत्साहित करने के उपाय दिए गए हैं।

Increase in the Pay Scales of Advisers in A.I.R. and Televisions

5699. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether advisers are appointed for programmes in English and various Indian languages in All India Radio and Television;

(b) if so, whether pay scales of the advisers of English and Hindi programmes have been the same or different; their present pay scales showing increase in pay scales during last ten years;

(c) the pay scales of Literateur, Interviewers and Artists like Programme Assistants, Producers, Announcers etc.; and

(d) names, designations of employees in AIR and details of awards to them who have been honoured and awarded for literary creations by well known and eminent institutions like Sahitya Academy, Sangeet Natya Academy, Bhartiya Gyan Peeth, Rashtra Bhasha Parishad, Mangla Prasad Paritoshik Samiti; Akhil Bharatiya Hindi Sahitya Sammelan, Akhil Bang Sahitya Parishad, Gujarati, Sahityaparishad, Nagri Parcharni Sabha and names of those out of the above mentioned persons who have been encouraged by way of promotions by AIR ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Adavani) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There are no posts of Literateurs, Interviewers and Artists like Programme Assistants. The fee scales of Producers and Announcers in AIR and Doordarshan are as under :—

AIR

Announcers :

Junior Scale	Rs. 425—750;
Senior Scale	Rs. 550—900;
Selection Grade	Rs. 650—1200.

Producers : Rs. 650—1200

DOORDARSHAN

Presentation Announcers :

Junior Scale	Rs. 550—900
Senior Scale	Rs. 650—1200

Producers :

Grade I	Rs. 700—1300.
Grade II	Rs. 650—1200

(d) The information is being collected from stations and will be laid on the Table of the House.

बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के कारखाने द्वारा टेलीविजन उपकरणों के आयात की सूची

5700. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या इलैक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उस कारखाने का नाम क्या है जिसने स्वदेशी उपलब्धता अथवा स्वदेशी उत्पादन की संभावना के सम्बन्ध में वर्ष 1972 में टेलीविजन उपकरणों के आयात की सूची जांच के लिये प्रस्तुत की गई बताई जाती है;

(ख) उस सूची पर क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) ऐसे उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन में इस बीच क्या वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1972 में सरकार के समक्ष छानबीन के लिए ऐसी कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशियों को दार्जिलिंग में प्रवेश की अनुमति न देना

5701. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों को दार्जिलिंग जिले के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई पत्र भी प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सुरक्षा के कारणों से दार्जिलिंग जिले समेत उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को विदेशीय (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था । जो विदेशी इन क्षेत्रों की यात्रा करना चाहते हैं उनको नियत प्राधिकारियों से विशेष परमिट लेने होते हैं । फिर भी विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग टाऊन तथा पर्यटक रूचि के आस पास के कुछ अन्य स्थानों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है । उन्हें 15 दिन तक की अवधि के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि वे बागडोगरा तक हवाई जहाज से यात्रा करें ।

(ग) हाल में इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

5702. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर दिल्ली में सीमेंट की कितनी कमी महसूस की जा रही है ;

(ख) सीमेंट का उत्पादन बढ़ानें के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) बढ़ा हुआ उत्पादन सम्भवत: कब तक बाजार में आ जाएगा तथा इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) 1977-78 का सीमेन्ट का 192.70 लाख मी० टन का अनुमानित उत्पादन अब तक हुए उत्पादन में सबसे अधिक है । यद्यपि सीमेंट के उत्पादन में पिछले वर्ष के उत्पादन से करीब 5 लाख मी० टन की वृद्धि हुई है फिर भी सीमेन्ट के निर्यात पर प्रतिबन्ध तथा जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमेन्ट आयात की व्यवस्था के फलस्वरूप सीमेन्ट की उपलब्धता में करीब 10 लाख मी० टन की वृद्धि हुई है । अधिक उत्पादन और उपलब्धता के बावजूद सरकारी निर्माण कार्यों के साथ-साथ कृषि, उद्योग और मकानों के निर्माण के लिये इस वर्ष सीमेंट की मांग बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण सीमेन्ट की कमी पैदा हो गई है । आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आये तूफानों के कारण हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी सीमेंट की पर्याप्त अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ी थी । वर्ष 1977-78 में सीमेन्ट की मांग और पूर्ति के बीच का अनुमानित अन्तराल करीब 20 लाख मी० टन है।

दिल्ली संघ क्षेत्र को 1976-77 में किए गए सीमेन्ट के 5.40 लाख मी० टन के कुल प्रेषण को 1977-78 में बढ़ाकर 6.33 मी० टन कर दिया गया है । अनुमान है कि वर्ष 1978-79 में सीमेन्ट की कुल उपलब्धता 210 लाख मी० टन अर्थात् 1977-78 की उपलब्धता से करीब 20 लाख टन अधिक होगी । ऐसी आशा है कि सीमेंट की उपलब्धता अधिक बढ़ जाने के फलस्वरूप विकासशील परियोजनाओं और आम जनता की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा ।

विद्यमान एककों के उत्पादन में वृद्धि करने, अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने तथा सीमेंट का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार अनेक अभ्युपायों को क्रियान्वित कर रही है ।

अधिक महत्वपूर्ण अभ्युपायों में प्री-कालसीनेटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा स्लैग/फ्लाई ऐश और अन्य पोजोलानिक सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करना, स्थानीय स्लैग और चूने के पत्थर को उपयोग करने के लिए इस्पात संयन्त्रों के निकट नये सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित करना, चूने के पत्थरों के छोटे छोटे निक्षेपों का उपयोग करने के लिए मिनी सीमेन्ट संयन्त्रों की स्थापना करना तथा नये एककों के निर्माण और विस्तार कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना शामिल है ।

प्रशिक्षण के लिए जेट विमान

5703. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षण के लिए जेट विमानों की कमी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या इन विमानों का आयात किया जा रहा है अथवा उनका देश में उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) रक्षा सेनाओं के लिए जैट प्रशिक्षण विमानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) रक्षा सेनाओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अब पर्याप्त मात्रा में जेट प्रशिक्षु विमानों का निर्माण किया जा रहा है ।

Pensions of Retired Defence Personnel

5704. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is considerable variance in the pensions of service personnel who had retired in 1975 or earlier;

(b) if so, the amount of monthly pension now paid to soldiers and officers on retirement and by what amount it is higher than that was paid earlier; and

(c) whether Government have followed a uniform policy in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) and (b) As a result of the acceptance of the recommendations of the Third Pay Commission and Government's decisions thereon, the rates of retiring pension were revised in 1975 for personnel below officer rank and in 1976/1977 for Service officers. The revised rates were, however, made applicable to all service personnel who have become non-effective on or after 1-1-1973. Thus, there is no difference in the pension of service personnel who retired on 1-1-1973 or on any date thereafter.

As the revised rates of pension are based on the new pay scales which were introduced with effect from 1-1-1973, as a result of the acceptance of the recommendations of the Third Pay Commission, these are obviously higher as compared to the rates of pension admisible to the service personnel who retired prior to 1-1-1973 on pre-revised pay scales. As statement showing the old and revised rates of pension is attached.

[Placed in the Library. See. No.L.T.-2022/78]

(c) The basic principle of relating pension to pay and length of service has been followed.

Spindles and Looms in Gaya Cotton and Jute Mill

5705. **Shri H.L.P. Sinha :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of spindles and looms in Gaya Cotton and Jute Mill in Bihar and the number of looms and spindles functioning at present;

(b) the expenditure incurred by Government of India on the said Mill after it was taken over by them and the number of labourers employed therein; and

(c) whether Government of India propose to make full expansion of the Mill; and if so, by what time; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti):(a) The installed capacity of Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya is 19,200 spindles and 536 looms .The commissioned capacity of this mill as on 31st December, 1977 was 12,500 spindles and 144 looms.

(b) An amount of Rs. 170.36 lakhs approximately has been invested under different schemes in this mill so far. The mill on an average employs 768 workers per day.

(c) Modernisation scheme which interalia envisages raising the spindleage capacity of this mill is under consideration.

सीमेंट से लदे जहाजों के लिए घाट की सुविधाएं

5706. **श्री के० लक्प्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सीमेंट से लदे जहाजों के लिए विभिन्न बंदरगाहों पर घाट की सुविधाएं देने में विलम्ब के बारे में समाचारों का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बढ़ते हुए विलम्ब शुल्क के कारण विदेशी मुद्रा की काफी हानि नहीं हुई है, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :(क) और (ख) सीमेंट ले जाने वाले जहाजों को बड़े पत्तनों पर लगाने में सामान्यतः कोई विलम्ब नहीं होता । कभी-कभी एक ही समय में बहुत से जहाज आ जाने के कारण विलम्ब हो जाता है । 27-3-1978 को सीमेंट ले जाने वाला कोई भी जहाज किसी भी बड़े पत्तन पर घाट की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था । किसी भी विदेशी पार्टी को अभी तक कोई भी विलम्ब शुल्क विदेशी मुद्रा में देय नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Machines for Ordnance Equipment Factory, Kanpur

5707. **Shri Hargoivnd Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether machinery has been imported from abroad with a view to increasing mats production in Ordnance Equipment Factory, Kanpur;

(b) if so, when and the value and quantum thereof;

(c) whether thse machines have been lying unused so far; and

(d) if so, the reasons thereofor

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

"Loss to S.C.I. in 1978"

5708. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Shipping Corporation of India has incurred loss this year also; and

(b) if so, the extent thereof and the reasons thereof ?

Minister of Shipping & Transport (Shri Chand Ram) : (a) & (b) Upto 1976-77, since inception, the Shipping Corporation of India has not incurred any loss. However, indications are that it will incur loss during the year 1977-78. Since the accounts have not yet been finalised and audited, the extent of loss is not known.

The main reason for the anticipated loss is the acute depression in the freight rates world over. In addition, the SCI has been entrusted with promotional services and passenger services for Andaman and Lakshadweep. In the case of the passenger services, below cost rates are charged at the instance of the Government.

हरिजनो पर ज्यादतियों के लिए दण्डार्थ जुर्माना

5709. **श्री पायस टिर्की** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरिजनों के साथ बार-बार ज्यादतियां करने वालों पर दण्डार्थ जुर्माने करने की राज्य सरकारों को सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सामान्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए जुर्माने करने, कैद आदि की व्यवस्था है । नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माने करने की भी व्यवस्था है, जिसमें राज्य सरकारों की इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है । केन्द्र सरकार ने इस विषय पर कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं ।

Setting up of Tractor Industry in Pratapgarh

5710. **Shri Roop Nath Singh Yadav** : Will the Minister of **Industry** be plesed to state :

(a) whether it is a fact that a decision had been taken to set up a tractor factory in Pratapgarh, a backward area in Uttar Pradesh;

(b) if so, the amount sanctioned therefor and when it was sanctioned;

(c) the acreage of land acquired by Uttar Pradesh Government for this purpose and the amount of compensation paid therefor;

(d) whether it is also a fact that after incurring an expenditure of rupees 25 lakhs of public money in setting this factory in Pratapgrarh it is proposed to shift it from there; and

(e) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti):(a) Yes, Sir. Auto Tractors Limited, a State sector undertaking of the Government of Uttar Pradesh, have an industrial licence for the manufacture of agricultural tractors, in a unit to be set up in Pratapgarh, an industrially backward district in U.P.

(b) The State Government sanctioned Rs. 50 lakhs in 1976-77 and Rs. 6.5 lakhs in 1977-78. In the Plan outlay for 1978-79, a token provision of Rs. 25 lakhs has been approved subject to the project being found viable by the financial institutions and the extent of tractorisation desirable in the context of the new Plan priorities.

(c) An area of 113.62 acres of land was obtained for setting up the project out of which 97.92 acres was acquired. The total compensation payable on the acquired land amounts to about Rs. 5,38,460 which has been deposited with the ollector pending finalisation of the award under the Land Acquisition Act.

(d) & (e) There is no proposal to shift this project from Pratapgarh to any other place.

कोयले का उत्पादन लागत

5711. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पूर्व और पश्चात् विभिन्न ग्रेडों के कोयले की उत्पादन लागत क्या थी ;

(ख) इस समय कोयले की उत्पादन लागत क्या है ;

(ग) कोयले की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले के खनन का कार्य गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपने का है ताकि कोयले की उत्पादन-लागत में अन्तर का पता लगाया जा सके और कोयले के मूल्य में वृद्धि को रोका जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विभिन्न ग्रेडों के कोयले की उत्पादन लागत का हिसाब लगाना संभव नहीं हैं । फिर भी, राष्ट्रीयकरण से पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की 1972-73 में कोयले की औसत उत्पादन लागत रु० 34.95 प्रति टन थी । वर्तमान राष्ट्रीयकृत कोयला खानें उस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में थीं इसलिए सरकार के पास उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कोल इंडियया लि० की वर्तमान औसत उत्पादन लागत लगभग रु० 74 प्रति टन है । उत्पादन लागत बढ़ाने के मुख्य कारण मज़दूरी, परिवर्ती महंगाई भत्ता, अनुग्रह धनराशि के भुगतान, सामान की लागत, बिजली दरें, ब्याज तथा मूल्यह्रास में वृद्धि है ।

(ग) जहां कहीं संभव है किफायत करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(घ) जी नहीं ।

थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के लिए कोड

5712. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के अपने-अपने भिन्न कोड हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तीनों सेवाओं के लिए एक जैसे कोड निश्चित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । थल सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 ।

(ख) जी हां । एक एकीकृत संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है । जिसकी तीनों सेना मुख्यालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है ।

(ग) एकीकृत संहिता प्रारूप में 242 धाराएं हैं जो मुख्यतया सेवा शर्तों, अपराधों, दन्ड, कोर्ट मार्शल, मृत, भगोड़े अथवा गुम हुए कार्मिक की निजी सम्पत्ति के निपटान करने जांच-पड़ताल, सशस्त्र सेनाओं के न्याय तन्त्र विनियम बनाने की शक्ति से सम्बन्धित हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ के मार्गों का बदला जाना

5713. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिक क्षेत्रों, विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में जहां राजपथ की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सुविधा के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजपथों के मार्गों को बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय मध्य प्रदेश से गुजर कर इलाहाबाद तक जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ को मोड़कर अम्बिकापुर से राज्य के सिधी जिले से होते हुए इलाहबाद तक ले जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस राजपथ के मार्ग को बदलने से पिछड़े हुए जिले सिधी को सुविधा देने और इलाहबाद तक के फासले को 150 किलोमीटर घटाने के दो-दो प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Prohibition on Use of Non-Fast Colour in manufacturing of Controlled Cloth

5714. **Shri Ram Sagar** : Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) whether any measures have been taken by Government to prohibit the use of non-fast colours by the Textile Mills engaged in manufacturing of controlled cloth; and

(b) whether Government are determined to follow the practice of displaying minimum price along with the maximum price on the cloth ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Use of direct dyes (non-fast colours) is not allowed to any mill manufacturing controlled cloth.

(b) There has been no requirement prescribed by the Government for the industry to stamp minimum alongwith maximum prices on cloth. In case of non-controlled cloth only consumer price (ex-mill plus excise, octoroietc.) is stamped. In case of non-controlled varieties of cloth, the industry is required to stamp only ex-mill price and excise incidence. The question therefore of continuing the practice of displaying minimum and maximum prices side by side on cloth does not arise.

Rural Electrification for M.P. Pending with R.E.C.

†5715. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether many schemes for rural electrification in very backward districts of M.P. like Rewa, Sidhi, Shahdol, Suruguja, Panna and Satna have been pending in the office of Rural Electrification Corporation for the last two years and whether the officers of Rural Electrification Corporation had also completed the survey of the sites several months ago and if so, the reasons for non-implementation of these schemes; and

(b) whether rural electrification schemes of Gange Jawa Hanumana and Sirmaur Bantyonthar block in Rewa district in M.P. have been pending in the Office of Rural Electrification Corporation for the last several months for final clearance and if so, the time by which the work of their implementation would be undertaken ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran):(a) Only two schemes one for District Rewa and another for District Satna are at present pending for sanction. The scheme in Rewa district was received by the Corporation in February, '1978, after revision by the Electricity Board. The scheme in Satna district has not yet been returned to the Corporation after revision by the Electricity Board.

(b) The scheme for Gengeo block has been received by the Corporation in February, 1978, after revision by the Electricity Board.

The scheme for electrification of villages in Maihar block has not been received from the Electricity Board, after revision.

साइकिलों के टायर एवं ट्यूब लघु क्षेत्र में बनाना

5716 : **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल के टायर और ट्यूब के उत्पादन को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है;

(ख) गत वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र और बड़े उद्योग क्षेत्र में इन वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या बड़े उद्योग औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की त्रुटियों का लाभ उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां ।

(ख) बड़े पैमाने का क्षेत्र

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए टायरों व ट्यूबों के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	टायरों का मूल्य (लाख रुपयों में)	ट्यूबों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1975	2248.65	694.47
1976	2462.59	760.31
1977	3030.96	806.28

पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में हुए टायरों व ट्यूबों के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

	1975	1976	1977
साइकिल के टायर उपलब्ध नहीं		686.00	845.00
साइकिल की ट्यूबें उपलब्ध नहीं		396.00	468.00

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

5717. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को ऋण/वित्तीय सहायता मंजूर कर रही है;

(ख) केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कितने तथा किन-किन राज्य/विद्युत बोर्डों को ऐसे ऋण दिये गये हैं और कितने राज्यों को सहायता/ऋण देने के लिये मंजूरी दी गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में कितने ऋण तथा कितनी सहायता मंजूर की गई;

(घ) विभिन्न अवसरों/वर्षों में किन किन राज्य/विद्युत बोर्डों को ऐसी सहायता/ऋण नहीं दिये गये और उन राज्य/विद्युत बोर्डों के नाम क्या हैं जहां अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें हैं और जो केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मन्जूर की गई राशि में से विभिन्न बोर्डों के द्वारा राशि के उपयोग में अनियमितायें/दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और क्या आरोपों के बारे में अब तक कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के निर्माण के लिये राज्यों को ऋण दिये जाते हैं। गत 3 वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों का विवरण संलग्न है ।

(घ) केन्द्र द्वारा आयोजित पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा मेघालय की राज्य सरकारों ने गत 3 वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । चौथी योजना के प्रारम्भ से विभिन्न राज्यों को ऋण दिये गये हैं । ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अन्तर्राज्यीय लाइन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम न माना गया हो ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई निधियों को (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ अभिकरण का नाम	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12.00	—	—
2.	असम	31.67	67.39	38.06
3.	बिहार	—	—	126.44
4.	हरियाणा	—	—	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश	12.85	30.00	59.99
6.	जम्मू और कश्मीर	115.53	—	27.00
7.	कर्नाटक	78.41	40.00	200.75
8.	केरल	152.00	259.52	130.05

1 2	3	4	5
9. मध्य प्रदेश .	--	293.20	100.00
10. महाराष्ट्र .	74.00	72.00	81.00
11. मणिपुर .	40.00	30.00	77.00
12. नागालैंड	55.69	2.41	38.00
13. राजस्थान	—	105.00	59.15
14. सिक्किम .	—	--	75.00
15. तमिलनाडु	44.18	—	9.52
16. उत्तर प्रदेश	16.28	8.50	—
17. पश्चिम बंगाल .	15.00	20.00	120.49
18. गोवा . .	—	10.00	--
19. दामोदर घाटी निगम	241.95	360.00	108.66
जोड़ :	889.56	1298.00	1256.11

Closure of Textile Mills in Gujarat

5718. **Shri Amarsinh V. Rathawa** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether some textile mills were closed in Gujarat during the last five years;

(b) if so, the number thereof and when;

(c) the reasons for their closure;

(d) the efforts made by Government to restart these mills; and

(e) the names of the mills restarted so far and the reasons for which the rest of the closed mills have not been restarted so far and when these are likely to be restarted ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (e) The number of textile mills which closed in Gujarat has varied from time to time during the last five years. However, at present following six cotton textile mills in Gujarat are lying closed :—

S.No.	Name of the Mill	Date of Closure	Reasons for closure
1.	Fine Knitting Co. Ltd., Ahmedabad.	10-7-70	This mill is covered by the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act but the owners have filed a writ petition in Supreme Court against its acquisition by Government. Meanwhile, while the spinning section remains closed, the hosiery section of the mill is working under the erstwhile owners under a Gujarat High Court decree. The case in the Supreme Court is still pending.
2.	Shree Bhagwati Spg. & Wvg. Works, Khanbalia	22-10-75	Damage to the mills caused by cyclone.
3.	Shree Mandvi Spg. Mills Ltd., Kutch-Mandvi	15-11-76	Financial difficulties.
4.	Navjyoti Mills Ltd., Kadi	25-1-77	Financial difficulties.
5.	Ahmedabad Laxmi Cotton Mills., Ahmedabad.	12-8-77	Financial difficulties.
6.	The Manekchowk & Ahmedabad Mfg. Co. Ltd., Ahmedabad.	14-12-76	Financial difficulties.

2. Since the NTC is already shouldering a heavy responsibility of managing 105 cotton textile mills, Government do not favour taking over of more sick or closed mills for management by the National Textile Corporation. Selectively, however, efforts are made to reopen closed mills which are basically viable in consultation with the State Government and the banks concerned. If the State Government comes up with a viable proposal for take over of a closed or sick mill under their own management, Central Government would render administrative and legal assistance. Already, at the instance of the Gujarat Government, an Investigation Committee under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 has been appointed to go into the affairs of the Ahmedabad Laxmi Cotton Mills. The report of the Investigation Committee is awaited.

विद्युत को केन्द्रीय विषय बनाने के लिए विद्युत विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिश

5719. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार की इस सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि विद्युत को केन्द्रीय विषय बनाया जाए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : संविधान में विद्युत पहले से ही एक समवर्ती विषय है । विद्युत विकास में केन्द्रीय योगदान और मार्गदर्शन की व्यवस्था मौजूदा वैधानिक ढांचे में है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 जो देश के विद्युत प्रदाय उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को नियंत्रित करता है, का संशोधन राष्ट्रीय विद्युत नीति का सुदृढ़, समुचित और एकरूप विकास करने तथा केन्द्रीय स्तर पर विद्युत के प्रभावी विकास के लिए अल्पावधि तथा संदर्शी योजनाएं बनाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया है ।

दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

5720. **श्री रोबिन सेन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार दार्जिलिंग के पहाडी क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई विकास योजनाओं हेतु पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए बकाया देय राशि देने पर जोर दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बकाया राशि तत्काल देने की व्यवस्था करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिल्ली-विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के संबंध में स्थापित की गई समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

5721. **श्री उग्रसेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए 1962 से लगभग एक दर्जन समितियां स्थापित की हैं लेकिन इन सभी समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों को अभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ब्रिटेन द्वारा छः माल वाहक जहाजों की सप्लाई

5722. **श्री सौगत राय :**
श्री आर० के० महालगी :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और ब्रिटेन के बीच छः बहुप्रयोजनीय माल वाहक जहाज सप्लाई किए जाने के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) क्या प्रस्तावित जहाज नवनिर्मित हैं अथवा उनका प्रयोग किए हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो करार की शर्तें और ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं । लेकिन भारतीय नौवहन निगम ने छः कार्गो लाईनर जहाज प्राप्त करने के लिए मैसर्स संडरलैंड शिपबिल्डर्ज, यू० के० के साथ एक करार किया है ।

(ख) और (ग) प्राप्त किए जाने वाले जहाजों की सुपुर्दगी अब नवम्बर, 1979 और जून, 1980 के बीच की जानी है । वे प्रत्येक 16,000 डीडब्यूटी के कंटेनर ओरियन्टेड माल जहाज हैं और बिना किसी मूल्यवृद्धि के प्रत्येक जहाज की संविदागत कीमत 8.485 मिलियन पौंड है । इन जहाजों की पूरी लागत यू०के०-इंडिया संयुक्त परियोजना अनुदान में से दी जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की खराब बसें

5723. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1974 में और उसके बाद खरीदी गयी बसों में से कितनी, डिपोवार खराब पड़ी हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनको सड़क पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत इस समय कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं और निगम उनके लिए उन्हें हर महीने कितनी राशि देती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) संबंधित अवधि में निगम के बेड़े में जोड़ी गयी कुल 1,100 बसों में से 39 बसें बड़ी मरम्मतों के लिए खड़ी हैं । 17-2-1978 के अनुसार इन बसों की डिपोवार और वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) इन बसों को रोके रखने का मुख्य कारण यह है कि उनके इंजनों की ओवर हालिंग कुछ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ही करनी होती है । कुछ बसों की, जिन्हें बड़ी दुर्घटनाएं हुई, बाडियों की मरम्मत और चेसिसों का नवीकरण भी करना है ।

(ग) निगम इन बसों की मरम्मत के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रहा है ।

(घ) 20-2-1978 के अनुसार, निगम ने दो विभिन्न योजनाओं अर्थात् किलोमीटरेज स्कीम और एडमिनिस्ट्रेटिव और अप्रेशनल कंट्रोल चार्जेज स्कीम के अधीन 887 बसें लगायी थीं । इनमें से 625 बसें पहली योजना के अधीन चल रही थी और शेष 262 बसें, जिनमें 251 मिनी बसें शामिल हैं, दूसरी योजना के अधीन चल रही थी । किलोमीटर योजना के अधीन चल रही बसों की कमाई निगम

द्वारा रखी जाती हैं और परिचालकों को निम्नलिखित दरों पर प्रतिदिन बसों द्वारा तय की गयी किलोमीटर दूरी के आधार पर दिया जाता है :—

स्कीम 'क'

बस की आयु और माडल	दर प्रति कि०मी० रु०
(i) दो वर्ष और इससे कम पुरानी बस	1.50
(ii) दो वर्ष से अधिक और 6 वर्ष तक पुरानी बस	1.40
(iii) 6 वर्ष से अधिक पुरानी बस	1.30

न्यूनतम गारंटीशुदा किलोमीटरी दूरी प्रतिदिन 250 अथवा प्रतिमास 7,500 कि०मी० है ।

स्कीम 'ख'

बस की आयु और माडल	दर प्रति कि०मी० रु०
(i) दो वर्ष और इससे कम पुरानी बस	1.60
(ii) दो वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष तक पुरानी बस	1.50
(iii) 6 वर्ष से अधिक पुरानी बस	1.40

स्कीम 'ख' के अधीन, प्रातः और दोपहर बाद व्यस्ततम समय में प्रतिदिन प्रति बस कम से कम 125 कि०मी० की गारंटी होती है ।

एडमिनिस्ट्रेटिव और अप्रेशनल कंट्रोल चार्जेस स्कीम के अधीन चल रही बसों के स्वामियों को निगम द्वारा कुछ नहीं दिया जाता । क्योंकि उनके पास टिकटों की बिक्री का धन रहने दिया जाता है । दूसरी ओर, रूट की कमाई पर निर्भर करते हुए परिचालकों द्वारा निगम को मासिक आधार पर प्रशासनिक प्रभार देना होता है जो प्रतिमास प्रति बस 250 रु० से 1000 रु० तक होता है ।

विवरण

17-2-78 के अनुसार खराब बसों की माडलवार और डिपोवार स्थिति

क्रम सं० डिपो	1974-75	1975-76	1976-77	कुल
लेलैंड				
1. बवाना	—	1	—	1
2. आई० पी० डिपो	—	2	2	4
3. एम० पी० डिपो	6	1	—	7
4. ओखला-I .	—	1	—	1
5. ओखला-II .	—	1	—	1
6. एस० एन० डिपो	1	—	—	1
7. शाहदरा-II	1	—	—	1
8. डब्ल्यू० पी० डिपो-II	1	—	—	1
योग :	9	76		17'क'

क्रम सं० डिपो	1974-75
टाटा	
1. बी०बी०एम०-II	—
2. एस०एन० डिपो-II	1
3. आई० पी० डिपो	19
4. के० जे०डिपो	2
योग :	22 'ख'

कुल योग 'क' जमा 'ख'-39 बसें

ब्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना में कर्मचारियों की छंटनी

5724. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के अनेक कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने श्रमिकों को ऐसे नोटिस दिये गये हैं;

(ग) क्या अनुभवी कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाये रखने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है । परियोजना का निर्माण-कार्य संबंधित राज्यों की ओर से ब्यास निर्माण बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

ब्यास परियोजना में निम्नलिखित यूनिटें हैं:—

यूनिट-एक —ब्यास सतलुज लिंक

यूनिट-दो —पोंग स्थित ब्यास बांध

ब्यास पारेषण लाइनें ।

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में कार्य प्रभारित कमचारी

निर्माण के चरम चरण में इस परियोजना के लिए नियुक्त किए गए कार्य प्रभारित कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

पर्यवेक्षी कर्मचारी	3115
कुशल मजदूर	13727
अकुशल मजदूर	19771
जोड़	36613

ब्यास परियोजना के प्रमुख सिविल निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप, बहुत बड़ी संख्या में कामगार ब्यास परियोजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से फालतू हो गए थे । अतः इन फालतू कामगारों की छंटनी करना आवश्यक हो गया है । ब्यास परियोजना प्रशासन का अपना कोई संवर्ग नहीं है । यह इसी परियोजना के लिए एक पूर्णतः अस्थायी निर्माण संगठन है और जब काम पूरा हो जाएगा तो इसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा ।

ब्यास परियोजना में छंटनी का चरणबद्ध कार्यक्रम

मार्च, 1977 के अन्त के लगभग, परियोजना प्राधिकारियों ने ब्यास सतलज लिंक परियोजना के लगभग 1000 कामगारों को छंटनी के नोटिस दिए थे । नोटिस की अवधि 30 जून, 1977 तक बढ़ा दी गयी थी ।

परियोजना प्राधिकारियों ने 28 जून, 1977 को निम्नलिखित मजदूर यूनियनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे :--

(मूल रूप में समझौते की प्रति संलग्न है) **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल टी 2023/78]**

यूनिट-एक	मजदूर यूनियन किस संघ आदि में अंगीकृत है
(1) बी०एस० एल० कर्मचारी संघ	बी० एम० एस०
(2) आई० टी० आई० वर्कर्स एसोसिएशन	बी० एम० एस०
(3) बी० एस० एल० ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यूनियन	एटक
(4) बी० एस० एल० वर्कचार्जड इम्पलाईज यूनियन	एटक
(5) वर्कचार्जड यूनिट	स्वतन्त्र
(6) मजदूर एकता यूनियन	सी० आई० टी० यू०
(7) बी० एस० एल० वर्कर्स यूनियन	इन्टक
यूनिट-दो	
(1) वर्कर्स यूनियन, तलवाड़ा	इन्टक
(2) ब्यास प्रोजेक्ट इम्पलाईज यूनियन	स्वतन्त्र
(3) एकता मजदूर यूनिट	सी० आई० टी० यू०
(4) पौंग डैम मजदूर यूनियन	एटक
(5) ब्यास डैम कर्मचारी संघ	बी० एम० एस०
(6) पंजाब पी० डब्लू० डी० मोटर ड्राइवर्स यूनियन, तलवाड़ा	स्वतन्त्र

ब्यास सतलुज लिंक के कामगारों की छंटनी संबंधी स्थिति नीचे लिखे अनुसार है (20-2-1978 तक की स्थिति) :--

पर्यवेक्ष	1847
कुशल	7925
अकुशल	14443
जोड़ :	24215

(ग) ब्यास परियोजना को ट्रेड यूनियनों तथा कामगारों ने क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में पुनः खपा लिए जाने के लिए अभ्यावेदन किया है ।

(घ) ब्यास परियोजना के पूरा हो जाने पर कामगारों की वैकल्पिक रोजगार देने की समस्या पर भारत सरकार 1974 से ध्यान दे रही है और इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(1) सितम्बर, 1974 में भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ मामले को उठाया था और कामगार जिन संघटकों में काम पर लगे थे, उन संघटकों के पूरा हो जाने पर जिन कामगारों को छंटनी किए जाने की संभावना थी उन्हें राज्य सरकारों में खपा लेने का अनुरोध उनसे किया था । इसके परिणामस्वरूप पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों ने ब्यास परियोजना से छंटनी हुए कर्मचारियों के लिए सेवा में प्रवेश की आयु जैसी कुछ शर्तों में ढील दी है ।

(2) वैकल्पिक रोजगार ढूंढ़ने तथा परियोजना के फालतू कामगारों को खपाने में सहायता करने के लिए ब्यास परियोजना ने सितम्बर, 1974 में एक "प्लेसमेंट सेल" भी स्थापित किया था । बाद में इस सेल को सुदृढ़ किया गया था और इसे ब्यास परियोजना के निदेशक (पुनर्वास) की देख-रेख में रखा गया था ।

(3) अन्य राज्य सरकारों को भी अपने-अपने संगठनों में फालतू कामगारों को खपाने के लिए लिखा गया था ।

(4) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (फालतू कर्मचारी कक्ष) से भी सम्पर्क किया गया और वे इस बात पर सहमत हो गए कि जिन कर्मचारियों ने परियोजना में तीन वर्ष से अधिक की सेवा कर ली हो उनके नाम देश में कहीं भी पुनर्नियुक्ति के लिए वे रजिस्टर कर लेंगे ।

(5) जनवरी, 1976 में केन्द्रीय सरकार के विद्युत सचिव ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सचिवों के साथ हुई एक बैठक में इस समस्या पर विचार-विमर्श किया था और उनसे अनुरोध किया था कि ब्यास परियोजना के छंटनीशुदा कर्मचारियों को वे अपने-अपने राज्यों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने की प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और उनके द्वारा शुरू की जाने वाली नयी परियोजनाओं में नियुक्ति के लिए इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को वरीयता दें ।

(6) दिसम्बर, 1976 में श्रम मंत्रालय ने रेल, निर्माण और आवास/नौवहन और परिवहन/इस्पात और खान मंत्रालयों में उन कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों की सूची परीपत्रित की थी जिन्हें ब्यास परियोजना प्राधिकारियों द्वारा फालतू घोषित किए जाने की संभावना थी और इन मंत्रालयों से अनुरोध किया था कि वे अपने अधीन संस्थानों/परियोजनाओं को यह सलाह दें कि इस श्रम शक्ति के लिए वे अपनी-अपनी आवश्यकताएं रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय को बताएं ।

(7) ब्यास परियोजना में कार्यरत कामगारों की यूनियन ने इस प्रस्तावित छंटनी के संबंध में कतिपय मांगें की थी । पक्षों के अनुरोध पर मांगों के संबंध में समझौता करने के लिए यूनियन और ब्यास परियोजना प्रबंध के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किए गए थे । काफी समय तक विचार-विमर्श के बाद 28 जून, 1977 को समझौता हो गया था । (मूल रूप में समझौते की प्रति संलग्न है)

(8) जुलाई, 1977 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, केन्द्रीय जल आयोग, चुखा जल-विद्युत परियोजना और भारत के राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम से भी अनुरोध

किया गया था कि वे इन कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो जाने पर अपने-अपने संगठन में उन्हें खपाने की संभाव्यता पर वे विचार करें ।

(9) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्द्र सरकार ने पुनः मामला उठाया था जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे कुछ विशेष उपाय करने के लिए अनुरोध किया था कि छंटनी किए गए कामगारों को वे अपने-अपने विभागों/संगठनों में काम पर लगा लें ।

(10) पंजाब सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि ब्यास परियोजना के छंटनी किए गए कामगारों में से जो भी योग्य पाए जाएं, उन्हें थीन बांध परियोजना पर वे खपा लें । इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों ने भी पंजाब सरकार को एक पत्र भेजा है । ब्यास परियोजना से छंटनी हुए 353 कामगारों को सलाल परियोजना में खपाया जा चुका है । इसके अलावा लोकतक, गिरिबाटा, चुखा और अन्य परियोजनाओं पर वैकल्पिक रोजगार खोज दिए गए हैं ।

(11) ब्यास से छंटनी किए गए कामगारों को विदेशों में भेजने के लिए ब्यास परियोजना प्रशासन ने हाल ही में एक 'ब्यास प्रोजेक्ट वर्कर्स कोआपरेटिव सीसाइटी' बनाई है और इस सोसाइटी का पंजीकरण श्रम मंत्रालय, विदेश रोजगार कक्ष में करवा लिया है । श्रम मंत्रालय ने इस शर्त पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दे दिया है कि विदेश में नियुक्ति कराने संबंधी जो कार्य इस सोसाइटी ने हाथ में लिया है वह ब्यास परियोजना के फालतू कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा ।

अन्य परियोजनाओं में नियुक्त किए गए ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के छटनीशुदा कामगार— 31-10-1977 को स्थिति

कहां खपाए गए	कुशल	अकुशल
ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	429	238 दिहाड़ी पर
गिरिबाटा परियोजना	129	
लोकतक परियोजना	318	
चुखा जल-विद्युत परियोजना	88	
सलाल परियोजना	353	
एस०वाई०एल०	27	
वेपकोस	6	
जिन कामगारों ने अपनी बारी से पहले ही छंटनी मांग ली थी और वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर लिया था	983	1069
अन्य परियोजनाएं	604	
जोड़ :	2937	1307 = 4244

त्रिपुरा और पूर्वी राज्यों का विकास

5725 **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा के औद्योगिक दृष्टि से विकास की उपेक्षा की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार त्रिपुरा और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष बल देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर पर सुधार लाने की दृष्टि से वहाँ नये उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) सरकार को पता है कि त्रिपुरा और समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक अवस्थापना का निर्माण नहीं हुआ है और इसके औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है । अवस्थापना के विकास के साथ-साथ सरकार उत्तरीपूर्वी क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों जैसे कागज और सीमेंट, विशेष रूप से छोटे (मिनी) सीमेंट संयंत्रों, की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण और राज्य के भूतत्वीय एवं खनन विभागों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे खनिज स्रोतों के सर्वेक्षण क्षेत्र के औद्योगिक विकास में योगदान दिये जाने की आशा है। उत्तर-पूर्वी परिषद् भी क्षेत्र में ऐरो-मेग्नेटिक खनिज सर्वेक्षण करेगा। रोजगार के अवसरों को अधिकतम करने, क्षेत्र में लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, हथकरघों, रेशम उद्योगों और खादी तथा ग्रामोद्योगों को संवर्द्धनात्मक उपाय करके सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रूपनगर पंजाब में ताप बिजलीघर

5726. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित ताप बिजलीघर रामनगर, पंजाब को मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रूपनगर, पंजाब में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है, क्योंकि तकनीकी-आर्थिक अध्ययन अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं।

5 अप्रैल, 1978 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना

5727. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और गढ़वाल डिवीजन के लिए योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) गढ़वाल डिवीजन के लिए गत दो वर्षों में कितना धन आबंटित किया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1978-79 के लिए केन्द्रीय आबंटन राज्य सरकार को पहले ही बताए जा चुके हैं। वार्षिक योजना और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1978-79 के लिए क्षेत्रीय आबंटनों के ब्यौरे की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की योजना के लिए आबंटन डिवीजनों के आधार पर नहीं किए जाते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए किए जाते हैं। इसलिए यह सूचना देना संभव नहीं है।

Meeting of the National Development Council

5728. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the outcome of the discussions held on the Five Year Plan for 1978-83 in the two-day meeting of the National Development Council;

(b) the main suggestion made by the Chief Ministers of the various States therein; and

(c) the reaction of Government to these suggestions ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The National Development Council, after its two-day deliberations on the Draft Five Year Plan 1978–83, approved the objectives of removal of unemployment, reduction in poverty and inequalities and continued progress towards self-reliance and generally welcomed the proposals in the Draft Plan in furtherance of these objectives. The Council approved the corresponding increased allocations for agriculture, rural development, irrigation, flood control and power and village and small scale industries. As the Hon'ble Member is aware, a copy of the statement adopted by the Council in this regard was laid on the Table of the House on March 20, 1978.

(b) & (c) The detailed proceedings of the National Development Council are under preparation and will be published when ready.

The observations made by the Chief Ministers will be taken account by the Planning Commission in finalizing the Plan.

मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दूसरे एकक की स्थापना

5729. **श्री शरद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपने दूसरे एकक की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक

5730. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में योजना और केन्द्र राज्य-संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितीय सम्बन्ध के स्वरूप, प्रणाली और रीति के बारे में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक मुख्य मंत्री द्वारा उठाये गये (एक) मुख्य और (दो) साधारण मुद्दों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार को अवगत कराई गई प्रत्येक राज्य-संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य और साधारण शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) भाग (क) के उत्तर में सूचित प्रत्येक मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की विस्तृत कार्यवाही तैयार की जा रही हैं और तैयार हो जाने पर प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपने विचार-विमर्श के अंत में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। **[देखिए पंथालय में रखी गई। संख्या एल० टी०-2024/78]**

संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना

5731. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 29 सितम्बर, 1977 को नई दिल्ली में "आल इंडिया नेपाली भाषा समिति" के एक प्रतिनिधिमण्डल से साक्षात्कार किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधिमण्डल की क्या माँग थी और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने और उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग के प्रति उदासीन थी ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह जानती है कि पूरे भारत में 50 लाख से भी अधिक नेपाली लोगों की मातृभाषा नेपाली है जो संस्कृत से निकली भारत की एक पुरानी और समृद्ध भाषा है ;

(ङ) क्या सरकार यह जानती है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधान सभाओं ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें सरकार से नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता देने और उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया था ; और

(च) क्या सरकार का विचार भारत में रह रहे लाखों नेपाली लोगों की इस लोक तांत्रिक माँग को, जिसे देश की समूची लोक तांत्रिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, स्वीकार करने का है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (च) :—

ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल 29 सितम्बर, 1977 को गृह मंत्री से नहीं मिला। तथापि, सरकार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्पों की जानकारी है।

अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति का एक प्रतिनिधि मंडल 29 सितम्बर, 1977 को प्रधान मंत्री से मिला था और आठवीं अनुसूची में नेपाली को शमिल करने के लिए आग्रह किया था। प्रधान मंत्री ने उनको सूचित किया कि उनके सुझाव को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं होगा। किन्तु सरकार का प्रयास सभी भाषाओं की सांस्कृति तथा साहित्यिक परम्परा के विकास को प्रोत्साहन देना है चाहे वे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हों अथवा नहीं। उन क्षेत्रों में जहाँ नेपाली प्रचलित हैं नेपाली के माध्यम से शिक्षा अध्ययन तथा नेपाली साहित्य तथा भाषा के विकास तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए नेपाली के प्रयोग के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। साहित्य अकादमी द्वारा नेपाली भाषा को मान्यता दी जा चुकी हैं।

कोयले से चलने वाले विद्युत् संयंत्रों के लिए विश्व बैंक से ऋण

5732. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कोयले से चलने वाले दो नए विद्युत संयंत्रों के लिए ऋण देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ;

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश के नीचे लिखे दो वाष्प-विद्युत् संयंत्रों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव किया गया था :—

(1) कोरबा सुपर ताप-विद्युत् केन्द्र का पहला चरण जिसमें 1100 मेगावाट (200-200 मेगावाट की 3 यूनीटें तथा 500 मेगावाट की एक यूनिट) की प्रतिस्थापना की जानी है। इस विद्युत् केन्द्र की चरम क्षमता 2100 मेगावाट होगी जिसमें 200-200 मेगावाट की तीन यूनिटें और 500-500 मेगावाट की तीन यूनिटें होंगी। इस परियोजना के पहले चरण पर, जिसमें 1100 मेगावाट की प्रतिस्थापना और सम्बद्ध पारेषण लाइनें होंगी, 551.7 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 200 मिलियन डालर के ऋण के बारे में बातचीत पूरी हो गयी है।

(2) महाराष्ट्र की ट्राम्बे विस्तार परियोजना (यूनिट नं० 5) जिसमें 500 मेगावाट की एक यूनिट की प्रतिस्थापना होगी। इस परियोजना पर 175 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। विश्व बैंक से 105 मिलियन डालर के ऋण के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गयी है।

ग्राम शिल्प, नई दिल्ली के बारे में बिक्री कर नम्बर

5733. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी आयोग के एक बिक्री एकक, ग्राम शिल्प, नई दिल्ली ने पृथक् बिक्री कर नम्बर प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो नियमों के अधीन यह कहाँ तक उचित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 40(बी) के उपबन्धों के अनुसार बिक्री कर विभाग में पंजीकृत व्यवसायी को यदि वह दिल्ली में व्यवसाय नये स्थान पर शुरू करता है तो पंजीकरण के अपने प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए आवेदन करना होता है। मैसर्स खादी एवं ग्रामोद्योग एम्पोरियम (ग्राम शिल्प) ने 18-9-1976 को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 (2) के साथ पठित दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 14 के अधीन पृथक पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। पंजीकरण कार्रवाई के दौरान की गई पूछताछ से मालूम हुआ कि यह एम्पोरियम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का एक एकक है जो भारत सरकार का सांविधिक निकाय है तथा मैसर्स खादी ग्रामोद्योग भवन, 24 रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली के नाम तथा स्टाइल से व्यवसायी के रूप में पहले से ही पंजीकृत है। उक्त अधिनियम की धारा 40 (बी) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 1808/ए के संशोधन के लिए आवेदन पत्र देने के लिए कहा गया था। संशोधन हेतु उनका आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर मैसर्स खादी एवं ग्रामोद्योग एम्पोरियम का नाम 8-2-77 से उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र में शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार मैसर्स ग्राम शिल्प मैसर्स खादी एवं ग्रामोद्योग 24 रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली की शाखा के रूप में मैसर्स खादी एवं ग्रामोद्योग एम्पोरियम, नई दिल्ली के नाम तथा स्टाइल से पंजीकृत है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबन्ध

5734. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 310 और 311(2)(ग) में उचित संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 310 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जो भी स्थिति हो, के प्रसाद काल में अपने पद पर कार्य करता रहेगा । किन्तु, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा प्रसाद के प्रयोग को अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) तथा (2) के उपबन्धों द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है । चूंकि अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) का परन्तुक 'ग' एक विशेष उपबन्ध है जिसका सहारा केवल राज्य की सुरक्षा के हितों में ही लिया जा सकता है, इसलिए सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता ।

भारत में स्थापित संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के नाम

5735. **श्री पी० कानन :**

श्री अरविन्द बाला पजनौर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में उनकी अपनी-अपनी साम्य पूंजी की भागीदारी क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये परियोजनायें सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें न कि केवल गैर-सरकारी भागीदार के लिए परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी इक्विटी की भागीदारी के प्रस्तावों की संख्या नीचे दी जाती है :--

वर्ष	स्वीकृत किये गये विदेशी इक्विटी की भागीदारी के प्रस्तावों की संख्या
1975	40
1976	39
1977	27
	106

सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी इक्विटी की भागीदारी सहित सभी सहयोग के प्रस्तावों का पूरा-पूरा ब्यौरा देने वाली तिमाही सूचियाँ संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं इन सुचियों में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु तथा क्या इन प्रस्तावों में विदेशी इक्विटी की भागीदारी अर्न्तग्रस्त है, बतायी गई है ।

(ख) विदेशी इक्विटी की भागीदारी सहित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का गुणावगुणों के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और उन पर तभी स्वीकृति दी जाती है जब वे राष्ट्रहित में होते हैं । विदेशी सहयोग के बारे में सरकारी नीति चयनात्मक है तथा यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के

अनुरूप है । केवल उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख उद्यमों तथा उन अन्य क्षेत्रों जिनमें विदेशी तकनीक का आयात आवश्यक समझा जाता है, सामान्य रूप से विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है ।

Appeals Filed by Misa Detenus in High Courts

5736. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of cases pertaining to the persons detained during Emergency in respect of which ex parte decisions have been pronounced by various courts and High Court of Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that the persons involved in these cases were not given a chance to produce evidence or appear in person;

(c) if so, whether there was no time left for appeals being filed in High Courts and then in Supreme Court after the case pertaining to MISA detenus had been decided by lower courts;

(d) if so, the number of such cases pertaining to different charges; and

(e) whether the cases, in which appeals could not be filed are proposed to be given a special chance ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) (b), (c), (d) & (e) The Maintenance of Internal Security Act, 1971 does not provide for trial of the detenus by courts and, therefore, the question of leading evidence and filing appeals against the decision of lower courts in cases of detention under this Act does not arise. The detenus only have a right to file a petition for the Writ of *Hebeas Corpus* in the appropriate High Court or in the Supreme Court under Articles 226 and 32 of the Constitution. However, by an order made under article 359 of the Constitution on June 27, 1975, the President suspended, *inter alia*, the right to move any court for the enforcement of the rights guaranteed under article 21 of the Constitution. The Supreme Court in a majority judgment delivered on 28th April, 1976 held that in view of the Presidential Order dated 27th June, 1975, no person had *locus standi* to move any writ petition under Article 226 before a High Court for *Habeas Corpus* or any other writ or order or direction to enforce any right to personal liberty of a person detained under the Maintenance of Internal Security Act. The pending writ petititons before the High Courts were accordingly dismissed.

Since all persons detained under MISA during the Emergency have already been released, the question of the Government giving them a chance to plead their cases before the concerned courts at this stage does not arise.

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े आर्थिक मामलों से संबंधित मुकदमें

5737 **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में राज्यवार आर्थिक मामलों से संबंधित कितने मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने मुकदमे पाँच वर्षों से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं

(ख) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में तथा संघ क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि उन न्यायालयों में नए न्यायाधीश नियुक्त कर आर्थिक मामलों से संबंधित मुकदमों का फैसला किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Report regarding Indianisation of Foreign Companies

5739. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the Economic Adviser to the Government of India has recently submitted a report suggesting Indianisation of foreign companies in the country; and

(b) if so, the main recommendations made in report ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) The Office of the Economic Adviser to the Government of India in the Ministry of Industry makes a periodical survey of employment of foreign nationals in companies in India. The survey, which is based on reports sent by firms employing foreign nationals, is purely factual and does not contain any recommendations.

व्यापार केन्द्रों की स्थापना

5739. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :
श्री राघवजी :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री निर्मल चन्द जैन :
श्री गोविन्द राम भिरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त का विचार निकट भविष्य में विभिन्न राज्यों में अनेक व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश उन राज्यों में एक राज्य है जहाँ उक्त केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) मध्य प्रदेश में भोपाल में 1978-79 में एक व्यापार केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आपात स्थिति के दौरान दण्डित किये गये कर्मचारी

5740. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सूचना और प्रसारण विभाग में आपात स्थिति के दौरान कितने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया अथवा पदावनत किया गया अथवा श्रेणी से निकाला गया;

(ख) क्या सेवा समाप्त करने, पदावनत करने अथवा श्रेणी से निकालने से पूर्व उन्हें कोई आरोप-पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने उनके साथ किए गए अन्याय को दूर करने के लिए उनके मामलों पर अब तक विचार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) नौ व्यक्तियों को सेवा से निकाला गया था तथा एक को पदावनत किया गया था।

(ख) उपरि उल्लिखित नौ में से छः व्यक्तियों को समय-पूर्व सेवा निवृत्त किया गया था जिसके लिए नियमों के अंतर्गत कोई कारण बताओ नोटिस या आरोप-पत्र देना अपेक्षित नहीं है। शेष मामलों में, यह अपेक्षा पूरी की गई थी।

(ग) समय-पूर्व सेवानिवृत्त किए गए छः व्यक्तियों में से एक को बहाल कर दिया गया है और एक और का अभ्यावेदन विचाराधीन है। शेष चार व्यक्तियों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।

जिन तीन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उनमें से दो ने कोई अपील नहीं की है और तीसरे व्यक्ति की अपील पर विचार किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया। जहाँ तक पदावनत किए गए व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसको लघु दण्ड देकर उसके मूल पद पर बहाल कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिजोरम में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

5741. **डा० आर० रोथुअम** : : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि सिल्चर से आइजावल तक बिजली के तार लगाने का काम एक वर्ष पहले पूरा हो जाने के बावजूद मुख्य लाइनों के साथ-साथ किसी भी ग्राम में बिजली नहीं पहुंचाई गई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम बहुत धीमी गति से किया जाता है तथा अब तक सम्पूर्ण मिजोरम में लगभग 8 ग्रामों में उपयुक्त रूप से बिजली पहुंचाई गई है ;

(ख) मिजोरम राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निश्चित रूप से कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ;

(ग) कोलोडाइन, डेलेवारी, कर्णफूली, सोनाई आदि जैसी अनेक नदियों और वहाँ के उच्च प्राकृतिक झरनों, अत्यधिक जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार मिजोरम में पनबिजली परियोजना स्थापित करने का है जिनसे इन प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मिजोरम में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके ; और

(घ) सम्पूर्ण भारत में तथा विशेषकर पूर्वोक्त पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 31-1-1978 को स्थिति के अनुसार मिजोरम के 229 गांवों में से 10 गांव विद्युतीकृत थे। भौगोलिक परिस्थितियों, संचार सुविधाओं की कमी, क्षेत्र में पारेषण/वितरण तार-जाल अपर्याप्त होने, भार विकास में कमी आदि कारणों से मिजोरम में गाँवों का विद्युतीकरण सामान्यतः धीमी गति से हुआ है।

(ख) मिजोरम की 1977-78 की वार्षिक योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 60 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

(ग) मिजोरम की डालेश्वरी और माट सरिताओं पर जल विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए व्यवस्था की गई है।

(घ) देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियों का आवंटन पंचवर्षीय योजनाओं की क्रमागत अवधियों में बढ़ रहा है। विद्युतीकरण की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवयकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक निश्चित आवंटन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने तथा स्कीमें तैयार करने में उनकी सहायता करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जिनमें से एक गोहाटी में है।

दिल्ली परिवहन निगम के पास बसों की संख्या

5742. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास इस समय कुल कितनी बसें हैं और यात्रो यातायात के लिए इस समय कितनी बसों की आवश्यकता है ;

(ख) वर्ष 1977-78 में कितनी नई बसें चलाई गई ;

(ग) पड़ोसी राज्यों से कितनी बसें मंगाई गई ; और

(घ) प्रतिदिन आने जाने वालों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 29-3-78 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 2194 बसें थीं। जो बसें निगम ने किराए पर ली हैं और जो इसके नियंत्रणाधीन चल रही हैं, उन्हें मिलाकर ये बसें व्यस्ततम समय को छोड़कर शेष समय में नागरिकों की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) 40।

(ग) पड़ोसी राज्यों से बसों की सहायता नहीं ली गई है।

(घ) दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:--

(1) 1977-78 के दौरान 162 नई बसें खरीदने के लिए आर्डर दिया गया, जिनमें से 40 बसें अब प्राप्त हो गई हैं।

(2) निगम के नियंत्रणाधीन परिचालनार्थ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 901 मिनी बसें लगाई गई हैं जिनमें 250 मिनी बसें शामिल हैं।

(3) वर्कशापों में खडी बसों की मरम्मत करने के लिए एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष अवसर देना

5743 **श्री दुर्गाचन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की, जो छः साल की सेवा कर चुके हैं और 35 वर्ष से कम आयु के हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सम्बद्ध सेवा परीक्षा में बैठने के लिए एक विशेष अवसर दिया जाना चाहिए ;

(ख) क्या कार्मिक विभाग ने इस तर्क के आधार पर उक्त सिफारिश के क्रियान्वयन को रोक लिया है कि छः वर्ष की अवधि घटाकर चार वर्ष कर दी जायेगी, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को चार वर्ष की सेवा के बाद राज्य की सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है और उक्त निर्णय के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :

सिफारिश संख्या 16(ख)

"प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सरकारी सेवा के 6 वर्ष पूरे कर लिए हों, और वह 35 वर्ष की आयु से कम का हो, गैर-तकनीकी प्रथम श्रेणी के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का केवल मात्र एक अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे उसने पहले कितने ही अवसर लिए हों बशर्ते कि वह शैक्षिक योग्यता की शर्तों को पूरा करता हो ।"

(ख), (ग) तथा (घ) सरकार ने इस सिफारिश को अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि सरकारी कर्मचारियों की खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये आयु सीमा में सामान्य छूट दिया जाना कानूनी रूप से अनुज्ञेय नहीं था ।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए हिमाचल प्रदेश को ऋण

5744. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 1977-78 के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 21, 21.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन लाइनों पर काम कब तक हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 1977-78 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने 59.99 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) तथा (ग) लाइनें तथा उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथियां नीचे दी जाती हैं :-

पारेषण लाइन का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
गिरि यमुना	पूर्ण हो चुकी है।
देहर-शिमला 132 के वी -एस/सी	दिसम्बर, 1978
अब्दुलापुर माजरों 132 के वी-एस/सी	1981-82

Singrauli Thermal Power Station at Keota (M.P.)

†5745. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) The estimated cost of the Singrauli Thermal Power Station which is being set up at Kota in Madhya Pradesh;

(b) the number of villages in Sidhi District (Madhya Pradesh) likely to be affected on account of the setting up this power station and the rate at which compensation will be paid to them;

(c) the scheme to rehabilitate the persons displaced from there; and

(d) the quantum of power Madhya Pradesh is likely to get from this power station ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The estimated cost of the first stage of Singrauli Super Thermal Power Station involving the installation of 600 MW capacity is Rs. 255.66 crores. The power station is being set up in Mirzapur District of Uttar Pradesh.

(b) & (c) The land required for the project, which is being acquired by the National Thermal Power Corporation, will affect four villages in Sidhi District of Madhya Pradesh. The compensation for the land will be paid according to the rates determined by the State authorities. Persons belonging to the displaced families will be eligible for employment to the extent vacancies are available in accordance with the guidelines applicable to Public sector undertakings. Formulation of schemes for rehabilitating displaced persons is the responsibility of the State Government.

(d) Singrauli Super Thermal Power Station is intended to benefit the constituent States/Union territories in the Northern Region. Hence, no power is being allocated to Madhya Pradesh from this power station. However, Madhya Pradesh is being allocated power from the first stage of the Korba Super Thermal Station under installation in the Western Region.

Annual requirement of wrist watches in the country

5746. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether annual requirement of wrist watches in the country is about 30 to 35 lakhs;

(b) whether during the next five years its requirement will be about 50 lakhs;

(c) the annual number of watches manufactured by H.M.T. as also the annual number of watches assembled by various H.M.T. factories;

(d) whether it is proposed to set up new factories with a view to increase annual production by H.M.T. ; and

(e) if so, whether a demand has been made to set up its factory in Madhya Pradesh also and if so, whether Pachamathi is suitable place therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) It has been estimated that the current demand for wrist watches would be between 4 and 5 million Nos. per annum which may increase to 8 to 10 million Nos. in the coming years.

(c) HMT's production of watches in 1976-77 was 11,71,170 Nos. including 4,01,120 watches assembled by the ancillary units. In 1977-78 HMT'S production is expected to be about 1.88 million watches including assemblage of 1.06 million watches.

(d) and (e) Government have recently sanctioned a project for the manufacture by H.M.T. of additional 2 million watches a year. The specialised watch components manufacturing unit will be located in the industrially backward district of Tumkur in Karnataka State and assembly of watches will be undertaken in 4 HMT assisted captive assembly units in the country. One of these assembly units will be set up in Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh State Government in considering various locations including Pachmarhi, have finally selected Betul for the location of the watch assembly unit.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायतें

5747. **श्री मनोहर लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कत आयोग का प्रयोजन तथा उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी विभागों में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में नागरिकों की शिकायतों पर विचार करना इस आयोग का काम है ; और

(ग) उक्त आयोग की शिकायतें भेजने की प्रक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की योजना, जो 16 दिसम्बर, 1963 को लोकसभा के पटल पर रखी गई थी और गृह मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 1964 के संकल्प संख्या 24/7/64-ए० वी० डी०, में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उद्देश्य, शक्तियां तथा उसके कार्य और उसका क्षेत्राधिकार भी निर्दिष्ट किए गए हैं । संकल्प की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ग) इस संबंध में न तो सरकार द्वारा और न ही आयोग द्वारा कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

देश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं

5748. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आदिवासी क्षेत्रों में, राज्य-वार, कौन-कौन सी बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के कारण कौन-कौन से गांव और व्यक्ति विस्थापित हुए और अब तक किन-किन का पुनर्वास कर दिया गया है ; और

(ग) व्यक्तियों के विस्थापित होने और इन लोगों पर उद्योग का प्रभाव पड़ने को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) औद्योगिक लाइसेंसिंग के आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के बारे में रखे जाते हैं । 1975-77 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के लिये जारी किये गये आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार वितरण की संख्या और उनके स्थापना स्थल बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना में आदिवासी विकास से संबंधित आधारभूत नीति जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक/खनन बस्तियों की स्थापना करने तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये थे, राज्यों को भेज दी गई थी । नये उपक्रमों के बारे में इस नीति के अनुसार चार विशिष्ट अवस्थायें हैं जिनके बारे में सावधानी बरतनी पड़ती है । वे अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं :—

1. नये उद्योगों की स्थापना से व्यक्ति के विस्थापन की संभावित समीक्षा ;

2. विस्थापित व्यक्तियों को अंतरिम सहायता पहुंचाने हेतु योजनाएं बनाना तथा वस्तुतः विस्थापन के समय ही पर्याप्त कार्यक्रम बनाना ;

3. प्रभावी क्षेत्र से सीधे प्रभावित विस्थापितों तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये स्थाई आधार पर जीवन निर्वाह के वैकल्पिक साधन बताना तथा;

4. औद्योगिक अर्थव्यवस्था तथा उसके सहायक कार्यकलापों से इन वर्गों के तथा प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के सविलयन हेतु योजना तैयार करना ।

केन्द्र में विस्थापित लोगों तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विस्तृत जानकारी नहीं रखी जाती है ।

विवरण

राज्य	1975		1976		1977	
	LI	IL	LI	IL	LI	IL
1. आंध्र प्रदेश	19	15	16	14	8	7
2. अंडमान निकोबार	1	1	—	—	—	—
3. आसाम	4	1	6	4	—	9
4. बिहार	5	4	3	4	2	3
5. दादरा और नागर हवेली	1	—	—	1	—	—
6. गोवा, दमन और दीव	6	8	4	7	—	1
7. गुजरात	21	17	18	10	18	12
8. हरियाणा	10	6	3	6	3	4
9. हिमाचल प्रदेश	3	1	3	2	2	1
10. जम्मू कश्मीर	6	2	3	3	6	1
11. कर्नाटक	26	16	11	11	19	9
12. मध्य प्रदेश	28	23	11	7	15	5
13. केरल	15	9	6	16	11	11
14. महाराष्ट्र	30	26	26	16	39	22
15. मनीपुर	2	—	—	1	—	—
16. मेघालय	5	2	2	1	1	1
17. नागालैण्ड	—	1	—	—	1	—
18. उड़ीसा	11	3	6	2	7	2
19. पांडीचेरी	2	2	1	—	—	—
20. पंजाब	13	4	5	8	2	5
21. राजस्थान	14	5	5	8	7	9
22. तमिलनाडु	24	40	14	17	11	10
23. त्रिपुरा	—	—	—	1	—	—
24. उत्तर प्रदेश	25	18	16	16	20	8
25. पश्चिमी बंगाल	21	12	17	13	15	11
26. राज्य नहीं दिखाया गया	—	—	—	—	—	—
कुल	291	216	176	168	187	123

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम

5749 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राज्यों से आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों के लिये उप-योजना के अन्तर्गत हैं अथवा उद्योग विभाग के कार्यक्रम हैं ;

(ग) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में तथा प्रस्तावित छठी पंचवर्षीय योजना के लिये आदिवासी क्षेत्रों के लिये ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की है ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में किन-किन राज्यों को अनुदेश दिये हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति

5750. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन करने के लिए किये गये वर्तमान प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) जी हां । वर्तमान समिति के अध्यक्ष एक लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक, डा० आत्मा राम हैं और अब इसमें सरकार से बाहर के अधिक सदस्य हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के लिए स्वतन्त्र और विषयपरक परामर्श प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है । इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रयोजन के लिए काफी व्यापक हैं ।

Grants for Construction of Border Roads in Gujarat

†5751. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether like Rajasthan and Punjab, Gujarat is a border state and whether Central grants are provided to border States for the construction or maintenance of border roads and if so, the reasons for not providing such grants to Gujarat State;

(b) whether Gujarat Government has submitted a demand for allocation of a sum of Rs. 12 crores from the Centre which it has already incurred on the construction and maintenance of 1600 k.m. border roads in the State during the period from 1967-78 to date at the rate of about Rs.1.25 crores per annum; and

(c) if so, what action has been taken thereon or what action is proposed to be taken and when ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) to (c) Constitutionally, the Central Government are responsible for National Highways. State Governments are responsible for all roads other than National Highways in States, including State Roads in the border areas. A sum of Rs. 49.21 crores for the development and maintenance of National Highways in Gujarat covering both border and non-border areas has been paid to the State since its formation upto 31-3-78.

As regards State Roads in the border areas of Gujarat, development of about 900 kms of roads was approved in 1965 for being financed on the basis of 100% Central grants-in-aid. This work was completed by 1969, and the entire cost of their development has been paid to them. The State Government have also been requesting for funds for maintenance which could not be acceded to as it is the State's responsibility. Moreover, while giving their award for grants-in-aid to States, the Sixth Finance Commission had taken into account the maintenance requirements of all State roads including roads in border areas. The State Governments have been apprised of this position. Further, they have also been advised to approach the 7th Finance Commission for provision of suitable allocations for meeting the maintenance requirements of State roads including roads in the border areas.

गोवा, दमन तथा दीव में आपातकालीन ज्यादतियों पर आयोग

5752. **श्री अमृत कासर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में आपात काल के दौरान यदि कोई ज्यादती हुई तो उसकी जांच के लिये कोई जांच आयोग गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निदेश पद क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 11 के अधीन श्री के० सी० डी० गंगवाणी, विधि सचिव, गोवा, दमन व दीव की अध्यक्षता में एक आपातकाल ज्यादतियां जांच प्राधिकरण नियुक्त किया गया है । इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) शाह जांच आयोग के किसी विचारार्थ विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथा असाधारण बातें प्रकट करने वाले गंभीर स्वरूप के विशिष्ट मामले जो आयोग के ध्यान में लाए जाने चाहिएं, से सम्बन्धित तथ्यों तथा परिस्थितियों का पता लगाना ;

(2) अन्य सभी मामलों की सामान्य रूप से जांच करना जो आयोग के किसी एक अथवा किसी अन्य विचारार्थ विषय से सम्बन्धित हैं, जिनकी जांच करना प्राधिकरण ठीक समझता है ; और

(3) ऐसी शिकायतों अथवा आरोपों की जांच करना, जो शाह जांच आयोग द्वारा प्राधिकरण अथवा गोवा, दमण व दीव प्रशासन को भेजी जाएं ।

आकाशवाणी, पणजी में विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम के लिए समय का नियतन

5753. **श्री अमृत कासर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के पणजी केन्द्र पर विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम के लिए कितना-कितना समय नियत किया गया है –

(ख) विभिन्न भाषाओं के लिए समय नियत करने का आधार क्या है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा तारीका है जिससे केन्द्रों पर समय के नियतन के बारे में जनमत का ध्यान रखा जाता हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) आकाशवाणी पणजी पर भाषित सुगम और लोक संगीत से संबंधित विभिन्न भाषाओं के उन कार्यक्रमों जो केन्द्र से मूलरूप से प्रसारित

किए जाते हैं तथा उनसे भिन्न जो रिले किए जाते हैं, के लिए प्रति सप्ताह नियत किया गया समय इस प्रकार है :–

1. कोंकिणी	21 घंटे और 44 मिनट
2. मराठी	10 घंटे और 54 मिनट
3. पुर्तगाली	30 मिनट
4. अंग्रेजी	1 घंटा और 35 मिनट
5. हिन्दी गीत	2 घंटे और 20 मिनट
क. अन्य भाषाएं	1 घंटा और 12 मिनट

(ख) समय नियत करने का मापदंड मुख्यतया क्षेत्र में सम्प्रेषण के लिए प्रयुक्त मुख्य तथा आम बोली जाने वाली भाषाएं तथा विभिन्न भाषायी समूहों के लोगों की संख्या है ।

(ग) ऐसी कोई निश्चित पद्धति नहीं है जिससे किसी रेडियो स्टेशन पर समय के नियतन के बारे में जनमत प्रतिबिम्बित हो सिवाय उक्त विभाग (ख) के सम्मुख निर्दिष्ट मापदंड के । तथापि, विशिष्ट केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न विचारों के लोगों की राय जानने के लिए समय समय पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए जाते हैं।

सेना में चिकित्सा सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति

5754. **श्री अमृत कासर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेनाओं में चिकित्सा सेवाओं में लगे बहुत से कम अर्हता प्राप्त लोगों को पदोन्नतियां मिल रही हैं जबकि विशेषज्ञता की दृष्टि से अधिक उच्च अर्हता प्राप्त लोगों की पदोन्नति के मामले में उपेक्षा की जा रही है ; और

(ख) क्या पदोन्नति नीति के कारण असंतोष बढ़ रहा है और सेनाओं में चिकित्सा सेवाओं में बहुत से वरिष्ठ विशेषज्ञों ने अपने पदों से किसी न किसी आधार पर त्यागपत्र दे दिए हैं

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) थल सेना चिकित्सा कोर में दिसम्बर 1956 में दो अलग-अलग संवर्ग बनाए गए थे अर्थात् (1) प्रशासनिक संवर्ग और (2) विशेषज्ञ संवर्ग। अफसरों को अपनी सेवा के 18 वें वर्ष में यह विकल्प होता है कि वे किसी भी संवर्ग को चुन लें । प्रत्येक संवर्ग में कर्नल और उस से ऊपर (और समकक्ष) पद पर पदोन्नतियां उसी संवर्ग के अफसरों तक ही सीमित होती है । दो संवर्ग बन जाने से पदोन्नति के मामले में प्रशासनिक संवर्ग के मुकाबले में विशेषज्ञ संवर्ग में असमानता हो गई है । परिणामतः विशेषज्ञ संवर्ग के अफसरों में कुछ असंतोष है । सरकार को इस बात की जानकारी है और दोनों संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में असमानता को दूर करने के उपायों पर वह सक्रियता से विचार कर रही है । वर्ष 1977 में, चार विशेषज्ञ चिकित्सा अफसरों को वैयक्तिक/करुणाजन्य कारणों से समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया है ।

मिजोरम में सेवाओं में आरक्षण

5755. **डा० आर० रोथुआम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने मिजोरम के अपने हाल ही के दौरे के समय एक प्रेस सम्मेलन में घोषणा की थी कि मिजोरम सरकार की सेवाओं में 80 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को मालूम है कि राज्य सरकार के प्रायः सभी विभागों में स्थानीय लोगों से भरे जाने वाले पदों का कोटा 80 प्रतिशत से बहुत कम है जिसके फलस्वरूप स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में भारी असंतोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित इस कोटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मिजोरम सरकार के अधीन 87.9 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जन-जातियों के हैं । इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि मिजोरम प्रशासन के अधीन अधिकांश पदों पर स्थानीय व्यक्ति हैं ।

Enquiries against Station Directors of A.I.R. and T.V.

5756. **Shri T.S. Negi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Station Directors in Akashvani and Doordarshan against whom action has been taken during the last two years;

(b) the number of those, against whom inquiries are in progress and the number of those against whom inquiries have been completed;

(c) the number of those who have been given promotion when the inquiry was in progress and the justification therefor;

(d) the number of the Station Directors against whom inquiries into the affairs of more than one station are in progress; and

(e) the number of those against whom inquiries into the charges are in progress ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) ; (a) Two, Sir.

(b) While departmental inquiries against three officers are presently under process, action against two officers mentioned above was completed during this period.

(c) No Station Director against whom a disciplinary case was in progress was promoted during this period.

(d) None, Sir.

(e) Three, as stated against (b) above.

रक्षा कर्मचारियों द्वारा न लिए गए अवकाश के लिए नकद राशि लिया जाना

5757. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं में अधिकारियों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को एक वर्ष में दो महीने का अवकाश लेने का हक है परन्तु अधिकतर प्रशासनिक कारणों से वे यह अवकाश नहीं ले पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या न लिए गए अवकाश को अगले वर्ष के लिए नहीं जोड़ा जाता है और वह व्यपगत हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने न लिए गए ऐसे अवकाश के लिए नकद राशि का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है और उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आमतौर से, शान्तिकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाता है कि सभी कार्मिक वर्ष के अन्दर अपनी पूरी वार्षिक छुट्टियां ले लें, परन्तु कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सेवा की अनिवार्यता के कारण वार्षिक छुट्टियों का पूरा कोटा मंजूर नहीं किया जा सका हो।

(ख) अफसरों के मामले में, न ली गई छुट्टियां वर्ष की समाप्ति पर खत्म हो जाती हैं। जिन अन्य रैंक ने वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक छुट्टियां नहीं ली हैं वे अगले वर्ष में अपनी अधिकतम 90 दिनों की संचित छुट्टियां ले सकते हैं।

(ग) जी नहीं। छुट्टियों के बदले नकद राशि देने का कोई आम मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह व्यवस्था पहले ही है कि जो सेवा कार्मिक कार्य करते हुए मर जाते हैं और जिन्होंने उस वर्ष में अपनी वार्षिक/संचित वार्षिक छुट्टियां न ली हों वे उस छुट्टी की अवधि के बदले नकद राशि ले सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षाएं

5758. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः जो उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग/स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं की पात्रता वाली परीक्षा देने वाले होते हैं, उन्हें चयन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति ऐसी परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले ही देदी जाती है;

(ख) क्या ऐसे उम्मीदवारों की अगस्त, 1978 में होने वाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने और उसके लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) से (ग) : जहां तक संघ लोक सेवा आयोग का संबंध है, इस निकाय द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के नियमों में, जिनमें भारतीय प्रशासन सेवा आदि भारतीय वन सेवा, सहायक ग्रेड तथा आशुलिपिकों की परीक्षाएं शामिल नहीं हैं, एक उपबंध शामिल है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र भेजने के समय निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं पहले ही रखते हैं, उनके अतिरिक्ति निम्नलिखित दो वर्गों के उम्मीदवार भी आयोग की परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे :

(i) जिन उम्मीदवारों ने ऐसी कोई परीक्षा दे दी हो जिसके पास करने से वे आयोग की परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाएंगे किन्तु उन्हें परिणाम की सूचना नहीं मिली हो।

(ii) जो उम्मीदवार ऐसी किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखते हों।

इन दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को संबंधित परीक्षा पास करने का प्रमाण निर्धारित तारीखों तक प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

ऊपर (i) तथा (ii) पर उल्लिखित सुविधाओं को भारतीय प्रशासन सेवा आदि, भारतीय वन सेवा, सहायक ग्रेड तथा आशुलिपिक परीक्षाओं के लिए 1975 में ली गई परीक्षा से समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए मुख्य तर्क यह था कि इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की संख्या में सतत रूप से तथा भारी वृद्धि हो गई थी और इसलिए यह महसूस किया गया था कि चयन के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से जिस उपबंध को बहुत पहले लागू किया गया प्रतीत होता है उसे बनाए रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का संबंध है, सभी उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तभी अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे न्यूनतम अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हों परन्तु जिन उम्मीदवारों ने संबंधित शैक्षिक परीक्षा अभी देनी हो अथवा जिनके परिणाम रोक लिए गए हों अथवा उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजने की तारीख तक परिणाम घोषित नहीं हुए हों, तो वे उम्मीदवार आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भेजने के पात्र नहीं हैं।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अगस्त, 1978 में ली जाने वाली परीक्षा, लेखा परीक्षकों/कनिष्ठ लेखापालों की परीक्षा है और ऊपर के पैरा में उल्लिखित पात्रता संबंधी शर्तें इस परीक्षा पर भी लागू होती हैं। पात्रता संबंधी इन शर्तों का कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इसलिए पालन किया जा रहा है क्योंकि संबंधित शैक्षणिक परीक्षाओं में पहले से ही अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से भारी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं और यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि जिन उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तें अभी पूरी करनी हों उन्हें अनुमति देकर आवेदन पत्रों की संख्या बढाई जाए। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे शैक्षिणिक परीक्षाओं में बाद में पास न होने की स्थिति में स्वयं उम्मीदवारों की फीस के भुगतान के रूप में अनावश्यक खर्चा बढेगा और तैयारी आदि के रूप में भी असुविधा होगी।

ऊपर बताए गए कारणों से तथा लेखापरीक्षकों/कनिष्ठ लेखापालों की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख पहले ही बीत चुकी होने के कारण उक्त मामले पर पुनर्विचार करने अथवा आवेदन पत्र भेजने की तारीख को पहले से घोषित अन्तिम तारीख के आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं

सरोजिनी नगर से लाजपत नगर और नई दिल्ली स्टेशन को दिल्ली परिवहन निगम की बसें

5759. **श्री यशवन्त बोरेले**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि सरोजिनी नगर से लाजपत नगर, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आर० के० पुरम के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरोजिनी नगर के सरकारी कल्याण संगठनों ने इस बारे में अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) जी हां, यह सच है कि सरोजिनी नगर मार्केट और लाजपत नगर तथा अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है। परन्तु, सरोजिनी नगर मार्केट और रामकृष्णपुरम तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा या इसके अधीन चल रही मिनी बसों द्वारा सेवाएं चलाई जा रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) निगम अभ्यावेदन में किए गए सुझावों की जांच कर रहा है।

Tours of Minister to Darbhanga and Phulsarai

5760. **Shri Ramanand Tiwary**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of times the Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Police) went from Delhi to Darbhanga and Phulsara i and came back therefrom during the period from 10th November to 18th December, 1977;

(b) whether these were official tours or these tours were undertaken for the purpose of an election campaign at Phulsarai where the Chief Minister was contesting a bye-election; and

(c) the number of times he went to Patna from Delhi by air from Patna to Darbhanga by a plane of Bihar Government and from Darbhanga to Phulsarai in an official car belonging to the State Government separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) 5 times.

(b) 2 were official and 3 were unofficial.

(c) 4 times, 4 times; and 5 times respectively.

Spying Agencies in Sikkim

5761. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the clandestine bases of neighbouring and big countries in Sikkim from where they try to influence the public opinion in their favour;

(b) whether foreign literature is distributed free on a large scale in Sikkim to influence the way of thinking of the poor people;

(c) whether spying agencies of different countires are active in Sikkim which interfere in internal political affairs of our country; and

(d) if so, the action being taken to eliminate such agencies ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) (b), (c) & (d) No. such activities have come to the notice of the Government. Proper vigilance is, however, being exercised.

प्रेस का सेंसरशिप

5762. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एकाधिकार समाचारपत्रों पर यह दबाव डाल रही है कि सरकारी पक्ष का समर्थन न करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध कार्यवाई की जाये और इसके परिणामस्वरुप कमलेश्वर, श्रीकान्त वर्मा, अक्षयकुमार जैन, महावीर अधिकारी जैसे तथा बहुत से अन्य पत्रकारों को इस कारण परेशान किया गया है ;

(ख) बम्बई के समाचार साप्ताहिक "करेन्ट" दिनांक 18 फरवरी, 1978 में "जनता सेन्सर्स दी प्रेस" जनता द्वारा प्रेस को सेंसर करना शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार के ध्यान में लाई गई उक्त प्रकार की घटनाओं पर क्या कार्यवाई की जाती है/करने का विचार ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) समाचार में निहित आरोपों में किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है। सरकार की नीति प्रेस की स्वंत्रता का परिरक्षण करने और उसको बनाए रखने तथा उसके कार्यकरण में हस्तक्षेप न करने की रही है। सरकार का मत है कि प्रबंधकों द्वारा पत्रकारों को कथित परेशान किए जाने के मामलों को उठाने के लिए प्रेस परिषद, जिसे शीघ्र ही स्थापित करने का प्रस्ताव है, उपयुक्त मंच होगा।

Uranium and its Mine Operations in Bihar

5763. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) whether uranium is available in plenty in Jaduguda Narwahar Mines and Rakha mines near Jamshedpur;

(b) whether mine operations are continuing there or they have been stopped and in case they have been stopped, the reasons therefor ;

(c) how many workers were working there before 1974 and their number today together with the reasons for decline in their strength; and

(d) the grounds on which the head quarters of these mines have been shifted from Jamshedpur ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Uranium ore of low but reasonable grade is available at Jaduguda and is being mined systematically by Uranium Corporation of India Limited , a public sector undertaking of the Department of Atomic Energy. At Narwapahar, the grade of uranium was very low and was not exploitable. At Rakha, the ore is being processed by Hindustan Copper Limited, a public sector undertaking of the Ministry of Steel and Mines, mainly to recover copper, besides producing tailings containing low grade uranium.

(b) Mining operations are continuing at Jaduguda by Uranium Corporation of India Limited and at Rakha by Hindustan Copper Limited. At Narwapahar, developmental mining work by the Atomic Minerals Division of Department of Atomic Energy was in porgress before 1974, but regular mining and production had never commenced as the operation was considered uneconomical due to low grade uranium content in the ore and absence of copper; besides the mines could not be worked for by-proudct recovery.

(c) Prior to 1974, about 100 to 350 workers were being engaged at Narwapahar for developmental mining work. On completion of the develomental work, it was concluded that the project was not economical and therefore had to be closed down. On closure of developmental work the present working strength of the Narwapahar Mines is nil. The total number of employees in Jaduguda and Rakha before 1974 was about 2440 and 620 and their present working strength is about 2506 and 1346, respectively.

(d) Consequent on closure of Narwapahar Developmental Mining Work, the strength of office of the unit of Atomic Minerals Division at Sundernagar, near Jamshedpur, has been reduced to the minimum (about 40 persons) required only for the field office. Head Office of the Uranium Corporation of India Limited continues to be at Jaduguda and there is no proposal to shift it from Jaduguda. Rakha Copper Mine is a part of Hindustan Copper Limited, whose Headquarters are at Calcutta. The question of shifting of these Headquarters therefore does not arise.

पटसन उद्योग में कामगरों की छटनी और बर्खास्तगी

5764. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आपात स्थिति के दौरान और उसके पश्चात् पटसन उद्योग में कामगरों की छटनी और बर्खास्तगी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके रोजगार की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) और (ख) पटसन आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों से इकट्ठी की जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल में आपात स्थिति के दौरान और इसके पश्चात् पटसन उद्योग में कामगारों की कोई छटनी नहीं हुई है। बर्खास्तगी के मामलों से संबंधित जानकारी, यदि कोई है, राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

5765. **Shri Ramanand Tiwary :**
Shri K. Ramamurthy :

Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase capital investment in nationalized coal industry in 1978-79;

(b) if so, the additional capital investment to be made as compared to the capital investment made in 1977-78; and

(c) the extent to which coal production is likely to increase as a result thereof?

Ministry of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Yes, Sir.

(b) The estimated capital investment in Coal India Ltd. and Singareni Collieries Company Limited during 1978-79 is likely to Rs. 221.21 crores as compared to an investment of Rs. 187.90 crores in the year 1977-78.

(c) Investments made in a particulars year do not immediately result in an additional output of coal because coal mining has a long gestation period. However, the production of coal in Coal India Ltd. and Singareni Collieries Company Limited during, 1978-79 is likely to increase by about 12 million tonnes over that of 1977-78 .

विदेशों के साथ परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये भारत का सहयोग

5766. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के किन-किन देशों ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास करने हेतु भारत का सहयोग मांगा है ;

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस क्षेत्र में कौन-कौन से देश भारत से पहले ही समझौते कर चुके हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अल्जीरिया, कोलम्बिया, गायना, मैडगास्कर, पेरू, मैक्सिकी, वेनेजुएला, इंडोनेशिया और वियतनाम ।

(ख) भारत परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में मित्र-देशों के साथ सहयोग करने का इच्छुक है ।

(ग) हमने अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना, बेल्जियम, बंगलादेश, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, मिश्र अरब गणतंत्र, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, ईरान, ईराक, इटली, पौलैंड रूमानिया संयुक्त राज्य अमरीका, तथा सोवियत संघ के साथ परमाणु ऊर्जा के शांन्तिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में सहकार के लिए द्विव-पक्षीय करार किए हुए हैं ।

5767. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के लिए मिलों की कपास की आवश्यकता और उन्हें उसकी सप्लाई के अन्तर की मात्रा का अनुमान लगा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक अन्तर कितना है : और

(ग) सरकार का इस अन्तर को कैसे दूर करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) 1977-78 के कपास मौसम के कपास के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अतएंव कपास की मांग तथा सप्लाई के बीच होने वाले अन्तर का ठीक-ठीक परिमाण अभी नहीं निकाला गया है। किन्तु सरकार, कपास के संभरण तथा मांग की स्थिति की लगातार संवीक्षा कर रही है और इस बारे में उचित कार्यवाही करेगी।

त्रिपुरा में सीमेंट की कमी

5768. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक वर्ष तक त्रिपुरा में सीमेंट की भारी कमी के कारण वर्ष 1977-78 के दौरान समूचा निर्माण कार्य ठप्प हो गया और उस वर्ष के दौरान कोई नया निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया ;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा में सीमेंट की अनुमानित वार्षिक माँग कितनी है और उस वर्ष में राज्य को वास्तव में कितना सीमेंट दिया गया ; और

(ग) ऐसी कमी के क्या कारण हैं और आगामी वर्ष में उस राज्य को सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) त्रिपुरा को भेजे गए सीमेन्ट की कुल मात्रा 1976-77 में 13,794 मी० टन से बढ़ाकर 1977-78 (15 मार्च, 1978 तक) में 15,381 मी० टन कर दी गई है। फिर भी सीमेन्ट की सम्पूर्ण रूप से कमी तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में रेल से माल लाने ले जाने में कावटों के कारण त्रिपुरा की समस्त माँग पूरी नहीं की जा सकी है।

1978-79 में सीमेंट का 1927 करोड़ मी० टन का अनुमानित उत्पादन अब तक हुए उत्पादन में सबसे अधिक है। यद्यपि, पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में 5 लाख मी० टन के लगभग वृद्धि हुई, तो भी निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध तथा तत्कालीक आवश्यकाओं को पूरा करने के लिए सीमेन्ट का आयात करने की व्यवस्था से लगभग 10 लाख मी० टन सीमेन्ट अधिक उपलब्ध हुआ। उत्पादन में वृद्धि और अधिक मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध होने के बावजूद इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा खेती, उद्योग और आवास के लिये सीमेंट की माँग में वृद्धि हो जाने के कारण कमी हो गई है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफानों के कारण हुई क्षति की मरम्मत करने के लिए भी काफी अतिरिक्त सीमेन्ट की आवश्यकता थी। 1977-78 में सीमेंट की माँग और पूर्ति के बीच लगभग 20 लाख मी० टन का अन्तर होने का अनुमान है। वर्ष 1978-79 में 210 लाख मी० टन कुल सीमेंट अर्थात् 1977-78 की तुलना में लगभग 20 लाख मी० टन कुल अधिक सीमेंट उपलब्ध होने का अनुमान है। सीमेंट के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने से आशा की जाती है कि विकास परियोजनाओं की आवश्यकताओं के साथ-साथ सामान्य जनता की आवश्यकता भी अधिकाँश रूप से पूरी हो जाएंगी।

कपड़ा मिलों को अपर्याप्त कोयला उपलब्ध होना तथा उन्हें बिजली की अनियमित सप्लाई

5769. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के कोटे में 40 प्रतिशत की कटौती पर चिन्ता व्यक्त करते हुये नार्थ इंडिया काटन टैक्सटाइल मिल ऐसोसियेशन ने यह कहा है कि अपर्याप्त कोयला उपलब्ध होने तथा बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण उस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग का कार्य बन्द हो जाएगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कपड़ा उद्योग के लिये कोयले और बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती): (क) से (ग) जी, हाँ। उत्तर भारत में सूती कपड़ा मिलों को कोयले की अपर्याप्त पूर्ति संम्बंन्धी शिकायतें समय-समय पर मिलती रही हैं यद्यपि अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में वस्त्र मिल एककों को कोयले की समग्र औसत पूर्ति प्रति मास 2.01 लाख मी० टन हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.89 लाख मी० टन हुई थी। दि इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने, जो कोयले का प्रायोजिक प्राधिकरण है, मिलों को शीघ्र ही कोयला भेजे जाने के बारे में ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड के साथ लिखा पढ़ी कर रही है।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में पैट्रोल के वितरण के लिए स्टोर-कीपरों के वेतन से कटौती

5770. **श्री दया राम शाक्य**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में पैट्रोल के वितरण के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों के वेतन से पैट्रोल कम हो जाने के लिए कटौती की जाती है;

(ख) क्या अन्य पैट्रोल डिपुओं में प्रति बेरल एक प्रतिशत पैट्रोल की कमी की छूट दी जातो है जबकि दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम में इसकी अनुमति नहीं दी जाती तथा स्टोर इंचार्ज को इस कमी को पूरा करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो पेट्रोल डिपों में नियुक्त किये गये प्रत्येक स्टोर कीपर के वेतन से अब तक कितनी-कितनी धनराशि काटी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार सामान (पैट्रोल समेत) की कमी के मामलों की जाँच-पड़ताल की जाती है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। यदि जाँच-पड़ताल के बाद कमी के कारण आर्थिक नुकसान ध्यान में आता है तो अन्य कार्यवाही. जो नियमों के अन्तर्गत आवश्यक हो सकती है, के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों से नुकसान को पूरा करने को कहा जाता है।

(ख) हालाँकि दिल्ली नगर निगम के कुछ पैट्रोल डिपों में एक प्रतिशत पेट्रोल की कमी की छूट दी जाती है परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के अन्तर्गत कमी का प्रत्येक मामला गुणदोष के आधार पर तय किया जाता है।

(ग) 1971 और 1973 में की गई वास्तविक जाँच के परिणामस्वरूप कुल 8,863.08 रुपए के पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल की कमी का पता लगाया गया था। इस धनराशि में से अब तक दो अधिकारियों के वेतन से 4,020 रुपए और 2,650 रुपए वसूल किये गये हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 की मरम्मत

5771. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरौनी (बिहार) से गोआलापड़ा (आसाम) तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 ही हमारी पूर्वी सीमा तक एक सम्पर्क सड़क है तथा चीनी आक्रमण के दौरान इसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की गई थी;

(ख) क्या गत 2/3 वर्षों में बेगुमराय और कुरसला के बीच इसके रखरखाव की स्थिति खराब हो गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे अच्छी हालत में रखने के लिये मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 के बेगुसराय कुरसेला खण्ड की मरम्मत अच्छी तरह से होती रही है । परन्तु, लखमीनिया और हीरातांला के बीच तथा महेशकुंड और नागरपारा के बीच के खंडों की स्थिति खराब हो जाती है जब गंगा, बुढ़ी, गंडक और कोसी नदियों में भारी बाढ़ आती है, क्योंकि ये खण्ड इन नदियों के निकट हैं । सड़क के टूट-फूट के फौरन बाद, जब बाढ़ का असर कम हो जाता है और यातायात चलने लायक स्थिति पुनः बहाल हो जाती है तो मरम्मत कार्य शुरु कर दिए जाते हैं । बिहार सरकार स्थायी उपचारी उपायों को जाँच कर रही है ।

भारत नेपाल सीमा पर पार्श्व सड़क
(लेटरल रोड)

5772. **श्री बो० पी० मण्डल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर पार्श्व सड़क में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह सड़क कब तक पूरी हो जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बरेली-पीलीभीत-लखीमपुर-नानपारा-दोगारियागंज-बस्ती-चासिया-पीपराकोठी-मुजफ्फरपुर-बरौनी-पूर्णिया-अररिया-ठाकुरगंज-चालसा-होशीमरा-मालका-संकोश-काचूगाँव-सिडली-अमीनगाँव-रूट के साथ पार्श्ववर्ती सड़क लगभग पूरी हो गई है और पिछले कई वर्षों से इस पर यातायात चल रहा है ।

Tidal Power Stations

†5773. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the names of tidal power stations in the country and the dates of their commissioning;

(b) the quantum of power generated by them and the purposes for which it is utilized;

(c) the steps being taken for its further developments; and

(d) whether it can be utilized for areas in plains in addition to the coastal areas?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) There is presently no tidal power station in operation in the country.

(b) Does not arise.

(c) There are three locations, viz., Gulf of Kutch and Gulf of Cambay in Gujarat and Sunderbans area in West Bengal, where the tidal range is fairly high and can be exploited for tidal power generation. Preliminary studies and investigations carried out indicate that there is large tidal power potential available in the Gulfs of Kutch and Cambay and there are possibilities of small scale tidal power development in thes Sundarbans area.

Power generation from tidal schemes fluctuates over the day and the lunar cycle, following the fluctuations in the tidal range. Its absorption in the power systems requires firming up by complementary operation with other sources. Tidal power developments also involve construction of large civil works under difficult conditions. The initial cost of tidal power developments is very high. It is felt that the optimum potential for development in the Gulfs of Cambay and Kutch would be so large that it would be difficult to absorb the fluctuating output in the Gujarat/Western Regional Grid in the foreseeable future. In view of this, the possibility of developing a smaller scheme in the Gulf of Kutch has been considered. The absorption of power output even from such a smaller tidal scheme will pose some problems. Further detailed studies and investigations are required to formulate the scheme of development and establish its technical feasibility and economic justification. The possibilities identified in the Sundarbans areas are capable of developing only very small outputs (1.5 to 2 MW) and power from them would be relatively expensive. Firming up fluctuating output from them would also be difficult.

(d) Power output from tidal power developments can be fed into the State/Regional Grids for use anywhere including the plains.

माल डिब्बों के उत्पादन में कमी

5774. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश में माल डिब्बों के उत्पादन में कमी हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : चार पहिए वाले वैगनों का उत्पादन इस प्रकार है :—

1974-75	9286.5
1975-76	10976.5
1976-77	10679.0
1977-78 (11 महीने)	9929 (1977-78 के पूरे वर्ष के लिए 11000 वैगनों का उत्पादन होने की आशा है)।

1978-79 में रेलवे का विचार इस उद्योग से केवल 8500 वैगन प्राप्त करने का है ।

तदर्थ हिन्दी अधिकारी

5775. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है तो 1 जनवरी, 1978 को (एक) 3 वर्ष, (दो) 5 वर्ष, (तीन) 8 वर्ष तथा (चार) 10 वर्ष से भी अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन पदों पर इतनी लम्बी अवधि तक नियमित नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन तदर्थ हिन्दी अधिकारियों को इन पदों से प्रत्यावृत्त करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) मंत्रालयों और विभागों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ;

(ग) जी नहीं।

विभागीय अनुभागाधिकारी ग्रेड परीक्षा के परिणाम

5776. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय अनुभागाधिकारी ग्रेड परीक्षा में, जिसके परिणाम आपातस्थिति के दौरान वर्ष 1976 में घोषित किए गए थे, उन उम्मीदवारों के नाम चयन-सूची में नहीं रखे गए थे जिन्होंने अन्तिम मूल्यांकन में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों के बराबर ही अंक प्राप्त किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो चयन-सूची में कितने उम्मीदवार शामिल किए गए थे और कितने उम्मीदवार शामिल नहीं किए गए; और

(ग) इससे कुप्रभावित उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) यह परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम में रखा गया था और उसी क्रम में उम्मीदवारों की रिक्तियों को अपेक्षित संख्या तक प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए, उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, आयोग ने उतने ही कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का योग्यता-क्रम निर्धारित किया था, जिसे प्रकट किया जाना आयोग लोक हित में नहीं समझता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई अन्याय नहीं हुआ है।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा कराया गया अनुवाद कार्य

5777. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने बाहर वालों से मानदेय आधार पर अनुवाद कार्य करवाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में मानदेय के भुगतान पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) क्या ब्यूरो ने मानदेय के आधार पर अनुवाद कार्य देने के लिए अनुवादकों का कोई पैनल तैयार किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक को उक्त अवधि में अब तक वर्षवार मानदेय के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) अनुवाद के कार्य देने के लिये ब्यूरो ने इन व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हाँ, ब्यूरो में, बाहर के अनुवादकों का एक पैनल है जिसमें इस समय लगभग दो सौ (200) अनुवादकों के नाम हैं । भारत सरकार के मंत्रालय विभाग या कार्यालय अपनी जरूरत के मुताबिक इस पैनल के अनुवादकों की सेवाओं का लाभ उठाते हैं और वे स्वयं ही अनुवादकों को मानदेय देते हैं, ब्यूरो द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाता ।

(ङ) शुरू-शुरू में ये पैनल हिन्दी निदेशालय द्वारा बनाया गया था और 1971 में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो बनने के बाद उसके पास आया । समय-समय पर ब्यूरो इस पैनल में नाम, व्यक्तियों के लिखित अनुरोध पर, उनकी योग्यता आदि देखकर, जोड़ता रहता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री कांति लाल देसाई के विरुद्ध जांच

5778 **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने प्रधान मंत्री के पुत्र श्री कांति लाल देसाई के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को जाँच की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा श्री कांति लाल देसाई के विरुद्ध कोई जाँच नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

पन बिजली तथा ताप बिजली संयंत्रों में विद्युत उत्पादन

5779. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री एस० एस० सोमाणी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान प्रत्येक महीने में ताप बिजली तथा पन बिजली संयंत्रों में कितना-कितना विद्युत उत्पादन हुआ और गत वर्ष के उत्पादन संबंधी आँकड़ों से कितने प्रतिशत उत्पादन कम अथवा अधिक हुआ;

(ख) जहाँ कम उत्पादन हुआ है उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम क्षमता का उपयोग किया गया और यदि हाँ, तो प्रत्येक संयंत्र का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) सूचना उपाबंध-एक में दी गयी है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2025/78]**

(ख) कुछ ताप विद्युत यूनिटों में बहुत समय तक की बन्दी तथा कुछेक ताप विद्युत यूनिटों में जबरन बन्दी की औसत दर अपेक्षतया अधिक होने के कारण वित्त वर्ष 1977-78 के दौरान नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में विद्युत उत्पादन वर्ष 1976-77 की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ ।

1977 में अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान जल विद्युत उत्पादन 1976 की इसी अवधि की तुलना में कम रहा क्योंकि इसके आसन्नपूर्व के महीनों में कुछ जलाशय खाली हो गये थे ।

(ग) जल-विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन अनेक बातों पर, जैसे जल की उपलब्धता, प्रचालन शीर्ष, प्रणाली में भार माँग और ताप विद्युत केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता पर निर्भर रहता है ।

कानून के अनुसार ओवरहाल करने के लिये आयोजित तरीके से प्रत्येक संयंत्र को बन्द करने की आवश्यकता के कारण किसी ताप विद्युत संयंत्र को वर्ष में तीन सौ पैंसठ दिन तक लगातार नहीं चलाया जा सकता । इसके अलावा खराबियों के कारण भी संयंत्रों को जबरन बन्द करना पड़ता है । बन्दियों के लिये व्यवस्था कर दिये जाने के बाद उपलब्ध रहने वाली क्षमता का एक अंश आनुषंगिक उपभोग के रूप में इस्तेमाल हो जाता है । विद्युत उत्पादन करने के लिये यह अवश्यक है ।

शेष क्षमता या तो एक निश्चित समय पर मेगावाट में अधिकतम माँग को पूरा करने के लिये अथवा एक समयावधि में विद्युत प्रणाली की ऊर्जा की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये उपलब्ध होती है । अभिकल्प, प्रचालन और/अथवा अनुरक्षण संबंधी कमियों के कारण, संयंत्र में आनुषंगिकों की आंशिक खराबियों अथवा आंतरिक अवरोधों के कारण, अधिकतम माँग को पूरा करने के लिये संयंत्र की अधिकतम क्षमता, उपलब्ध क्षमता की अपेक्षा कम होगी । वास्तविक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की माँग पर निर्भर होगा । यह माँग क्षण-प्रतिक्षण बदलती रहती है और दिन के कुछ घंटों में अधिकतम होती है किन्तु रात्रि के कुछ घंटों में न्यूनतम हो जाती है । कम भार की स्थिति में, माँग से अधिक विद्युत का उत्पादन संयंत्र नहीं कर सकता भले ही यह पूर्ण उत्पादन के लिये उपलब्ध हो ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन सदैव ही सौ प्रतिशत से कम होता है और इसे प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति किलोवाट से उत्पादन यूनिटों के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है ।

वर्ष 1976-77 के दौरान जिन बृहत् केन्द्रों में संयंत्र क्षमता का समुपयोजन राष्ट्रीय औसत 56% से कम हुआ है उनके ब्यौरे उपाबन्ध-दो में दिये गये हैं ।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

5780. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का कार्य साँख्यिकीय आँकड़े एकत्र करने तक ही सीमित है और इसे बिजली जनन, पारेषण और वितरण के बारे में परिवीक्षण और नियंत्रण के अधिकार प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्राधिकरण को पर्याप्त अधिकार न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सब स्तरों पर भारी कुप्रबंध को ध्यान में रखते हुए सरकार केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को और अधिक प्रभावी निकाय बनाने के बारे में कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित एक साँविधिक निकाय है । इस अधिनियम के अन्तर्गत इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

—एक ठोस, उपयुक्त तथा एकरूप राष्ट्रीय विद्युत नीति का विकास करना, विद्युत विकास के लिये अल्पावधि और संदर्शी योजनायें तैयार करना और राष्ट्रीय विद्युत साधनों के नियंत्रण और उपयोग के संदर्भ में योजना बनाने वाले अभिकरणों के क्रियाकलापों का समन्वय करना ;

—राज्य सरकार या बोर्ड और लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच पैदा होने वाले विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना;

--विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आँकड़े एकत्र करना और उनका रिकार्ड रखना तथा लागत, कार्यकुशलता, हानियों, लाभों और इसी प्रकार के अन्य मामलों के बारे में अध्ययन करना ;

--जो सूचना और आँकड़े उन्होंने एकत्र किए हों और जिनका उन्होंने विश्लेषण किया हो उनका प्रचार-प्रसार करना;

--राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों तथा विद्युत उत्पादन एजेंसियों को विद्युत केन्द्रों और विद्युत प्रणालियों के कुशल प्रचालन और अनुरक्षण में सलाह देना ;

--विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के कार्य को बढ़ावा देना तथा सहायता करना ;

--विद्युत के उत्पादन और सप्लाई में लगे कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

--विद्युत के उत्पादन और पारेषण के लिए अन्वेषण करना ;

--विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना ।

एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी विद्युत उत्पादन स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उनकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं । अपनी स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप हो और जल विद्युत तथा ताप विद्युत, दोनों विद्युत साधनों के इष्टतम उपयोग के अनुकूल हो ।

यह देखा जा सकता है कि सांख्यिकी आँकड़े एकत्रित करने और इनके प्रचार-प्रसार के अलावा भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनेक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यकलापों का विस्तार करने तथा इसे अधिक कारगर संस्था बनाने के उद्देश्य से 1976 में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, में संशोधन किया जा चुका है । राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत विकास के आयोजन और समन्वय में तथा समग्र आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुकूल विद्युत सप्लाई उद्योग के विस्तार में मार्गदर्शन करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका की संकल्पना यथासंशोधित अधिनियम में की गई है ।

कपड़ा उद्योग में किए गये नये आविष्कार और सुधार

5781. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने के बाद कपड़ा उद्योग में क्या-क्या नये आविष्कार तथा सुधार किये गये ;

(ख क्या यह सच है कि सूती कपड़ा उद्योग को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिये किन-किन क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है ; और

(घ) उनकी जाँच कब की जायेगी और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (घ) वस्त्र उद्योग नवम्बर, 1977 के प्रारम्भ में उद्योग मंत्रालय को हस्तान्तरित किया गया था । एक बड़ा उद्योग होने के कारण वस्त्र उद्योग के आने से औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं के प्रति आन्तरिक पहुंच करना सुकर हो गया है । यह उद्योग कच्चे माल की कीमत तथा उपलब्धता में काफी मात्रा में घटा-बढ़ी तथा माँग

में मन्दी और आधुनिकीकरण की कमी के कारण बढ़ती हुई कनवर्जन वस्त्र बनाने की लागत के फल-स्वरूप कठिन समय से गुजर रहा है। सरकार इन समस्याओं से अवगत है तथा इस क्षेत्र को उचित स्थिति में बनाये रखने के लिये समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

रोजगार प्रधान योजनाएं

5782. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में कोई रोजगार प्रधान योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के नये अवसर कहाँ तक उत्पन्न किये जायेंगे ; और

(ग) क्रियान्वयन के लिये तैयार की गई रीतियों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों को सौंपी जाने वाली भूमिका का उल्लेख किया है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप, 1978—83 में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का विकास करने हेतु कार्यक्रमों तथा नीतियों का ब्यौरा दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में इस समय अनुमानित पूर्णकालिक तथा अंशकालिक रोजगार के लगभग 179.6 लाख से 1982-83 में बढ़कर 310.2 लाख लोगों तक जाने की आशा है।

दीनापुर छावनी बोर्ड द्वारा अध्यापकों तथा सफाई कर्मचारियों को सेवा से निकालना

5783. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, दीनापुर ने न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना आपात स्थिति के दौरान दो अध्यापकों तथा 12 पुरुष एवं महिला सफाई कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र में नई सरकार आने के पश्चात् उन कर्मचारियों द्वारा तुरन्त अपने अभ्यावेदन देने पर तथा दिनांक 13 मई, 1977 के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या डी (लेब) आई० डी० सं० 5(3)/77/डी(लेब) के अनुसार छावनी बोर्ड, दीनापुर से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी तथा यह मामला रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन पड़ा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी सेवा में बहाली के आदेश कब तक जारी हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) छावनी बोर्ड दीनापुर ने छावनी निधि कर्मचारी नियमावली, 1937 के नियम 8(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन मास का नोटिस देने के बाद 27 मार्च, 1976 से 2 अध्यापकों, 1 टीका लगाने वाला कर्मचारी, 1 पम्प ड्राईवर, 1 माली, 1 मल-सफाई जमादार, 4 स्वीपरों और 4 महिला स्वीपरों को सेवामुक्त किया था।

(ख) और (ग) सेवामुक्त किए कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सभी चौदह व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए थे। उसके परिणामस्वरूप 10 व्यक्तियों की बहाली के आदेश दे दिए गए हैं। शेष 4 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गयी है और 2 सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंच गए हैं। एक मल-सफाई जमादार को इसलिए सेवामुक्त किया गया था कि उसका सेवा रिकार्ड अच्छा नहीं था।

"रुपीज 25 करोर्स, आउट आन ए लिम्ब" शीर्षक से समाचार

5784. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'संडे' नामक कलकत्ता साप्ताहिक के दिनांक 13 नवम्बर, 1977 के अंक में "रुपीज 25 करोर्स आउट आन ए लिम्ब" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि आर्टिफिसियल लिम्बस् मैन्यूफेक्चरिंग कापोरेशन आफ इंडिया को 25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के अंशदान की 4 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकार ने परियोजना हेतु अब तक 38 लाख रुपए की राशि दी है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि ने देश भर में अवयव लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 302 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किया है । अन्य तथ्य निम्न प्रकार है: —

वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद युद्ध, दुर्घटनाओं आदि के शिकार अपंग और छिन्नांग व्यक्तियों को सामान्य और सामाजिक तौर पर स्वीकार्य जीवन जीने के लिए, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिये विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंगों का उत्पादन करने हेतु एक आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी । यह देखा गया था कि "पुनः स्थापना औषधियों" के क्षेत्र में हुई प्रगति से यह प्रकट हो गया है कि इस प्रकार के अभागे व्यक्तियों को पुनः स्थापित करने की व्यापक संभावनाएं हैं किन्तु देश में इस दिशा में खास प्रयास नहीं किए गए हैं । कृत्रिम अंगों को लगाने वाले केवल कुछ ही केन्द्र विद्यमान हैं जिनमें शुद्ध रूप से जुड़े-जुड़ाये कार्य (टेलर मेड जाब्स) हाथ में लिए जाते हैं जिसमें पर्याप्त समय लगता है । अपेक्षित उपकरण अथवा जोड़ने वाली (असेम्बली) वस्तुओं का या तो निर्यात किया जाता है अथवा डिजाइनों के अनुसार जोविंग प्रक्रिया के रूप में उत्पादन किया जाता है, जिनमें से अधिकांश गत-प्रयोग हो चुके हैं जबकि सुदृढ़ शरीर वाले द्विमाँग युवकों की संख्या अधिक है । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के अधिकारियों ने इस प्रकार की परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा प्रकट की थी । सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम नई दिल्ली को एक परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था । रिपोर्ट में 357.95 लाख रुपए, जिसमें 82 लाख रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में शामिल है, के अनुमानित निवेश से प्रतिवर्ष 1 लाख कृत्रिम अवयव का आयातित प्रौद्योगिकी के एक आधार पर उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई थी । रिपोर्ट में वर्ष 1972 की 1.70 लाख कृत्रिम अगों की माँग गत वर्ष 1981 में बढ़कर 1.94 लाख हो जाने की प्रवृत्ति का भी संकेत दिया गया था । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विधि के प्राधिकारियों ने नवम्बर, 1976 तक परियोजना हेतु 400 लाख रुपए का अंशदान दिया था । अक्तूबर, 1976 में उत्पादन शुरू हो जाने के साथ ही निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो गया है ।

आयातित मशीनों के मिलने तथा चालू किये जाने पर द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो जायेगा । मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा कुछ अन्य कारकों के कारण परियोजना लागत संशोधित कर 485.85 लाख रुपये कर दी गई है इसमें 38.14 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी निहित है राष्ट्रीय रक्षा निधि द्वारा किये गये योगदान के अलावा सरकार ने परयोजना के लिये अभी तक 38 लाख रुपये दिये हैं । चूंकि उचित जगात पर विदेशी सहयोग प्राप्त करना कठिन पाया गया अतः डिजाइनों का आयात किया गया है तथा भारतीय स्थितियों के अनुसार डिजाइनों का विकास करने के लिये डिजाइन कर्मचारी काम पर लगाये गये हैं ।

2. परियोजना रिपोर्ट में निर्माण के सहायक कार्यकलाप के रूप में अवयव लगाने वाले अनेक केन्द्रों की प्रकल्पना की गई है । वर्ष 1975 में राष्ट्रीय रक्षानिधि के प्राधिकारियों ने इस कार्य के लिये आर्टिफिसियल लिम्बस मैन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के लिये 302 लाख रुपये की व्याज मुक्त ऋण दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी । निगम ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में 6 रीजनल लिम्ब फिटिंग सेंटर तथा 28 पेरीफेरल लिम्ब फिटिंग सेंटर स्थापित करने की योजनाएं बनायी थी । अभी तक 5 रीजनल तथा 8 पेरीफेरल कार्य कर रहे हैं । "नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ प्रोस्थेटिक एण्ड आस्थोटिक ट्रेनिंग" नामक इन केन्द्रों का मुख्यालय संगठन मूलतः दिल्ली में स्थापित कर 1976 में उड़ीसा के एक ग्राम क्षेत्र औसतपुर में ले जाया गया था । जरूरतमंद लोगों को अवयव लगाने की (लिम्ब फिटिंग) सेवाओं की व्यवस्था करने के अलावा ये केन्द्र स्थापित तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । ये केंद्र बिक्री स्थल का कार्य भी करते हैं तथा निर्माण कारी संयंत्रों को आवश्यक सहायता पहुंचाते हैं ।

3. विज्ञान तथा तकनीक की समस्त योजना के अंग स्वरूप हाल ही में रगलिमकों के एक अन्तरंग हिस्से के रूप में एक लघु अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र की स्वीकृति प्रादन की गई है । इस उद्देश्य के लिये निगम को 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है ।

बंबई में जहाजों का रुकना

5785. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री यशवन्त बोरोले :
श्री आर० के० महालगी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुप्रबंध के कारण बंबई में बहुत से जहाज रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) बंबई पत्तन में जहाजों के रुकने का कारण कुप्रबंध नहीं है; बल्कि इसका मुख्य कारण बबई पत्तन न्यास के पाइलटों और बर्थिंग मास्टरों द्वारा एक पक्षीय रूप से स्वीकृत कार्य-पद्धति को बदलना है ।

पाइलटों और बर्थिग मास्टरों के प्रतिनिधयो के साथ निरतर बातचीत चल रही है ।

4 अप्रैल, 1978 को 19 जहाज बंबई पत्तन में बर्थों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमिया में दुर्घटना

5786. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एक्सप्लीसिव्ज लिमिटेड गोमिया के कारखाने में 3 मार्च, 1973 को एक घातक दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 वर्कमैनों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त दुर्घटना की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कहने पर बिहार सरकार ने कोई आयोग गठित किया था;

(ग) क्या गिरिडीह के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने जांच की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त जांच का प्रतिवेदन आज तक प्रकाश में नहीं आया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गिरिडीह के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 की धारा '9' के उपबन्धों के अनुसार इस दुर्घटना की जांच की थी । इस कार्य के लिये और कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया था ।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट पर मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक पदार्थ द्वारा विचार किया गया था तथा उसमें समाविष्ट सिफारिशें 11 सितम्बर, 1975 के पत्र संख्या ई 25 (एक्सिडेंट) ई०सी० (47)/33 (अनुबंध I) के अन्तर्गत कार्यान्वियन के लिये इण्डियन एक्सप्लोसिवज लिमिटेड, गोमिया को भेजी गई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल० टी० 2026/78**]

फर्म ने सभी सिफारिशों का अनुपालन किये जाने की सूचना दी है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच हेतु मंत्रालय से प्राप्त मामले

5787. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय को गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय से कितने मामले मिले;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या आरोप लगाए गए हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या प्रतिवेदन दिया है और इसने इन सभी मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बारे में वर्गीस समिति का प्रतिवेदन

5788. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

श्री यशवन्त बोरोले :

श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्गीस समिति की सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय किया है जिसने आकाशवाणी और दूरदर्शन के भावी ढांचे के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : जी नहीं । रिपोर्ट विचाराधीन है ।

मर्चेंट नैवी ट्रेनिंग बोर्ड

5789. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड विद्यमान है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उसने 1977-78 के दौरान कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पहले वाले बोर्ड की अवधि समाप्त होने के बाद नए बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले का मूल्य

5790. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री अघन सिंह ठाकुर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य बढ़ रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो 1971-72 से 1976-77 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) कोयले के मूल्य स्थिर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पिछली बार 1-7-75 को कोयले की कीमत में संशोधन किया गया था । तब से अब तक कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है ।

(ख) देश में कोयले की वर्तमान कीमत और 1971-72 में स्टीम कोयले की कोयला क्षेत्रवार कीमत के बीच तुलना करने से पता चलता है कि बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों के कोयले की कीमत में 87.6% की और सिंगरैनी कोयला क्षेत्रों के कोयले में लगभग 59.4% की, तथा अन्य विभिन्न समीपवर्ती कोयला क्षेत्रों के विभिन्न ग्रेड के कोयले की कीमतों में 67% से 97% तक की वृद्धि हुई है ।

(ग) कोयला उत्पादक, कार्य संचालन में किफायत करने, कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं ।

महान व्यक्तियों के भाषण और लेखों का प्रकाशन

5791. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 15 अगस्त, 1947 से अब तक राष्ट्र के किसी अथवा सब भूतपूर्व और वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, और अन्य मंत्रियों और/अथवा महान व्यक्तियों के भाषण, लेख आदि को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं, बेची गईं और उपहार के रूप में दी गईं; और

(घ) ऐसे प्रकाशनों के प्रकाशन, उपहार में देने और बिक्री के बारे में सरकार की क्या मुख्य नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-2027/78]

(घ) प्रकाशन विभाग समय-समय पर नीति संबंधी मामलों आदि पर सरकारी नेताओं के महत्वपूर्ण भाषणों को प्रकाशित करता है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

5792. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था की स्थिति खराब है तथा केन्द्रीय तथा संबद्ध राज्य अधिकारियों द्वारा देश के बहुत से भागों में इसकी उपेक्षा की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति में प्रभावकारी सुधार लाने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का कार्यकारी उत्तरादायित्व राज्य सरकारों का है । परन्तु, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं क्रियान्वित करके इस परिवहन पद्धति के विकास के लिए कदम उठा रही है और केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता भी दे रही है । राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं । भारत सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

पंचवर्षीय योजनाएं	केन्द्रीय योजनाएं	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	कुल
प्रथम पंचवर्षीय योजना (वास्तविक)	शून्य	शून्य	शून्य
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (वास्तविक)	72.34	शून्य	72.34
तृतीय पंचवर्षीय योजना (वास्तविक)	126.62	125.71	252.33
वार्षिक योजना (1966-67) (वास्तविक)	54.09	27.62	81.71
—यथोक्त (1967-68)	299.07	27.98	327.05
—यथोक्त—(1968-69)		129.86	129.86
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वास्तविक)	369.89	303.91	673.80
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78 के चार वर्षों के वास्तविक)	538.68	446.86	985.54
पंचवर्षीय योजना (1978-83 के लिए अस्थायी आबंटन)	1100.00	2000.00	3100.00

उपरोक्त सारणी से यह मालूम हो जाएगा कि भारत सरकार देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कदम उठा रही है और अगली योजना में की गई अस्थायी व्यवस्था पांचवीं योजनावधि के दौरान किए गए व्यय की तुलना में बहुत अधिक है ।

कम्पनियों के स्वामित्व में कोयला खानें

5793. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में एक या एक से अधिक ऐसी कोयला खानों की मालिक कम्पनियों के नाम क्या थे जिनकी प्रदत्त पूंजी साठ लाख रुपए (60) से अधिक थी ;

(ख) सरकार में निहित उनकी आस्तियों का खाता मूल्य क्या था;

(ग) उनको अधिग्रहण के लिए कितनी धनराशि दी गई और 1 अप्रैल, 1972 और 1 अप्रैल, 1973 को उनके तुलनपत्र में कितनी हानि दिखाई गई; और

(घ) सरकारी प्रबंधकों द्वारा लेखा परीक्षत लेखों में यदि कोई हानि दिखाई गई, तो कितनी?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीयकरण से पहले जिन कम्पनियों के पास एक या एक से अधिक कोयला खानें थीं उनके नाम और सरकार के अधिकार में आ गई कोयला खानों की परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनियों को देय धनराशि के आंकड़े कोकरकर कोयला (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की अनुसूची में दिए गए हैं । यह निर्दिष्ट रकम कोयला खानों की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करके निकाली गई थी । सरकार के पास गैर सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों के तुलन-पत्र में दिखाए गए किसी घाटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) "प्रबंध अवधि" के खातों की लेखा परीक्षा अभी की जा रही है ।

दिल्ली में डी० आई० जी० पुलिस का रिक्त पद

5794. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डी० आई० जी० पुलिस का पद मार्च, 1978 के दौरान कभी रिक्त रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Central Assistance for Investment in Industries.

5795. **Dr. Laxminarayan Pandeya.** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether any financial assistance is given by the Central Government for investment in the industries in the backward areas of Madhya Pradesh and other states;

(b) whether this assistance is limited only to some of the development blocks of these districts; and

(c) if so, whether the scheme in this regard cannot be introudced in all districts?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Central Government gives subsidy @ 15% limited to a ceiling of Rs. 15 lakhs on capital investment in the industries in selected backward areas of Madhya Pradesh and other states.

(b) 101 districts/areas in the country have been selected to qualify for Central Investment Subsidy Scheme. In the State of Madhya Pradesh 6 areas comprising of 65 blocks of 22 backward districts have been selected to qualify for this subsidy.

(c) No, Sir.

No-profit-no-loss in Gandhi Ashram, Delhi

5796. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Gandhi Ashram in Delhi is being run on 'no profit no loss' basis;and

(b) if so, the statement of loss and profit pertaining to 1975-76, 1976-77 and 1977-78 up to December?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) There is no Institution by the name of Shri Gandhi Ashram , in Delhi assisted by the Khadi and Village Industries Commission.

(b) Does not arise.

Central Assistance for Maintaining Law and Order in Sikkim

5797. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given assistance worth Rs. 22 crores as grants for maintaining law and order situation, opening Police Stations and for procurement of weapons and vehicles in Sikkim State;

(b) if so, the extend to which development has taken place and the expedniture incurred thereon since the merger of Sikkim with India; and

(c) the number of development works under consideration in respect of Police Departmentfat present and the time by which these works are likely to be completed at and the estimated expenditure to be incurred thereon?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Dhanik Lal Mandal) (a), (b) & (c) The Govt. of Sikkim like any other are eligible for financial assistance under the Scheme for Modernisation of State Police Force and the Police Housing Scheme. Under the modernisation scheme a sum of Rs. 9 lakh has been provided as grant and an equivalent amount as loan during the last three years for purchase of vehicles and wireless/scientific equipment and the entire amount has been utilised by the State Govt. Under the Police Housing Scheme, a loan of Rs. 17.31 lakhs has been given during the last three years, of which the State Govt. have utilised a sum of Rs. 16.89 lakhs for construction of various type of residential accommodation for the non-gazetted police personnel.

Besides the above assistance, a sum of Rs. 19 lakhs was sanctioned as ad hoc grant for construction buildings and quarters or Armed Police personnel in 1976-77. While a sum of Rs. 5.30 lakhs out of this amout has been utilised for construction of buildings, works costing Rs. 13.70 lakhs are in progress and are likely to be completed during 1978-79.

Allotment of Coal Wagons to States

5798. **Shri Sukhendra Singh:**
Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) criteria for allotment of steam coal wagons to various States; and

(b) the reasons for allotting only 80 per cent of the wagons demanded by the States especially to Madhya Pradesh from 1978 whereas in 1977 the allotment was made in accordance with the demand?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Entitlement of each consumer for preferential movement of coal is determined by various sponsoring authorities for time to time within the ceilings laid down by the Railways for each sponsoring authority. These ceilings are fixed on the basis of previous trends of movement allowing a cushion for growth rate and transport availability. Demands for core sectors like steel plants, washeries, Defence, power houses, Railway Loco sheds etc. are met on priority bais, Demands for all other industrial consumers enjoy next priority.

(b) The production and despatches of coal during the year 1977-78 has been more than that of the last year. Stocks of coal at the pitheads are comfortable. Some cut in wagon allotment was imposed by the Railways for some time during the year inorder to ensure equitable distribution and meet the genuine demand of all consumers.

Thefts in North and South Avenue, New Delhi.

5799. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of theft and other crime incidents has increased in North and South Avenue, New Delhi, the residential colony of the Members of Parliament, for the last one year;

(b) whether some Members have made complaints earlier also in this regard; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The number of thefts and other crimes during the years 1974, 1976 and 1977 are as below:—

	Thefts	Other Crimes
1974	36	16
1976	26	14
1977	36	22

For obvious reasons comparison of crime figures should be with the pre-emergency year 1974.

(b) The cases reported by the M.P.s have been registered and complaints made duly enquired into.

(c) All possible efforts are being made to work out the cases. Patrolling has been intensified and pickets are functioning at various points including Talkatora and Willingdon Hospital roundabout , Willingdon Crescent and Sardar Patel Marg crossing and Vijay Chowk. General gasht is being done with an element of surprise for the criminals, by changing its timings and dates.

Women Employees on Hindi Teaching Scheme

5800. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of women employees in the Department of the Hindi Teaching Scheme, Delhi; and

(b) the number of Hindi Teachers, Hindi Typists/Stenographers, Assistants, Deputy Directors, Clerks and fourth class employees separately ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) and (b) The number of employees of different categories and that of women amongst them in the office of the Hindi Teaching Scheme, located in Delhi, is as under:—

Category	Name of the Post	No.	No. of women
A	Joint Director/Deputy Director	2	1 (Deputy Director)
B	Assistant Director . .	6	Nil
	(Typing & Stenography) .	6	1
C	Hindi Instructor . . .	27	7
	Research Assistant . . .	3	2
	U.D.C..	9	Nil
	Stenographer Gr. III . .	4	1
	L.D.C.	8	6
D	Class IV	19	Nil

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की प्रतिशतता

5801. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र से विदेशी नियंत्रण समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी पर नियंत्रण रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) देश में बहुराष्ट्रिक निगमों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आदि के बारे में विस्तृत सांख्यकीय केन्द्रीकृत सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है । सूचना जैसी कि कम्पनी कार्य विभाग के "कम्पनी न्यूज एण्ड नोटस" नामक एक सरकारी प्रकाशन के फरवरी, 1977 अंक के एक लेख में दी गई है निम्नलिखित है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाओं के चुने हुए उपभोक्ता वस्तु उद्योगों जैसे चाय परिष्करण और उत्पादन, चीनी, एरेटेट और मिनरल वाटर और अन्य पेय, औषधि और भेषजीय मिश्र सुगन्धित वस्तुएं अंगराग और अन्य प्रस्वधन मिश्र में का वर्ष 1973-74 में 106.68 करोड़ रुपये का पण्यावर्त हुआ। उसी अवधि में भारत में कार्य कर रही विदेशी राष्ट्रों के निगमों से सम्बद्ध शाखाओं के चुने हुए उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में जैसे चाय परिष्करण और उत्पादन बेकरी और कन्फेक्सरी तथा अन्य खाद्य सामग्री उद्योग फलों और सब्जियों को डिब्बों में बन्द करने और परिरक्षण करने वाले उद्योग, सिगरेट, धागा और धागे का गोला बनाना, जूते, पेन्ट और वार्निश तथा सम्बद्ध उत्पाद, औषधि एवं भेषजीय उत्पाद, सुगन्धि अंगराग और अन्य प्रसाधान उत्पाद तथा दियासलाइयों का 834.77 करोड़ रुपये का पण्यावर्त हुआ।

(ख) से (ङ) विदेशी निवेश और विदेशी कम्पनियों की भारत के औद्योगिक विकास में सहभागिता संबंधी सरकारी नीति उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को संसद पटल पर प्रस्तुत किए गए औद्योगिक नीति विवरण में सुस्पस्ट की गई जहां विद्यमान विदेशी कम्पनियों का संबंध है विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जायेगा। इस अधिनियम के अधीन विदेशी शेयर धारिता श्रेणीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उन कम्पनियों को जिनमें प्रत्यक्ष प्रवासी निवेश 40% से अधिक नहीं होगा, विशेष रूप से अधिसूचित प्रकरणों को छोड़कर भारतीय कम्पनियों के समान समझा जायेगा और उनका भावी विस्तार भारतीय कम्पनियों पर लागू विनियमों से ही विनियमित होगा। भारत के औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित विदेशी निवेश और प्रौद्योगिक प्राप्त करने की अनुमति केवल सरकार द्वारा राष्ट्रहित में निश्चित की गई शर्तों पर ही दी जायेगी। नियमानुसार स्वामित्व का बहुलांश और प्रभावी नियन्त्रण भारतीय हाथों में होना चाहिए किन्तु बहुत अधिक निर्यात परक और अथवा जटिल प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में कुछ अपवाद हो सकते हैं।

Import of Diesel Generator Sets.

5802. **Shri Rameshwar Patidar :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of diesel generator sets required for industrial purpose in the country due to power crisis;

(b) if so, whether such generator sets are to be imported from foreign countries and if so, the position in this regard; and

(c) if these are not being imported at present, whether Government are taking any steps to ensure that such generator sets are manufactured in the country to meet the need thereof in future?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes, Sir, in KVA ratings above certain range.

(b) & (c) Public Notice No. 95/ITC (PN)/77 dated the 27th October, 1977 was issued permitting actual users import of Diesel Generating Sets of ratings higher than 625 KVA, since upto 625 KVA ratings Diesel Generating Sets are readily available in the country. Consequent to this Notice about 60 applications were received for import of Diesel Generating Sets upto 17th March, 1978 for ratings above 625 KVA. Government has allowed and is encouraging the setting up of capacity for suitable engines and alteranators of high ratings suitable for about 1400--1500 KVA which should meet the bulk of the demand in highest rating Diesel Generating sets and the capacity for these is under implementation.

भागलपुर, दरभंगा तथा रांची में आकाशवाणी केन्द्र के बारे में दिनांक 1 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT IN REGARD TO USQ NO.1223 DT.1-3-78 REGARDING RADIO STATION AT BHAGALPUR, DARBHANGA AND RANCHI

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के मार्च, 1978 को लोक सभा में दिए गए उत्तर का हिन्दी रूपान्तर अंग्रेजी रूपान्तर, जो प्रश्न का सही उत्तर है, के अनुरूप नहीं है। गलती अनवधानता में हुई। स्वीकृत उत्तर का अधिकृत रूपान्तर अंग्रेजी का है। उत्तर का हिन्दी में सही अनुवाद अब संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-2028/78]।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : आज के सेट्समैन के समाचार के अनुसार अमरीकी परमाणु ऊर्जा नियामक आयोग ने समृद्ध यूरेनियम के भेजने को अनि: टाल दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री किसी अन्य स्त्रोत से यूरेनियम प्राप्त करने का पता लगायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आपको नियमों की जानकारी है। अब शून्य काल जैसी कोई चीज नहीं है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

योजना मंत्रालय की 1978–79 की अनुदानों के ब्यौरेवार भाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वार्षिक और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन तथा दो विवरण

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1978-79 के लिये योजना मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगो (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2011/78]

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1976 के वार्षिक प्रतिबेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के लेख पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) में उलिलिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2012/78]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा एक विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी० 2013/78]

अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1976–77 का वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :

(6) अन्डमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1976-77 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2014/78]

अविलम्बनीयश्लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho) : I call the attentions of the Miniter of Home Affairs to the reported robbery in the Ajmal Khan Road Branch of the Syndicate Bank, New Delhi on 3rd April, 1978 and request him to make a statement in this regard.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : At 3.00 P.M. on 3-4-1978, the Central Police Control Room received a telephone call that an incident had taken place in the Syndicate Bank on Ajmal Khan Road. The Control Room directed one of its vans to reach the spot immediately and also informed the Police Station, Karol Bagh. SHO, Karol Bagh, alongwith a Sub-Inspector and a Constable reached the Bank within few minutes of receiving the information. Soon thereafter, the senior police officers including IGP, DIG and SP also reached the spot.

2. Enquiries revealed that at about 3 P.M. two masked persons entered the 1st floor premises of the Syndicate Bank. One was wearing a turban while the other had a helmet. The latter who was carrying a revolver entered the Manager's Cabin, pushed aside the lady clerk using the telephone and snapped the telephone wire. He then came out of the Cabin and stood guard near the main entry door. His associate who had a gun slung from his shoulder and a revolver in his hand moved to the cashier's glass cabin. He broke open the glass pane of the Cabin with his gun and demanded the keys of the Cash Chest. The Cabin was opened and the lady cashier offered no resistance. Her colleague also a lady was counting the day's collection in an adjoining Cabin, alongwith a male attendant. He then collected the cash from both these Cabins and put it in a polythene bag. that When he demanded the keys to the strong room the lady cashier kept quiet indicating she did not have the keys. Thereafter, both the intruders left the bank office. Before leaving, they left a hand written note saying "Release of P.R. Sircar, Anand Murti, unconditionally demanded—UPRF". The man wearing the turban told the bank employees in English that they need not fear as they were not out to harm them. He said they were doing this for Sircar and, therefore, for a noble cause. They left saying "Thank you Comrades; We will come again".

3. There were only 3 male attendants in the Bank at the time of the incident. One who was in the second Cashier's Cabin, remained silent through out while the other who was near the main door was prevented from leaving the Bank by the person standing guard at the main door. The third attendant was also not allowed to move. After the culprits left, the employees kept quiet for a while as they had been warned not to move or ask for help. Thereafter, they went up to the second floor and shouted for help. The culprits had taken cash-amounting to Rs. 2,93,100/-.

4. The Dog Squad and the Crime Team were immediately summoned to the spot and assistance of the experts of the CFSL was also taken. The assistance of the CBI was also obtained immediately. The description of the robbers as obtained from the staff was broadcast on various police wireless nets. The border check posts, control room

vans and patrolling staff were alerted. A case FIR No. 388 dated 3-4-1978 u/s 392/397 IPC PS Karol Bagh has been registered and the investigation has been entrusted to a special team set up under the personal supervision of S.P. Crime. All possible efforts are being made to work out the case.

आपकी अनुमति से मैं यह बता दू कि बैंक के प्रबन्धक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं समझते और इसलिए वे अपना कोई प्रहरी नहीं रखते।

Shri Laxmi Narain Nayak : There are 15 Banks in that thickly populated locality but not a single guard is posted there. Some sort of security arrangement must be made there.

Whether any security arrangement has been made in view of their threat " We will meet again"?

Why no guard has been posted there and why only lady employees have posted in that Branch?

Whether this robbery has been done by the Anand Margeis or it has been done by some-body else in their name? Whether government have made any arrangement regarding the activities of Anand Margies as they have threatened Prime Minister and Several Ministers?

What has been done by the Police and C.I.D. for finding the culprits ? This incident has created panic in the capital.

Shri Charan Singh : This bank is situated in a small street. There are two police stations nearby. It's supposed that the robbers covered the distance of the 100—200 yards in the street on foot and then boarded a station wagon which was reported to be parked there. We have come to this conclusion because dog squad stopped there. Only this much information is available and the police is making all possible arrangements for inquiry.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षा गार्ड का न होना आश्चर्य की बात है।

श्री चरण सिंह : यह उनकी नीति है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस गश्त की अपर्याप्तता की शिकायत की है। इस संबंध में गृह मंत्री का क्या कदम उठाने का विचार है।

श्री चरण सिंह : इस क्षेत्र में पहले ही से दो थाने हैं इसलिए इसमें वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं है। कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की बात कहना अपना-अपना विचार है। जहां तक बैंक में गार्ड न रखे जाने की बात है इसका उत्तर बैंक ही दे सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : गृह मंत्री के वक्तव्य से लगता है कि उन्होंने इस घटना को गम्भीरता से नहीं लिया है। यह अकेला ही मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब होती जा रही है। हमारे बार-बार चेतावनी देने पर भी प्रशासन ने पहले से कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि इस धन को प्राप्त करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा क्या गृह मंत्री असमर्थता प्रकट करते हैं।

श्री चरण सिंह : अभी घटना को हुए एक दिन ही हुआ है। अपराधियों का हुलिया कर्मचारियों से प्राप्त कर सब जगह उसे प्रचारित कर दिया गया है सभी सतर्क हो गए हैं। दो पुलिस के कुत्ते भी इसमें लगाए गए हैं।

श्री चित्त बसु (बारासार) : इस डाके और डाकुओं द्वारा छोड़े गए नोट के व्यापक अर्थ हैं। गृह मंत्री ने इसकी गम्भीरता को नहीं जाना है ।

आनन्द मार्गी आतंक फैलाना चाहते हैं । भारत में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने हिंसात्मक वारदातें की हैं । धमकी के पत्र प्रधान मंत्री आदि को मिले हैं ।

इन तथा अन्य कई बातों की दृष्टि से गृह मंत्री इस डाके की जांच को व्यापक रूप देंगे तथा क्या वे आनन्द मार्ग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री चरण सिंह : उनके द्वारा छोड़े गए नोट से यह निश्चित नहीं कि वे आनन्द मार्गी ही हैं । यह धोखा भी हो सकता है, पुलिस को गुमराह करने के लिए । तथापि पुलिस दोनों सम्भावनाओं की जांच कर रही है । आवश्यक हुआ तो यह मामला जांच ब्यूरो को सौंपा जाएगा।

Shri Nathu Singh (Dansa) : This robbery took place when the Market was closed. So on such days proper security arrangements should be made.

So far all the bank robberies have taken place in the banks where C.P.I. and A.I.B.E.A controlled unions are working. I want to know whether these robberies are to malign the Janata Government or not ? I further want to know whether like the foreign countries arrangements for taking automatic photoes will be made in the banks so as to avoid such incidents ? How many such robberies have taken place since 1975 ?

Shri Charan Singh : I do not have the figures with me at the moment. So far as his suggestions are concerned I will think over them.

श्री पी० वैंकटासुब्बैया (नन्दयाल) : मेरा व्यवधान का प्रश्न है जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो यह विषय पूरे सदन का हो जाता है और तब कोई भी सदस्य मंत्री महोदय से उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को स्पष्ट किए जाने की मांग कर सकता है परन्तु आपने कहा है कि वे ही सदस्य प्रश्न पूछे जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब अल्प सूचना प्रश्न हो तब अन्य लोगों को प्रश्न पूछने की अनुमति है । नियम में स्पष्ट है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछा जा सकता है । ऐसे वक्तव्य पर वाद-विवाद नहीं हो सकता ।

Shri Nathu Singh : My point of order is that while replying my question the Hon. Minister said that he (member) may be knowing better about the incidents of robberies. This means I am belived all these robberies. My point of order is this that this sort of questions should be answered seriously.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रक्षा मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आज बाबूजी का 71वां जन्म दिन है मैं अपने दल और सदन के इस पक्ष की ओर से उन्हें बधाई देता है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : मैं उनके जीवन में इस दिन के बार-बार आने की कामना करता हूं।

श्री बसन्त साठे (अकोला): मैं भी बाबूजी को उनके 71वें जन्म दिन पर बधाई देता हूं

वायु सेना के लिए नई किस्म का विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING PRESS REPORTS ABOUT PROPOSAL TO ACQUIRE NEW TYPE OF AIRCRAFT FOR AIR FORCE

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कल माननीय सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र ने नियम 377 के अन्तर्गत भारतीय वायु सेना के लिए केनबेरा और हंटरों के पुराने बेड़े के स्थान पर नई किस्म का विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव के बारे में ब्रिटेन के समाचार-पत्र में कुछ खबरों का प्रसंग उठाया था।

इस मामले के संबंध में तथ्यों को सदन में रखने के लिए मैंने यह वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति मांगी थी। सदन को इस निर्णय की पहले ही जानकारी है कि पुराने पड़ गए केनबेरा और हंटरों के स्थान पर आगामी वर्षों में सेवा के लिए एक नया विमान प्राप्त करने के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय कर लिया गया है। सदन को इस तथ्य की भी जानकारी है कि इस बारे में तीन प्रकार के विमानों पर विचार किया जा रहा है जिनके नाम हैं ब्रिटेन का जगौर, फ्रांस का मिराज एफ-1 और स्वीडन का विज्जन।

मैं इस बारे में ऐसे किसी विचार का खण्डन करता हूं कि इन विमानों में से यह अथवा वह विमान प्राप्त करने के लिए अन्तिम निर्णय लिया गया है।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इन तीनों में से अभी तक कोई भी विमान खरीदने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने इन विमानों का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय दल प्रतिनियुक्ति किया था जिसमें तत्कालीन रक्षा सचिव, नए रक्षा सचिव जो अब तक रक्षा उत्पादन सचिव से, वित्त सचिव, वायु सेनाध्यक्ष और वित्तीय सलाहकार, रक्षा सम्मिलित थे।

उस दल ने तीनों प्रतियोगी प्रस्तावों का वास्तविक तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए तीनों विमान निर्माताओं और साथ ही तीनों देशों की सरकारों और वायु सेनाओं के साथ विस्तृत बात-चीत तथा विचार-विमर्श किया। उस दल ने इस से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जैसे उनकी संक्रियात्मक और तकनीकी विशेषताएं, विमानों का भारत में निर्माण करने के लिए लागत तथा अन्य संबंधित निहितार्थ, मूल्य, क्रय, उत्पादन, संचालन और अनुरक्षण की कुल लागत खर्च।

उस दल ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति विचार करेगी। उसके बाद मंत्रिमंडल समिति अन्तिम निर्णय लेगी।

मुझे सदन को यह आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है कि इस मामले में जो भी निर्णय किया जायेगा और मंत्रिमंडल समिति तीनों प्रतियोगी विमानों में से अन्ततः जिस विमान का चयन करेगी उसमें देश का अधिकाधिक हित ध्यान में रखा जाएगा।

माननीय श्री मिश्र ने उन विदेशी समाचार पत्रों, की कुछ खबरों पर ही विश्वास किया है जो देश अपने विमान बेचना चाहते हैं। उन्होंने दबाव, और धन दिए जाने के बारे में दिल्ली की हर तरह की अफवाहों की बात कही है और साथ ही यह भी कहते हैं कि वह "उन खबरों के अनौचित्य को पसन्द नहीं करेंगे जो उस विमान के बारे में पूर्वधारणा करते हैं जिसके बारे में वह कह रहे हैं"।

मैंने उन खबरों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है जिन पर उन्होंने विश्वास किया है और मुझे उन खबरों में किसी तरह के प्रभाव अथवा दबाव डाले जाने के संकेत नहीं मिले हैं। इसलिए मुझे जिज्ञासा है कि श्री मिश्र जैसे एक वरिष्ठ सदस्य ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया और ऐसी अकारण टिप्पणी की जिसका किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : रक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्हें उन खबरों में किसी तरह का प्रभाव या दबाव डाले जाने के संकेत नहीं मिले है और उन्हें जिज्ञासा है कि ऐसी अकारण टिप्पणी क्यों की गई। परन्तु मैंने जो कुछ कल कहा उस पर अब भी कायम हूं।

समाचार पत्रों की रिपोर्टों में से बयान में अनेक उद्धरण दिए गए हैं। यदि मंत्री अखबारों की बातों के अर्थ निकालते हैं तो मैं भी उनसे अवांछनीय प्रभाव का अर्थ निकाल सकता हूं। मंत्री महोदय यह कहने के सक्षम नहीं हैं कि अखबार की रिपोर्टें अवांछनीय प्रभाव नहीं हैं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : कल हमने नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाया था और उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है अब आपने उस पर वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति दी है। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान नियम 54 के उपनियम (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह उपनियम अल्पसूचना प्रश्नों के संबंध में है। मैंने उसी विषय के संबंध में जिसे आप स्वीकृति दे चुके हैं एक अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया था। आज मुझे मंत्री महोदय का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अल्पसूचना प्रश्न को स्वीकार करने में असमर्थता प्रगट की है लेकिन अब मंत्री महोदय ने वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। और इस वक्तव्य को मेरे अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर समझ लिया जाए और मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

बबीना छावनी बोर्ड के हरिजन सफाई कर्मचारियों की छंटनी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT : RETRENCHMENT OF HARIJAN SAFAI KARAMCHARIS BABINA CONTONMENT BOARD

अध्यक्ष महोदय : आप विवरण सभा पटल पर रख दीजिए।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :--

श्री लक्ष्मी नारायण नायक, संसद सदस्य ने नियम 377 के अधीन 8-3-78 को निम्नलिखित मामला सदन में उठाया था :--

> "बबीना छावनी बोर्ड में कई वर्षों से कार्य कर रहे 22 हरिजन सफाई कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। उन्होंने मांग की कि उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए और छावनी क्षेत्र में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाए।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

बबीना स्टेशन मुख्यालय हर वर्ष कूड़ा-कचरा और गन्दगी उठाने, सड़कें साफ करने, सड़कों की नालियों और बड़ी नालियों को साफ कराने के लिए छावनी बोर्ड के साथ एक करारनामा करता है।

इन कार्यों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण स्टेशन मुख्यालय द्वारा गठित अफसरों का एक बोर्ड करता है । तदनुसार दिसम्बर, 1976 में अफसरों के बोर्ड को सिफारिशों के मुताबिक मल-सफाई करारनामें में, वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए 207 स्वीपर (60 सड़कें साफ करने के लिए और 147 नालियाँ साफ करने के लिए) प्राधिकृत किए गए थे । स्टेशन मुख्यालय ने आगामी वित्तीय वर्ष 1978–79 के लिए भी बबीना छावनी बोर्ड द्वारा छावनी में मल-सफाई तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था किए जाने के संबंध में कर्मचारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अफसरों का एक नया बोर्ड गठित किया। इस बोर्ड ने क्षेत्र का स्वयं सर्वेक्षण करने के बाद 163 स्वीपरों की (सड़कों के लिए 47 तथा नालियों के लिए 116) सिफारिश की । आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सफाई कर्मचारियों की संशोधित संख्या की सिफारिश करने में बोर्ड ने इस विषय से संबंधित अनुदेशों तथा वर्ष 1977–78 के लिए मल-सफाई करारनामे में छुट्टी आरक्षण कर्मचारी आदि की व्यवस्था पर लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों की टिप्पणियों के अनुसार रक्षा व्यय में अधिकतम मितव्ययिता करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा । कर्मचारियों के लिए संशोधित कार्यभार के बारे में निर्णय करते हुए बोर्ड ने सड़कों की सुधरी हुई हालत को भी ध्यान में रखा था ।

अफसरों के बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1977–78 के लिए कर्मचारियों को प्राधिकृत संख्या में से 44 स्वीपर कम करने पड़े । चूंकि छावनी बोर्ड में पहले ही 18 रिक्त स्थान थे इसलिए यह निर्णय किया गया कि वर्तमान रिक्त स्थानों पर 18 स्वीपरों को खपा लिए जाने के बाद 26 स्वीपरों की छंटनी कर दी जाए । परन्तु केन्द्रीय कमान मुख्यालयों ने इस मामले की समीक्षा की और 27–2–1978 को छावनी बोर्ड बबीना के अध्यक्ष को इस आशय के अनुदेश जारी किए कि 24-2-1978 से किसी भी सफाई कर्मचारी को सेवा-मुक्त न किया जाए ; और उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए और मल-सफाई करारनामे को संशोधित कर दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए स्टेशन मुख्यालयों के साथ परामर्श करके छावनी बोर्ड बबीना में मल-सफाई स्वीपरों की संख्या का पूर्व-मूल्यांकन करने के लिए अफसरों के बोर्ड की बैठक दोबारा की जाए ।

छावनी बोर्ड प्राधिकारियों ने अब इस बात की पुष्टि की है कि सेवा-मुक्त सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ।

बोर्ड क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने की माँग का जहाँ तक प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि यह प्रश्न स्थायी प्रकार के काम के लिए उपलब्ध स्थायी रिक्त स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है और प्रत्येक वर्ग/ग्रेड में जितने स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं उतने ही अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाता है।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) देश में बीड़ी कर्मकारों के लिए समान वेतन संबंधी विधान

Shri Birendra Prasad (Nalanda): There are about 30 lakh bidi workers in the whole country out of which 50,000 are in Bihar alone. Every state has got different rules regulating their wages and working conditions. In view of the large number of workers engaged in this industry there is need to bring in uniformity in this regard. In order to stop the exploitation of the workers by the proprietors the present law should be amended. Provision should also be made for the payment of D.A. on time.

The workers of Nalanda district have not yet got 22 paise D.A. inspite of Government's assurance. This should be looked into.

Bidi workers should get identity cards. Medical facilities should also be made available to these people.

(दो) माल डिब्बों के उपलब्ध होने से स्टीम कोयले की कमी के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उद्योगों के बन्द होने की संभावना का समाचार

Shri Dharamsinghbhai Patel (Porbandar) : Due to shortage of steam coal wagons a number of industries in Saurashtra region of Gujarat have been closed down. These include (i) Saurashtra Cement and Chemical industries Ltd., Distt. Junagarh (ii) Shri Jagdish Oil Industries Private Ltd., Porbandar and (iii) Mahrana Cloth Mills, Porbandar. As a result, a large number of workers have become idle. Although these concerns have been drawing the attention of the senior officers of the Railways to their difficulties nothing has been done to solve them. It is high time the Ministry of Railways pay attention to it. Coal wagons should be made available to these industries on priority basis so that they can resume working.

बजट (सामान्य) --अनुदानों की मांगें 1978-79

BUDGET (GENERAL)—DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

Shri Yuvraj (Katihar) : It does not appear to me that the Housing Department has brought about any radical change in its functioning and is trying to do something concrete for solving the housing problem.

In Delhi there are about 250 house building societies and only a few of them have been able to construct houses those who are wealthy and well to do, only they are able to get things done. But the societies of the poor people are not getting any assistance or facilities. For example the employees of the Ministry of Rehabilitation has formed a house building cooperative society in 1959 but inspite of repeated assurances from the previous Government the constructions work has not yet started. Let the Minister pay attention to it.

As regards the office of the Director General of Supplies and Disposals, it is not functioning well. It is supplying things of sub-standard quality and there is growing corruption. Since some of the major departments of the Government have their separate arrangement of supplies, there is no need to retain. This organisation it should be abolished.

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : आवास मंत्रालय के इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि कर्मचारियों को आवास सुविधाएं आदि दी जाएंगी । आवास नीति तैयार करते समय मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए आवास सुविधाएं बढ़ाने का उपबंध करना चाहिए ।

मंत्रालय गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए उत्सुक है । कलकत्ता में ऐसी गन्दी बस्तियाँ है जिनमें मनुष्य रह नहीं सकता । अतः मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि वह तत्काल इस समस्या की ओर ध्यान दे ।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को आवास निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि दी जाएगी इसके लिए धननिधि की व्यवस्था की हुई है। किन्तु कठिनाई यह है कि जब तक लोगों को आवास निर्माण के लिए धनराशि मिलती है, तब तक मकानों पर लगने वाली सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

हो जाती है। यही कारण है कि उनको अग्रिम रूप से जो धन दिया जाता है उससे उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। अतः उन कर्मचारियों को अतिरिक्त जो कठिनाई में हैं धन दिया जाना चाहिए क्योंकि मकानों की निर्माण सामग्री का मूल्य बढ़ गया है।

जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है यद्यपि प्रतिवेदन में कहा गया है कि पुनर्वास विभाग पुनर्वास योजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रहा है। राहत कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है, किन्तु वास्तविकता यह है कि मन्ना दण्डकारण्य तथा अन्य स्थानों से हजारों शरणार्थी आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। मन्ना तथा दण्डकारण्य में नौकरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दिल्ली में भी ऐसे हजारों शरणार्थी हैं जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। यद्यपि 1948 के अधिनियम में कहा गया है कि जिन लोगों को दिल्ली या भारत में कहीं भी रोजगार मिल गया है उनका शीघ्र पुनर्वास कर दिया जाएगा। मंत्री जी को उनके पुनर्वास के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

शरणार्थियों ने अपने शिविर छोड़ दिए हैं और अपना सामान आदि बेच दिया है। अब सरकार उन्हें वापस लाने का प्रबन्ध कर रही है। उन्हें पुर्नवास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

जहां तक सप्लाई विभाग का सम्बन्ध है खादी कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीद कम होती जा रही है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पुनर्वास मंत्रालय की कुछ ऐसी विचाराधारा है कि शरणार्थियों के आवास की समस्या कोई गम्भीर समस्या नहीं है। मैं इस प्रश्न को सभा में पहले भी कई बार उठा चुका हूं। सरकार और सम्बद्ध मंत्री को पुनर्वास विभाग एक अनावश्यक विभाग प्रतीत होता है। उसे वह भार समझते हैं।

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
Shri Dhirendra Nath in the chair]

मुझे ऐसा लगता है कि न केन्द्र सरकार, न पश्चिम बंगाल सरकार, न उड़ीसा सरकार तथा न ही अन्य राज्य सरकारें दण्डकारण्य में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं।

सभा को याद होगा इस सत्र के दौरान तथा इससे पहले के सत्र में भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था कि विभिन्न शिविरों तथा विभिन्न शरणार्थी स्थलों में रह रहे शरणार्थियों की दशा का पता करने के लिए वहां एक संसद सदस्यों का दल भेजा जाना चाहिए और साथ ही मैंने उनसे कहा था कि क्या इन शरणार्थियों को अन्दमान द्वीप में बसाना संभव होगा किन्तु दुर्भाग्य से मंत्री जी ने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया।

खेद की बात है कि दण्डकारण्य से बड़ी संख्या में जो शरणार्थी बाहर चले गए हैं, वे विभिन्न शिविरों में दयनीय स्थिति में है। कुछ मंत्रियों को पश्चिम बंगाल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां कैसी भयानक स्थिति हैं। उनके लिए रहने की जगह नहीं है, कोई राहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन, चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन कम से कम एक दर्जन व्यक्ति कुत्ते और बिल्ली की तरह मर रहे हैं। उनके पास लकड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं, ताकि वे मृत शवों को जला सकें।

पश्चिम बंगाल सरकार कई बातें कह रही है, किन्तु उन्हें भी अपने दिल से पूछना चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। हम सबने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शरणार्थियों का शोषण किया है। वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध भी इस तरह की शिकायतें हैं। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग किया है। वे नहीं चाहते कि उनका दंडकारण्य में पुनर्वास हो।

कई वर्षों से किसी ने भी इन शरणार्थियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब उनकी शिकायतें तथा समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने घर तथा सामान आदि सब कुछ बेच दिया है।

जब मैंने शरणार्थियों को अन्डमान द्वीप में बसाने का प्रश्न उठाया तो सरकार ने लगभग सभी विभागों के सचिवों का एक उच्च शक्ति दल बनाया। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन दिया कि 1976 तक 75,000 शरणार्थियों को अन्डमान में बसाया जा सकता है। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से एक भी शरणार्थी को अन्डमान नहीं भेजा जा सकता है। किन्तु प्रधान मंत्री का विचार कुछ भिन्न ही है। उन्होंने कहा कि इसकी गुंजाइश तथा सम्भाव्यता है। अतः मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि वह दिल, दिमाग तथा भावना से इन शरणार्थियों की समस्याओं को महसूस करे और उनके पुनर्वास की शीघ्र व्यवस्था करे।

श्री शक्ति कुमार सरकार *(**जयनगर**) : हसनाबाद क्षेत्र में दंडकारण्य से 25,000 शरणार्थी आ गए हैं। उन लोगों की जो स्थिति है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के हल के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है: केन्द्रीय सरकार का इस समस्या के प्रति जो रवैया है, उससे सभी बंगाली लोग निराश तथा दुखी हैं। यह अविश्वसनीय है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रही है।

समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार इस मानव समस्या को क्यों नहीं समझ सकती है। फिर भी यह बड़े सन्तोष की बात है कि प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक समझा गया तो घटना स्थल पर वह जांच करेंगे और शरणार्थियों से वापस दण्डकारण्य जाने की अपील करेंगे।

हम इस सच्चाई को नहीं भूल सकते कि विभाजन के समय तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया था कि पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जायगा। इसका क्या मतलब हुआ। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत सरकार उन्हे इस देश में रहने का अधिकार देगी और उनका यहां पुनर्वास किया जायेगा। सरकार को समझना चाहिए कि यदि उन्होंने भूतपूर्व सरकार की तरह इस मामले की उपेक्षा की तो इतिहास में यह बात विश्वासघात के रूप में लिखी जायेगी।

यदि सरकार ने समय पर उचित कदम न उठाये तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो सकती है। स्थिति तो पहले ही विस्फोटक है।

आज न केवल दण्डकारण्य से शरणार्थी आ रहे हैं बल्कि बंगलादेश से भी प्रतिदिन अनेक अल्प संख्याक भारत आ रहे हैं। केवल सीमा को बन्द करने से यह समस्या सुलझ सकती है तो केन्द्रीय सरकार का ऐसा सोचना गलत है। सीमा सुरक्षा बल शरणार्थियों पर जुल्म कर रहा है और गोलियां चलाता है। इन अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ से भगाने से भी समस्या नहीं सुलझेगी। पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों को जो वचन दिये थे उसे तोड़ने का सरकार को क्या अधिकार है।

***बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी या रूपांतर।**

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Bengali.

पश्चिम बंगाल छोटा राज्य है पर उसमें समस्याएं बहुत हैं। पहले ही वहां आबादी अधिक है और यदि अन्य स्थानों से लोग इसी तरह आते रहे तो वह राज्य बिल्कुल ही पिस जायेगा।

मेरा मंत्री जी तथा सरकार से अनुरोध है कि शरणार्थियों के पुनर्वास और उनसे सम्बन्धित बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : न केवल देश के नगरों बल्कि गांवों में भी आवास की विकट समस्या है। सरकार ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख 80 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 10 लाख 80 हजार मकानों की जरूरत है। यद्यपि 1 करोड़ 10 लाख 80 हजार मकान बनाने का रिपोर्ट में संकेत है तथापि न तो कोई कार्यक्रम बनाया गया है और न ही कोई निधि रखी गयी है। सर्वप्रथम लोगों को रिहायशी जमीन दी जाये। रिपोर्ट में केवल 60 प्रतिशत लोगों को ऐसी जमीन देने की बात कही गई है। शेष लोगों को भी 3 या 4 सालों में रिहायशी जमीन दी जाये और मकान निर्माणार्थ आवश्यक पैसा दिया जाये। इस प्रयोजन के लिए पिछड़े समुदायों और हरिजनों को सरकारी सहायता दी जाये।

आन्ध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों ने मकानों का एक नमूना बनाया है जिसके लिए 1800 रु० का ऋण दिया जाता है। लेकिन यह नमूना उपयुक्त नहीं क्योंकि जगह थोड़ी है। इस बारे में काफी अनुसंधान किया जाना चाहिये।

धन का एक बड़ा भाग ठेकेदार खा जाते हैं। इसे रोका जाये।

ग्रामों में मकानों के बनाने से न केवल जरूरतमन्दों की जरूरत पूरी होती है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है।

जहां तक इस प्रयोजनार्थ बैंकों से ऋण का सम्बन्ध है बैंक सरकार तथा जनता से सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन पर अधिक नियंत्रण रखा जाये। वे दुर्बल वर्गों की सहकारी समितियों को ऋण नहीं देते। या तो सरकार उन्हें ऋण देने को बाध्य करे या जब वे दुर्बल वर्गों को ऋण दें तब सरकार बैंकों को गारन्टी दे।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री के साथ उपयुक्त नमूनों के विकास हेतु गहन अध्ययन किया जाये।

जहां तक नगरों में जलपूर्ति का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि 31119 कस्बे नगर स्तर के हैं लेकिन उनमें से केवल 1,890 कस्बों में जल की सुविधाएं हैं। शेष कस्बों में भी यह सुविधाएं मिलनी चाहियें। जनसंख्या बढ़ने के साथ जल सुविधाएं भी बढ़ायी जायें।

जहां तक जल सप्लाई का प्रश्न है 5,75,963 गांवों में से केवल 65,000 गांवों में नल या ट्यूबवैल हैं। नल या ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई में कई तकनीकी समस्याएं हैं। अतः कोई वैकल्पिक उपाय खोजना होगा।

नगरों को जोन में बांटा जाये ताकि उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में वातावरण को दूषित न कर सकें।

नगरों को सुन्दर बनाया जाये। इस कार्य हेतु प्रत्येक नगर में समिति बना कर उसे यह कार्य सौंपा जाये।

Shri Ram Kishan (Bharatpur) : Investment in housing is not increasing in the proportion in which the population of the country is increasing. But to solve the housing problem, we can not depend on government investments only alternate ways and means

will have to be devised and adopted which can solve the housing problem not only in the cities but in the villages also.

Harijans and backward classes in villages are living in the outer areas of the villages on low level lands and the result is that those poor people become first victims of natural calamities like floods etc. Efforts should be made to settle them at suitable places, and in the interior of the villages. If they are settled amongst the caste Hindus, it will help in the eradication of untouchability also.

Most of the House sites allotted to Harijans and other backward classes are of no use as they are either situated at places which are not suitable for constructing houses or are on disputed lands. It should, therefore be seen that the house sites which are to be allotted to these persons are at suitable places and free from all disputes.

A conference of the Housing Ministers of all the states should be called and they should be instructed that Harijans should not be settled en block in any city or village; they should be provided dwelling units among the common population, so that the feelings of untouchability is removed at a greater speed.

Steps should be taken to check the fast increasing urbanisation. To solve urban housing problems plots should not be allotted to private persons; they should be allotted to cooperative housing societies, for construction of multi-storied houses.

Intensive research should be conducted to devise and develop designs of cheap houses and due publicity should be given to it so that poor people could derive benefit out of it.

A clear national housing policy should be framed by the Government.

The problem of drinking water supply in the villages is very acute. There are villages in Rajasthan where people bring water from a distance which is as far as twenty or thirty miles. Rural drinking water supply programme should be given very high priority and should be completed within two or three years. Financial assistance should also be provided to the states in this regard.

Bharatpur should be included in the capital region project of Delhi

The condition of East Bengal refugees living at Deoli is pitiable. Steps should be taken to solve their problems.

The problems of Meos in Rajasthan have not been settled properly. They are being asked to pay compensation for land or which they have been resettled. This is not fair.

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : As most 22,000 quarters will be constructed for class II, class III and class IV Government employees within three years, out of which 16,000 will be in Delhi, 2600 in Bombay, 2,000 in Calcutta; 500 in Hyderabad and 300 each in Madras, Chandigarh and Bangalore. Thereby we will be able to cover the housing demand of about 60 per cent employees of these categories. In view of the increasing prices of the buildingmaterial as also with a view to accommodate more persons, Government has decided to make some deviations in the matter of plinth area of these houses.

As regards Government office accommodation, the total demand is for 137 lakhs square feet. The total area available is 80.43 lakhs square feet and the temporary hutments cover 14.01 lakhs square feet. Thus the total shortage is of 56.43 lakh square feet. The office accommodation under construction; which is likely to be completed in two years, is 9.92 lakh square feet and that proposed for construction is 15.5 lakh square feet, which will be completed in three years. Those places are given priority in this regard where we have to pay very heavy amounts as rents to the private owners.

A consultancy committee is functioning in CPWD to advice the public undertakings and local bodies in regard to the size, design, environments etc., of the administrative and industrial buildings.

A management information system has been set up recently which will be sending periodical reports to the Ministry regarding the progress of work made and the difficulties etc. in the various projects.

Attempts have also been made to see that the complaints lodged with the enquiry offices are removed early.

In order to maintain the price line as also to give encouragement to our small-scale industries we have made certain changes in our purchase and import policies. Our supply Department has made much achievement in this regard. After having delibrations with the rate contract contractors and by granting them various facilities at times, this Department has been able to get imported goods at cheaper rates. Certain relaxations in the matter of fiscal levies have also been granted for this purpose. By keeping a constant watch over the market prices we have also been able to purchase jute and cloth at cheaper rates, resulting in savings to Government. To encourage the small-scale industries even 15 per cent price preference has been given to them as against the big industries. Some more changes have been brought in the purchase policy of our central purchasing organisation with a view to help the indigenous industries with a view to encourage them so that they can provide more employment opportunities to the people.

Besides earth movers and other equipment used in construction work, about 500 other items have been developed with indigenous resources. Light houses and shipping tools have also been developed.

All those industries already registered with the National Small Scale Industries Corporation have been treated as automatically registered with D.G.S.&D. also. 40 items have been reserved for the Khadi and Village Industries Commission. Increasing purchases from them will result in providing more employment opportunities.

Study Groups in regard to P and T Department, Railways and Defence have also been set up to settle early the issues, if any, arising between the purchasers and the suppliers. A special Surplus Disposal Committee has been set up, which has been able to dispose of a large quantity of goods of the Defence Department which are lying unused for the last 20 years.

***श्री पी० एस० रामलिंगम** (नीलगिरी) : 1948 में दिल्ली की जनसंख्या केवल 3 लाख थी और आज 1978 में यह 60 लाख हो गई है । एक सर्वेक्षण के अनुसार राजधानी में केवल 5 लाख निवास स्थान हैं । यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 15 लाख लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं । राजधानी की गंभीर आवासीय समस्या को हल करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पांचवीं पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में शहरी क्षेत्रों में 38 लाख मकान और ग्रामीण क्षेत्रों में 118 लाख मकानों की न्यूनतम आवश्यकता थी । अतः छठी पंच वर्षीय योजना में आवास के लिये 1000 करोड़ रुपये का उपबन्ध उसकी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है । इस प्रयोजनार्थ अधिक धन का आबंटन किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने दावा किया है कि उन्होंने सस्ते मकान का डिजाइन तैयार किया है जिस पर केवल 1500 रुपये की लागत आयेगी । यह केवल दिखावे की चीज नहीं होनी चाहिये । ऐसे मकानों के लिये आवश्यक इमारत निर्माण सामग्री के बारे में जानकारी तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि गरीब ग्रामवासी इससे लाभ उठा सकें ।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summerised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

वर्ष 1977-78 के बजट प्राक्कलनों में 8 लाख रुपये की राशि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के ग्रामीण विंग के लिये रखी गई है और पुनरीक्षित प्राक्कलन में इससे कम कर के 6.5 लाख रुपये कर दिया गया है । ग्रामीण आवश्यकताओं के लिये इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के वित्त पोषण के लिये एक ग्रामीण आवास विकास निगम स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है । मैं यह बताना चाहता हूं कि आवास निर्माण के कार्यों से देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं ।

कनाट प्लेस में भूमिगत शापिंग सेंटर ने व्यापार अवसरों के बजाय कदाचारों को जन्म दिया है । मंत्री द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखाने/यूनिट और बिल्डिंग मैटीरियल का उत्पादन करने वाले अन्य औद्योगिक एकक अन्धाधुन्ध धन कमा रहे हैं । यह एक विडम्बना है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी जो सरकारी क्षेत्र का एक एकक है और जो बिल्डिंग मैटीरियल का उत्पादन करता है, हानि में चल रहा है ।

तर्क दिया गया है कि क्रयादेशों में ढील होने के कारण 50 प्रतिशत अधिस्थापित क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है । जब देश में भवन निर्माण सामग्री की अत्यधिक कमी है तो यह तर्क स्वीकार किया जा सकता है कि हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के लिये क्रयदेशों का अभाव है ? मैं चाहता हूं कि इस सदन को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को निदेश दिया जाये कि वह हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कार्यकरण की जांच करे ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम ने तमिलनाडु की 119 आवास योजनाओं को 35 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था, लेकिन इसने केवल 18.18 करोड़ रुपये ही दिया है । अतः "हुडको" को निदेश दिया जाये कि शेष राशि अविलम्ब दे ।

देश में कुल 3119 नगर हैं, जिनमें से केवल 1890 नगरों में ही स्वच्छ पेय जल का प्रबन्ध किया गया है । केवल 217 नगरों में भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था है । शेष नगरों में भी ये व्यवस्था की जानी चाहिये ।

हमारे देश में अधिकांश गांवों में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई करने की सुविधायें नहीं हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश के 60 करोड़ लोगों की खाद्यान्न की आवश्यकतायें ये ही ग्रामीण पूरी करते हैं । और इसलिये स्वच्छ पेय जल सप्लाई करने और उनके रहन सहन की मूल आवश्यकतायें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जानी चाहियें ।

बर्मा, श्रीलंका और वियतनाम से भारी संख्या में वापस आने वाले भारतीय विस्थापितों से तमिलनाडु में एक समस्या पैदा हो गई है । बर्मा और श्रीलंका से आये भारतीय विस्थापित मूलतः तमिलनाडु से ही वहां गये थे और उनमें से अधिकांश बागान श्रमिक ही हैं । तमिलनाडु ने बागान लगाकर उनमें से अधिकांश श्रमिकों को बसा दिया है । पुनर्वास की 45 योजनायें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में से गुजर रही हैं । शरणार्थी पुनर्वास निगम के पास धनाभाव के कारण पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में तमिलनाडु सरकार की सहायता नहीं कर पा रही है । अतः केन्द्रीय सरकार को इस कार्य के लिये तमिलनाडु सरकार को और अधिक धन राशि देनी चाहिये ।

Shri Ramji Lal Yadav (Almai) : The problem of rehabilitation of Meo people of Rajasthan is an old and serious one. They have not been given their lands. An injustice has been done to them that they have not been given their own old lands. Government

has now given them other lands but Government now propose to realise from them a compensation at the rate of Rs. 1000 per acre. They are poor agriculturists but still, Government has adopted a strict attitude in this matter. I would, therefore, appeal to the Government to exempt them from this compensation.

The people who have migrated from Punjab and Sindh are not in a position to repay the loans. Since they have now settled in the districts of Alwar and Bharatpur in Rajasthan, the loans paid to them should be written off. At least, the interest on those loans must be written off.

There is a serious problem of providing drinking water in the villages of Rajasthan. The previous Congress Government has paid no attention to this problem during the last thirty years. The construction of Rajasthan canal has also been pending for a pretty long time. But, so far as the question of supply of drinking water in Rajasthan is concerned, maximum possible funds should be earmarked for the purpose and arrangements should be made to see that rural people get sufficient drinking water. A survey of those villages in Rajasthan where drinking water has to be carried from a distance of 10—15 miles, should be undertaken and measures should be taken to supply water to them in adequate quantity as early as possible.

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : गरीबों, श्रमिकों, कृषकों तथा सर्वसाधारण के लिये आवास उपलब्ध करने संबंधी कोई योजना नहीं है । योजना बजट में गरीबों, श्रमिकों, कृषकों तथा ग्रामीणों के लिये कोई राशि नहीं रखी गयी है, वित्तीय संस्थाओं की कीमत पर बडे बड़े भवन बनाये जा रहे हैं। अतः धन का उपयोग उन गरीबों के कल्याणार्थ किया जाना चाहिये जिनके पास मकान नहीं है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये । हाउसिंग फैक्टरी ने नालीदार चादरों से 6000 से अधिक मकानों का निर्माण किया है । उनमें से 670 के करीब गिर गये हैं । पैसा इस प्रकार बर्बाद हो रहा है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दण्डकारण्य से पश्चिम बंगाल को आये विस्थापितों को उचित ढंग से नहीं बसाया जा रहा है । पुनर्वास के लिये उन्हें कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल रही है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि पश्चिम बंगाल से आने वाले विस्थापितों को अंडमान में बसाया जाये ।

पुनर्वास उद्योग निगम की चर्चा की गई है । निगम के अधीन कुल 19 एककों में से 11 बन्द हो गये हैं । 5000 कर्मचारियों में से इन एककों के बन्द होने से 3300 लोग बेरोजगार हो गये हैं । मंत्री महोदय संस्था को चलाने के लिये धन की व्यवस्था करें।

ग्रामीणों के उत्थान के लिये बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है । मल निकासी सुधार कार्यक्रम अभी निर्णयाधीन है । इन योजनाओं को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

जहां तक पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों का संबंध है, उसके लिये केन्द्रीय सहायता बिना पश्चिम बंगाल सरकार हर बात के लिये जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री विस्थापितों की स्थिति सुधारने हेतु राशि की व्यवस्था करने के लिये कहते आये हैं । लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । अतः मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि विस्थापितों को उचित ढंग से बसाया जाये ।

संविधान के अनुच्छेद 370 का लोप किया जाये । मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि पश्चिमी बंगाल के बसाये गये लोगों के पुनर्वास के लिये केन्द्र से पूरी सहायता मिले।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : The Housing department of the Government of India is still being controlled by old bureaucratic officers. Even in the Delhi Development Authority, there is the domination of bureaucratic officials. The suicide by any employee of D.D.A. in April last year is a glaring instance of the high handedness of officials there. So even if howsoever good policies might be framed, they would not be implemented till the old bureaucratic officials continued to exist there. Therefore I would appeal to the Government that all the old officers should be removed. These officers are so cunning that they would not allow the implementation of any progressive policies.

Then the Jhuggi-Jhopri dwellers have been rehabilitated across Jamuna river where there has not been provided even the basic amenities like good service latrines, good drains provision of drinking water, hospitals or schools etc. A Parliamentary Committee should be set up to look into this question. A definite policy should be laid down to improve the slums in this part of Delhi.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह बहुत दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की शरणार्थी समस्या के संबंध में राजनीति को बीच में लाया जा रहा है । पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी क्षमता, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को रख पाना संभव नहीं है । मंत्री महोदय ने भी इस बात को माना है कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास कर पाना सम्भव नहीं है । प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि उन्हें दण्डकारण्य या अन्य स्थानों में जहां से वे आये हैं वापिस जाने के लिये कहना पड़ेगा । यदि मामले में विलम्ब किया जायेगा तो इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे । शरणार्थी समस्या एक राष्ट्रीय और मानवीय समस्या है । इसे युद्ध स्तर पर हल करना होगा ।

जब तक यह लोग पश्चिम बंगाल में हैं हमें उनके हितों को ध्यान में रखना होगा । उन्हें कुछ सुविधायें देनी होंगी जिन पर काफी खर्चा आयेगा । मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिये कि वह पश्चिम बंगाल की सरकार को समुचित वित्तीय सहायता देंगे और इस संबंध में भी एक स्पष्ट नीति की घोषणा की जानी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार शिविरों से ऐसे पलायन को प्रोत्साहन नहीं देगी ।

जहां तक बंगला देश के शरणार्थियों का संबंध है केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से लगभग 21 करोड़ रुपया मांगा है । यह एक पुरानी वपौती है जिसका सामना वर्तमान सरकार को अन्य समस्याओं के साथ करना होगा । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह 21 करोड़ रुपये की वसूली पर जोर न दें ।

वर्तमान नीति यह है कि जिन लोगों की सम्पत्ति बंगला देश में रह गई है उन्हें अनुग्रहपूर्वक अदायगी दी जा रही है । यह धन किन लोगों को प्राप्त हो रहा है ? यह सारा पैसा उन धनी व्यक्तियों को प्राप्त हो रहा है जो अपने पीछे सैंकड़ों एकड़ भूमि और भारी सम्पत्ति छोड़ कर आये अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में दिया जाने वाला धन, बजाय उनके जो अपना पुराना रिकार्ड संभालने में समर्थ हुए हैं, जरूरतमन्दों को दिया जाना चाहिये ।

आपातस्थिति के दौरान सरकारी मुद्रणालय, केरल के कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया । इन कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाना चाहिये । इस काम में कुछ कानूनी अड़चनें नहीं डाली जानी चाहिये ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप हैं इनकी जांच की जानी चाहिये ।

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : It is correct to say that problem of Housing in our country is very serious one. It was also said that there is a backlog of 4.5 million houses. But actually the backlog is that of 15.6 million houses. In view of the growing population, we will have to build up 50 lakhs of houses annually for 20 years if each family has to be provided with a house. In fact we have inherited a very bad legacy so far as the question of housing is concerned. It is not possible to make improvement in the attitude of the officers in a short period. It will take some time to frame themselves according to our views.

It is said that there is no sense of direction so far as the housing policy is concerned But the fact is that we have allocated in the Sixth Plan an outlay which is two and half-times more than that provided in the Fifth Plan. As regards the annual outlay, the allocation for the ensuing year is Rs. 205.52 crore as against Rs. 163.78 crore in 1977-78.

We have also framed a site and service programme which has been mentioned in the Annual Report. It is rightly said that the problem of housing cannot be solved only through the efforts of Government and so, the present Government has taken a decision to seek the involvement of different kinds of construction agencies in tackling this problem.

Mention has also been made about the question of urban and rural development. But the sites and services programme covers both the urban as well as the rural areas. We will involve in it all possible institution as well as individuals.

It has also been decided that all the housing construction programmes floated by the Government will be meant for low income groups and economically weaker sections. Government has also decided the quarters that will be constructed for Government servants will be type I, II and III quarters.

The bulk financial assistance such as loans from LIC or Banks will be given for the low income group people. Loans will mainly be given for the construction of houses for scheduled castes and scheduled tribes people. We will also like to involve cooperative housing societies and group housing societies in this matter to the maximum possible extent.

The prices of land have gone up very high. A committee is considering the question of bringing down prices of land.

It is said that the condition of resettlement colonies is bad. Efforts will be made to tackle the problem of these colonies.

We are committed to regularisation of unauthorised colonies in Delhi. Only these colonies will be regularised which have come up before the end of emergency. It is not proper to continue unauthorised construction after the lifting of emergency. We will be compelled to remove such unauthorised constructions. The work of regularising colonies will start very soon.

The Master Plan of Delhi has been violated mostly by government bodies. The Master Plan has been disfigured. So it is essential to have a new Master Plan. The Ministry is seized of the matter and the exercise is going on for having a new plan which will be effiective upto 2001.

There are two types of slums in big cities. These are slums where people live in jhuggies and jhonparis. Then there are slums where there are old buildings. In Delhi 30 years ago a scheme known as Delhi-Ajmeri Gate scheme were formulated. In area under this scheme a few houses were acquired and others were left out. Then all the houses were not acquired in a row with the purpose of developing that area. At that time the Government had not the necessary resources to build new houses after demolishing old one. It is almost impossible to change the old pattern of houses in old city of Delhi. My ministry is considering a proposal to allow owners to carry out repairs and additions in their houses but the condition is that outer geography of the houses that should not be disturbed. The legal aspects of the matter are under consideration.

It has been decided to give ownership rights to people in refugee colonies in Delhi after they pay the price in easy instalment on hire purchase basis. A construction of an additional storey in these colonies will also be allowed.

The Government has decided to restore status quo ante in these residential colonies in Delhi which were demolished during emergency. The work of establishing status quo ante in Moti Nagar is almost complete. The plan for Arjun Nagar is complete and construction is about to start. In Turkman Gate area the Prime Minister has already laid the foundation of the project to rehabilitate the people who have been uprooted.

The aim of the National Capital Region concept is to decrease the pressure of population in Delhi. The idea is to develop satellite towns. A statutory administrative authority for all the areas under this project is envisaged, but approval of the concerned states has to be obtained for setting up that authority. Haryana Government has opposed it. Normally this project should have ended at this time. It will be wrong to continue with the scheme in its present form.

Two new responsibilities have been assigned to HUDCO. They should encourage rural housing and should give 50 per cent loan for this purpose. The second thing is that they should identify a small town which should not be within a commutable distance of a big city and then develop that town in all respects. If this scheme succeeds we will extend it to 400 cities where there is pressure of population. This may we will try to relieve pressure of population in these cities. The idea behind the concept of lease is this that Government should have control on land. The serious exercise is going on in my Ministry on this question of abolition of lease. The Government stands by the party's commitment to abolish lease in Delhi.

The Urban Land Ceiling Act was formulated in haste. It has adversely affected the construction activity. The Government is formulating new guidelines keeping in fact the basic concept of the act. The aim is to remove the rigorous against construction activity.

Reference has been made to provision of drinking water in villages. In the last year's budget Rs. 40 crores have been provided for drinking water schemes. This year Rs. 60 crores has been provided. We want to make provision for drinking water in problem villages. There are 1,53,000 villages where drinking water has to be provided. Out of this 40,000 villages have been covered. We hope to cover all the villages in 7 years. However our effect will be to cover these villages in a shorter period.

The problem of rehabilitation is very difficult. Whereas it is our duty to rehabilitate those who are uprooted, they themselves also should make efforts for rehabilitation. It has to be kept in mind that there is a large number of people in our country where condition is worse than that of these people and they need Government's help.

In case land in Andaman is reclaimed and refugees from East Bengal are rehabilitated, will not original inhabitants of that Island agitate ? 8000 have been rehabilitated and it is not possible to rehabilitate 41,000 there. According to the commitment of the Government 9621 families remains to be rehabilitated. We have disbanded the camps and they will be rehabilitated again after the execution of irrigation schemes. We have formulated new schemes and they are being rehabilitated again.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इन्होंने यह नहीं बताया कि क्या पश्चिम बंगाल को आवासी समस्या के लिये कोई सहायता दी जायेगी ।

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और मैं सरकार की नीति बता चुका हूं ।

सभापति महोदय द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय की वर्ष 1978–79 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands for Grants in respect of Ministry of Works and Housing for the year 1978-79 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपए	
			..
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	19,40,000	
90.	लोक निर्माण . .	12,87,04,000	6,38,41,000
91.	जलपूर्ति और मल निकासी .	10,45,00,000	..
92.	आवास और नगर विकास .	2,58,31,000	6,13,84,000
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण	5,66,26,000	..

सभापति महोदय द्वारा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की वर्ष 1978-79 की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for Grants in respect of Ministry of Supply and Rehabilitation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये			
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
82.	पूर्ति विभाग .	4,09,000	..	20,45,000	..
83.	पूर्ति और निपटान .	1,26,43,000	..	6,32,16,000	..
84.	पुनर्वास विभाग .	4,63,28,000	2,16,20,000	23,16,40,000	10,81,02,000

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

सभापति महोदय द्वारा वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 1978–79 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयी :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि			
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
11.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	29,81,000	..	1,49,04,000	..
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन .	49,18,92,000	67,60,90,000	245,94,63,000	338,04,52,000
13.	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता .	6,25,38,000	3,67,57,000	31,26,92,000	18,37,83,000

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : कपास तथा पटसन के बड़े बड़े कारखाने इस मंत्रालय से ले लिये गये हैं और अब इसका काम केवल निर्यात और आयात रह गया है । यह कदम उचित ही है ।

दो दिन पहले आयात निर्यात नीति की घोषणा की गयी है । उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त करने की विधि को सरल बना दिया गया है ।

इस वर्ष निर्यात प्रोत्साहित करने वाला नहीं है । इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि निर्यात व्यापार में कमी होगी लेकिन साथ-साथ चाय के निर्यात में तीन गुना वृद्धि हुई है । इस वर्ष निर्यात में वृद्धि न होने के कोई कारण नहीं होने चाहिये।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है । हम इसमें और भी वृद्धि कर सकते हैं । अगले तीन चार वर्षों के दौरान हम 2500 करोड़ रुपये की लागत का निर्यात कर सकते हैं ।

आपको छोटे स्तर के उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे अधिकाधिक उत्पादन कर सकें । इस देश में बनी वस्तु की संसार भर में प्रशंसा होती है । इन इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इस बात का जिक्र किया जाना जरूरी है कि हमारे आयात में कमी हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस दिये गये और उनमें से किन-किन वस्तुओं का आयात नहीं हुआ । 550 करोड़ रुपये की लागत के खाद्य तेल के आयात के लाइसेंस दिये गये लेकिन कुल 50 करोड़ रुपये लागत के तेल का आयात किया गया । आयात के बारे सरकार किस प्रकार की नीति अपना रही है ?

वर्ष 1977 के दौरान 161 करोड़ रुपये की लागत के तैयार शुदा वस्त्रों का निर्यात किया गया और 1976 के दौरान ये आँकड़े 265 करोड़ रुपये के थे । कितनी कमी हुई है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस कमी के क्या कारण हैं ? चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में भी कमी हुई है ।

जेवरातों को हस्तकला सूची में शामिल करना उचित नहीं है । इन्हें पृथक ही रखना चाहिये ।

हैंडलूम के निर्यात में भी कमी हुई है । आप इसमें वृद्धि करने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह मैं जानता हूं ।

पिछले वर्ष हमने 148 करोड़ रुपये की चीनी का निर्यात किया । इस वर्ष हमने केवल 10 करोड़ रुपये का ही निर्यात किया । आप विदेशों के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये चीनी भेज रहे हैं । इस बारे सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

एम०एम०टी० सी० और एस०टी०सी० का काम निराशाजनक है । क्या आपने एस०टी०सी० के कार्यकरण की जाँच के लिये कदम उठाये हैं ? यदि हाँ, तो तत्संबंधी रिपोर्ट को क्या सभा पटल पर रखा जायेगा ?

मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ली जाने वाली कमीशन के बारे क्या नीति है ?

एम०एम०टी०सी० का वर्ष 1977-78 का निर्यात केवल 23 करोड़ रुपये का था जबकि पिछले वर्ष 198 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था ।

लौह अयस्क का निर्यात भी कम मात्रा में हुआ है । उपभोक्ताओं की ओर से क्रय करने के बारे सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
11	1.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी किसान की नियुक्ति करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
12	2.	,, ,,	किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये कृषि उत्पादों का निर्यात शुरू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	3.	,, ,,	कपड़े के निर्यात के लिये विदेशी मंडियों की प्रभावकारी ढंग से खोज करने की आवश्यकता ।	,,
,,	4.	,, ,,	कृषि वस्तुओं तथा हल्को इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये विदेशो मंडियों में सर्वेक्षण करने में असफलता।	,,
,,	5.	,, ,,	निर्यात प्रधान वस्तुओं के विकास में असफलता ।	,,
,,	6.	,, ,,	वाणिज्य जानकारी को एकत्र करने और उसका प्रसार करने के लिये तन्त्र को सुदृढ़ बनाने में असफलता ।	,,
13	7.	,, ,,	देश से नाप-तोल के गलत पैमानों का चलन समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	8.	,, ,,	सहकारी समितियों के माध्यम से योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता ।	,,
,,	9.	,, ,,	आवश्यक वस्तुओं की जन-वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा इसका का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13.	10.	श्री पी०राजगोपाल नायडू	देश में खाद्य तेलों की कम सप्लाई को ध्यान में रखते हुए वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	11.	,, ,,	राज्य सरकारों को खाद्य तेलों पर अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	12.	,, ,,	खेती सहकारिताओं के लिये और अधिक राशि देने की आवश्यकता।	,,
11	13.	,, ,,	विभाग में सदाचार को समाप्त करने में असफलता ।	
12	14.	,, ,,	निर्यात सम्वर्धन को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।	,,
,,	15.	,, ,,	भारत की निर्यात सम्भाव्यता का पर्याप्त प्रचार करने में असफलता।	,,
,,	16.	,, ,,	चाय व्यापार निगम को और अधिक राशि देने की आवश्यकता क्योंकि यह निगम अच्छी प्रगति कर रहा है ।	,,
,,	17.	,, ,,	इलैक्ट्रानिक्स वस्तुओं के अधिक निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्कता।	,,
,,	18.	,, ,,	बागान-फसलों का निर्यात बढ़ाने के लिये उनका विकास करने की आवश्यकता ।	,,
,,	19.	,, ,,	गुड़ के लिये विदेशी मंडियों की खोज में असफलता ।	,,
,,	20.	,, ,,	तम्बाकू की बिक्री का बैंकों में भुगतान करने के लिये व्यापारियों को बाध्य करने संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	21.	,, ,,	तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8(2)(ख) और 8(2)(छ) के द्वारा प्रदत्त तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपने सांविधिक दायित्व को निभाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
12	22.	श्री पी० राजगोपाल नायडू	तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू की खरीद के अधिकार के बावजूद तम्बाकू बोर्ड को इसकी अनुमति देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपय घटा दिय जायें
,,	23.	,,	तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्य निभाने के लिये आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति देने में असफलता ।	,,
,,	24.	,,	सरकार द्वारा उगाहे गये उपकर को भारत की संचित निधि में डालने की बजाय इसकी तम्बाकू बोर्ड में पृथक निधि बनाने में असफलता।	,,
,,	25.	,,	पण्य बोर्डों के अध्यक्षों को सरकार के पदेन संयुक्त सचिव मानने में असफलता ।	,,

Shri Tej Pratap Singh (Hamirpur) : I support the demands of Commerce Ministry.

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए।)

[Shri Direndranath Basu in the Chair]

During the congress regime our export trade had not shown adequate improvement. Our export trade was only half per cent of the world population. During the congress regime essential commodities like sugar etc. worth Rs. 500 crores were exported while this figure has now been brought down to Rs. 125 crores for which the Minitser deserve praise. It is not a good policy to export in large quantities essential commodities required for meeting our daily needs while the people in the country suffers on account of their shortage.

Export licences were granted to big export houses and thereby they had been earning huge profits during the congress regime. Common people were not benefited by it in any way. This work should be entrusted to the public sector undertakings or to the co-operative sector, the benefit would go to the public and not to selected individuals only. Therefore, the export trade of essential commodities should be entrusted to the cooperative sector.

The balance of trade also had been very bad during the congress rule. The Janata Government has made efforts to see that the balance of trade shows improvement. The machinery and all other goods which were essential for our indigenous industries must be imported even if the surplus in balance of trade position was adversely affected thereby.

We will not be able to achieve the export target fixed for 1977-78 and therefore, it appears that our fixation of target is defective. This should be looked into.

There is too much of multiplicity of departments in the Ministry of Commerce. Efforts should be made to reduce this number through amalgamation of some departments and institutions where possible.

Performance of our 65 trade missions functioning abroad has not been good. Experts in the fields concerned should be deputed to these missions and some incentives should be introduced for the employees based on their performance.

It was said last year that the cooperative laws of the states will be amended in accordance with the cooperative principles. But nothing has so far been done in this direction. There should be a separate Ministry for Cooporation so that the situation could be dealt with properly.

Funds should be provided to the Marketing societies. The amount for N.C.D.C. schemes has been reduced from Rs. 19 crores to Rs. 17 crores.

Our share in world trade is only half per cent. In the year 1976-77 the export was to the tune of Rs. 5143 crores but through cooperative the export was only worth Rs. 72 crores. We should make our cooperative sector more strong. It ultimately benefits the whole community and not an individual.

The laws governing cooperatives are defective, which should be suitably amended. Under the existing laws the Registrar can do anything he likes. He can wind up the Board, he can change the policies. Until and unless the cooperative sector is not strengthened, no poor country can progress. You want to pay special attention to develop small scale industries. It is good, because it will help in solving the unemployment problem.

If only the traders are allowed to export, the benefits will go into their pockets and the gap between the rich and poor will be widened. At the same line it will not be in the interest of the nation. The trade of foodgrains should be nationalised.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया (नांदियाल) : इस मंत्रालय के अधीन अनेक विषयों में से तम्बाकू का मामला मेरे राज्य के हजारों लोगों के लिए परेशानी का विषय है बना हुआ है ।

इस वर्ष बाजार में मंदी है : उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु किसानों को तम्बाकू की बिक्री में सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है । तम्बाकू बोर्ड और राज्य व्यापार निगम ने एक वाउचर तरीका अपनाया है जिससे कदाचार को बढ़ावा मिलेगा । उत्पादक व्यापारियों की दया पर निर्भर है । तम्बाकू बोर्ड द्वारा चालू की गई ग्रेड पद्धति से सब प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । इस सबको सुव्यवस्थित करना होगा और तम्बाकू बोर्ड अथवा राज्य व्यापार निगम को उत्पादकों के पूरे स्टाक को खरीदने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।

मंत्रालय ने बताया है कि बैंकों को इन लोगों को ऋण देने के लिए सलाह दी गई है । किन्तु उन्होंने केवल 35 करोड़ रुपये का थोड़ा सा ऋण दिया है। बिक्री 100 करोड़ रुपये अथवा 125 करोड़ रुपये तक की होगी । अतः मंत्री महोदय को सबसे पहले व्यापार को विनियमत करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार दूर हो और तम्बाकू को निचले ग्रेड में रखने की प्रथा रुक सके । उन्हें नीलाम केन्द्र खोलकर उत्पादकों से वहां अपना तम्बाकू लाने के लिए कहना चाहिए । जहां उसे मान्यता प्राप्त व्यापारियों को नीलाम किया जा सके और शेष तम्बाकू तम्बाकू बोर्ड अथवा राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया जाये ।

ब्रिटेन, सोवियत संघ और जापान, ये तीन देश हमारे तम्बाकू के प्रमुख खरीददार हैं । इनमें सोवियत संघ सबसे ऊपर है । पता चला है कि सरकार ने सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया है । मंत्री महोदय सोवियत संघ को उस समझौते के अनुसार हमारे देश का अधिकाधिक तम्बाकू खरीदने के लिए कहें ।

चीनी भी एक बड़ा उद्योग है । इस कृषि आधारित उद्योग से हजारों किसान सम्बद्ध है । उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों में गन्ने के मूल्य में गिरावट आई है । उत्पादकों ने प्रदर्शन किए हैं हमें चीनी के बाजार को खोना नहीं चाहिए तथा मूल्यों को बनाये रखने के लिए विदेशों को चीनी निर्यात करनी चाहिए ।

हथकरघा उद्योग की उपेक्षा की गई है । हमें विश्व बाजार बनाने के लिए कुछ नए प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिएं। हथकरघा कपड़ों का निर्यात किया जाना चाहिए ।

इस समय देश में सीमेंट की बड़ी कमी है । अतः सरकार को सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए। बड़े एकाधिकार प्राप्त गृहों को सीमेंट फैक्टरी शुरू करने के लिए कहने का कोई औचित्य नहीं है । रायलसीमा में बड़ी मात्रा में चूने का पत्थर उपलब्ध है । वहां एक दो सरकारी परियोजनाएं बन रहीं हैं परन्तु सरकार को वहां और अधिक सरकारी और संयुक्त परियोजनाओं को चालू करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ।

खनिज पदार्थों के संबंध में प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाये तथा जापान को बेचे जाने वाले लौह अस्यक तथा ईरान के सहयोग से कुन्दरेमुख से लौह अस्यक निकालने की समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हमारा खनिज भंडार उपेक्षित स्थिति में ही न रहे हमें उसे देश की सम्पन्नता और विकास के लिए बनाए रखना है । तथा अविवेकपूर्ण ढंग से उसे नहीं निकालना है, जिससे कि देश को हानि हो ।

Shri Faquir Ali Ansari (Mirzapur) : The Minister of Commerce Civil Supplies and Cooperation deserves congratulations for announcing the new import-export policy which will contribute to the development of cottage industries and will lead the country to self-reliance.

This year the allocation for Tea Board employees has been brought down from Rs. 3 lakhs to Rs. 2 lakhs. As a matter of fact, it Should have been raised to Rs. 4 lakhs

The State Trading Corporation is a white elephant and the expenditure on it should be brought down. It needs to be reorganised.

Before allowing the import of any commodity Government should first examine as to what extent there is scarcity of that commodity in the country.

The functioning of Cashew Corporation of India is very strange, because the price of cashew in the country still ranged between Rs. 50 to Rs. 55 per kg.

The State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Limited has earned huge profits in the profit of P.V.C. Resin in 1977-78. It should have given to small-scale industrialists at a concessional rate.

The wheat and rice sold through ration shops in Delhi is of very poor quality.

It is essential to strengthen the cooperative movement in the country. The financial position of Central Government employees consumers cooperative store is very poor. It should be throughly improved.

Certain dishonest people try to take the benefits of cash subsidy for export with the connivance of officials. The Minister should state as to what amount has been recovered from the firms after the audit in the import office and which are those firms.

Government should help woollen carpets industry to tide over the difficulties faced by them in achieving their target. Government should take measures to increase the production of wool so that mill-owners may get an opportunity to raise the price on the

pretext of scarcity of wool. Government should allow import of that wool without duty which is used in the manufacture of carpets. Government should give cash assistance and every kind of incentive to this industry so that this industry could achieve their export targets. In order to remove their difficulties. a separate export promotion council should be set up to establish direct contact between the Government and the industry. The existing wool and woollen export promotion council in which there is no representation of carpet industry, has done nothing for the promotion of this industry.

Certain textile mills manufacture yarn as well as cloth. Those mill sell inferior quality yarn to weavers because they have a monopoly in this field. Government should abolish their monopoly and make available to weavers good quality yarn at cheaper price. Government should set up a training centre to impart training to weavers in the latest techniques of production.

The Handicrafts Handloom Export Corporation protects the interests of capitalists only. A probe should be instituted into its functioning because their officials have earned huge personal profits, as a result of which the corporation has to incur a great loss. Government should take concrete steps to introduce reforms in its working. However Government must pay special attention to the development of carpet industry in the backward eastern districts of Uttar Pradesh.

प्रो० आर० के० अमीन (सुन्दरनगर) : मंत्री महोदय ने उस स्थिति का सामना सफलतापूर्वक किया है जो पिछले एक वर्ष से देश के सामने रही है । जब उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला उस समय मूल्य तीव्र गति से बढ़ रहे थे और चारों तरफ हर तरह की कमी थी । तेल के आयात व्यापार में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था । लेकिन आज एक वर्ष बीतने के बाद हम देखते हैं कि मूल्यों में स्थिरता है और सभी अनिवार्य वस्तुए मिल जाती हैं।

मंत्री महोदय ने पुरानी आयात प्रतिस्थापना नीति को त्यागने का प्रयास किया है और आयात प्रतिस्थापन नीति को बदलकार स्वदेशी उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहते हैं । ऐसा करते हुए उन्होंने औद्योगिकीकरण विकास गति की ओर ध्यान न देकर कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया है । उन्हें एक विकट स्थिति का सामना करना होगा और वह विकट स्थिति निर्यात की सामाजिक लागत है ।

यदि मंत्री महोदय कृषि पर ही जोर देना चाहते हैं तो उन्हें निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाना चाहिए । अल्पावधि के लिए इन पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होगा, लेकिन दीर्घावधि की दशा में देश में अधिक उत्पादन नहीं होगा और इस तरह कमी बनी रहेगी । जिस समस्या का आज हम सामना कर रहे हैं, उसका समाधान एक उचित नीति द्वारा किया जाना चाहिए ताकि हमें किसी कृषि उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाना पड़े और हम पर्याप्त फालतू स्टाक भी रख सकें ।

मंत्री महोदय आज अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं । उनकी पहली समस्या यह है कि क्या हमें अधिक रुई अथवा पोलिस्टर का आयात करना चाहिए । यदि अधिक रुई का आयात किया जाये तो रुई उत्पादक कहेंगे कि मूल्यों को अधिक आयात द्वारा दबाया जा रहा है । इस तरह दूसरी रुई की फसल नहीं होगी जबकि कृषि क्षेत्र में रुई के अधिक उत्पादन की हमें आवश्यकता है । अतः वे रुई नहीं बल्कि पोलिस्टर का ही आयात करना पसंद करेंगे जिससे हमारी अपनी मांग पूरी होती है ।

दूसरी समस्या यह है कि क्या मशीनरी अथवा पेट्रोल अथवा उर्वरक के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च की जाये ? मेरा सुझाव यह है कि हमें मशीनरी नहीं बल्कि तेल, पेट्रोल तथा उर्वरक के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी चाहिए ।

नई आयात नीति उदार है । चूंकि विदेशी मुद्रा की अभी कमी नहीं है इसलिए हम समाज के हित में उपयोग करना चाहेंगे । इस प्रकार एक उदार नीति अपनाकर जब हम विदेशी मुद्रा खर्च

करते हैं तो पुरानी नीति के साथ-साथ और सभी चीजें साथ-साथ चलनी चाहिएं। यदि हम ऐसा नहीं सोचते और उन जरूरी बातों को बदले बिना केवल पुरानी नीति को बदलते हैं तो हम अधिक कल्याण की बजाय अधिक अहित करेंगे।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

भारतीय खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : भारतीय खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन से देश का अपमान हुआ है, जो हमारे लिए लज्जाजनक है। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के अन्तर्गत इंडियन ओलिम्पक ऐसोसियेशन तथा राष्ट्रीय खेलकूद महासंघ स्वायत्तशासी निकाय है और सरकार उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन ये कहते हैं कि इन ऐसोसियेशनों तथा महासंघों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्रालय ने यह कहकर इन निकायों के कार्यकलाप में सुधार करने के लिए असमर्थता प्रकट की है कि ये स्वायत्तशासी निकाय हैं जबकि सरकार का इन पर वित्तीय अथवा सामान्य नियंत्रण है। सरकार इन स्वायत्तशासी निकायों में हस्तक्षेप करने के बारे में कैसे असमर्थता प्रकट कर सकती है जबकि सरकार इन्हें वित्तीय सहायता देती है ? मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या सरकार उन्हें दी जा रही वित्तीय सहायता को वापस लेगी क्योंकि वे धन का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं।

1976 के ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। किसी भी खेल में उन्होंने एक कांस्य पदक तक नहीं जीता। एशियाई खेलों में भी क्या स्थिति है ? फुटबाल में हमें 100वां स्थान पर प्राप्त नहीं है। वालीबाल, बास्केट बाल तथा अन्य खेलों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जहां तक क्रिकेट का सम्बन्ध है, हाल ही में हमने आस्ट्रेलिया की एक दूसरे दर्जे की टीम से मात खाई है। हाकी के क्षेत्र में जहां चार वर्ष पूर्व भारत को विश्व कप जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ था, अब उसका स्थान विश्व कप में छठा हो गया है। हमारी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले पाकिस्तान के साथ जो हम मैच हारे थे उसके बाद कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी टीम में सम्मिलित कर लिया गया जिन्हें राजनीति के कारण तथा एक विशेष मंत्री की वैयक्तिक प्रतिष्ठा के कारण हाकी से बाहर निकाल दिया गया था। चार खिलाड़ी आखिरी वक्त टीम में लिए गए। वे बाकी टीम के साथ तालमेल कैसे बिठा सकते थे जबकि उन्हें एक बार भी पहले टीम के साथ खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्रालय हाकी ओलम्पिक ऐसोसियेशन को हमारे उत्तम खिलाड़ियों जैसे अजीतपाल सिंह, सुरजीतसिंह और असलम शेर खां को टीम में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। ऐसा केवल एक मंत्री की वैयक्तिक प्रतिष्ठा के कारण हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार से हुई गलतियों के लिए मंत्री महोदय की क्या व्याख्या है।

मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए राजनीति कहां तक जिम्मेदार है। क्या मंत्रायल इस सम्बन्ध में जांच करायेगा या विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जायेगी जो इस बात का पता लगायेगी कि खेलों के क्षेत्र में हमारे निराशाजनक प्रदर्शन के क्या कारण हैं।

खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं और खेल का साज समान उपलब्ध नहीं है। उनके खराब खेल प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण यह भी है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्कूलों तथा कालेजों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उचित सुविधाएं दी जानी चाहिएं ताकि हमें अच्छे खिलाड़ी उपलब्ध हो सकें ।

मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या शिक्षा मंत्रालय उन कारणों का पता लगायेगा जिनके कारण हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ियों को जानबूझकर खेलों से बाहर निकाला गया । खेलों के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी सभी कमियों को दूर करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ।

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : Mr. Speaker, Sir, I am grateful to Shri Mukhtiar Singh Malik who has raised half-an-hour discussion on sports in the House today. There is no doubt that recently, we have suffered a set-back in hockey, which is an international game. In the World Cup Hockey tournament held in Argentina we got sixth place. In these circumstances our Ministry and All India Sports Federation are giving a serious thought to this matter. I had stated in reply to question No. 98 dated 27th February, 1978 that it will not be correct to make a general statement that the performance of Indian players in all sports is very poor. The figures reveal that Indian players have won many gold medals in Asian Games and other international events such as we obtained first position in Asia in the field of Atheletics. Secondly, our position is very high in the World in Lawn Tennis and Badminton. Our Basket ball team is among the first four teams in Asia. In Indian player, Michael Feirera got first place in the World Billiards Championship held in Melbourne in 1977. Our Cricket team has also recently given very good demonstration of its play in Austrialia. I would like to tell the Members that we had set up a working group consisting of players and persons having a very sound knowledge of sports, to give suggestions for development of our sports so that these suggestions can be taken into account for the sixth Plan. The Group has submitted its report and this report is under the consideration of Government. We are convening a meeting of State Minister incharge of sports and representatives of Indian Sports Councils and sports bodies to determine national sports policy to go into the question of development of sports.

The hon. Members are also aware that most of the sports bodies have representatives of many nations and under these bodies Indian Olympic Association and National Sports Councils are autonomous bodies and Government cannot interfere with their functioning. The Government in consultation with All India Council of Sports has issued guidelines for improving the working of sports bodies.

Government had issued guidelines in September, 1975 in order to put an end to disputes between National Sports Associations and Councils. Some of the main guidelines are :

1. No person can remain an office bearer for more than four years, but he can again become an office bearer if he manages to get two thirds vote in the next election.
2. No person can become an office bearer of more than one Association or Council. This condition is not applicable to Indian Olympic Association.
3. It is obligatory on the part of National Sports Association/Councils to maintain annual account.
4. To employ qualified coaches is a must for each Council.
5. It is essential for each body to hold at least two events in a year.
6. Individual clubs or individuals even if they are members of the National council are not entitled to vote in any meeting of the Council.

Our Ministry has advised all National Sports Associations, Councils to amend their respective constitution in the light of these guidelines. There is an All India Council of Sports consisting of six Members of Parliament to advise the Government. A sum of

Rs. 205 lakhs has been provided for in the Budget for 1977-78 for sports and physical education, out of which Rs. 24 lakh are provided to National Sports Associations and Councils. Some of the important steps taken by the Central Government to improve the standard of games in the country are enumerated below :—

1. To organise National Championship and Training Camps of National Sports Associations, to pay the salaries of paid Assistant Secretaries, to purchase the sports goods, to provide financial assistance to meet to the cost of international tours for participating in the international sports events.

2. To set up a National Sports Institute at Patiala for giving training of high quality and a branch of that Institute at Bangalore.

3. To organise training camps at State level, to construct stadia and swimming pools, to develop play-grounds, to provide financial assistance to the National Sports Councils for making full lighting arrangements etc. in the inner stadia and playgrounds.

4. To organise annual National sports events for women preceded by competitions at the State and other lower levels.

5. Grant of scholarships to recipients of previous years and renewal of the same with certain conditions and grant 1200 scholarships to school going boys and girls who show meritorious performance.

6. Giving of Arjuna Award to top male and female players every year.

7. Grant of financial assistance for providing material facilities for universities and university colleges through U.G.C. and for arranging inter-university competitions and training camps and for renewal of previous years' scholarships and for outstanding students and to provide 100 new scholarships of Rs. 1000 each for outstanding students in the field of sports through the Unions of Indian universities.

8. Inclusion of sports as an integral part of syallabus of 10+2 system of education as prepared by N.C.E.R.T.

9. Mr. Chairman, as I have already stated the Government of India are looking into the matter. We have an all India Council of Sports consisting of 46 members including 6 M.Ps. Its Executive Committee consists of 16 members which also includes 2 M.Ps. In order to enhance the scope of the Council and to enable it to function as an important link between the Government and national sports bodies and in order to reduce the number of members of its Executive Committee so that it may be made effective and it may function in a better way, the suggestions for its reorganisations are under consideration.

There is a proposal to convene a meeting of Ministers of Sports to prepare a new national sports policy and evolve a national plan for the development of Sports.

It is thus clear that since sports is a state subject and the competitive aspect of sports is in the hands of national sports federations which are fully autonomous bodies, the role of the Central Government is restricted to provide encouragement to popularise sports and bring about outstanding achievements in competitive sports. It is felt that increased facilities are necessary for the development of sports. Financial stringency stands in the way of the Centre and the States. In brief, the problems being faced in the field of sports have been well defined and constitutional restrictions as well as the restrictions imposed by Olympic rules on federations and associations coupled with financial stringency stand in the way of speedy progress and development of sports.

Shri Dhanna Singh Gulshan : I have said that the remaining part will be laid on the Table.

Shri Laxmi Narayan Pandey (Mandsaur) : I want to know whether you are going to formulate any National Sports Policy and, if so, by what time it will be formulated and whether it will be laid on the Table.

Shri Dhanna Singh Gulshan : As I said, we are going to convene a meeting which will be attended by Ministers of various States and representatives of Associations. The Government propose to lay down a new policy in regard to sports in which the advice of all including the Indian Sports Council will be taken.

There is no doubt that we got a set back in hockey this year and this has happened due to factionalism. There is no dearth of good hockey players in our country. We want our hockey team to be good, but could not do anything in that regard because our Sports Council is an autonomous body and we cannot interfere in their work.

Dr. Laxmi Narayan Pandey : While we feel proud of good performance of our players, it is natural to feel worried at their falling standard. Do the Government propose to do something in respect of the internal politics of our Sports associations which is responsible for the bad performance of our players outside. Is there any proposal to stop the financial aid being given to those associations or to withdraw their recognition ?

Shri Dhanna Singh Gulshan : I have already said that we propose to improve our sports and feel that there should be no politics in the sports associations. We want them to be free and do not interfere in their working, but unfortunately they indulge in politics and we can do little. We are going to formulate a Sports policy and have also received many suggestions to bring about improvement in them. We have also set up a working group which has already submitted its report to us. It will be implemented and will guide us.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : सरकार ने खेलों को कौन सी प्राथमिकता दी है ? कितनी राशि नियत की गई है ? सरकार ने विभिन्न खेल संस्थाओं को क्या क्या सुविधायें दी हैं ?

Shri Dhanna Singh Gulshan : I appreciate the hon. Members' concern about our sports. As I have pointed out, the working groups which have been formed are giving their recommendations. We are short of money. We have made a scheme involving Rs. 25 crores, but in the current year we have a provision of Rs. 9 crores only. It will be considered how we can find new players from primary Schools to High schools, colleges and universities. The report of the Working Group is being considered. We are also worried, like the hon. Members, over the politics that has entered our Sports Council. In this connection, the report of the Working Group will be given due consideration.

Prof. P.G. Mavalankar : After worry, do some thinking and take appropriate action, this is my request.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 6 अप्रैल, 1978/16 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 6, 1978/ Chaitra 16, 1900 (Saka)

MGIPRRND—12 LSS/78—III-D—18-9-78—210.